लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

4th

LOK SABHA DEBATES

[सातवाँ सत्र
Seventh Session]

Chamber Fumigated 18\X\23

Preservation Unit
17-7-9
Fumigated
On 4 1 84
Parliament Library

[खंड 27 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. XXVII contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/ CONTENTS

अंक—32—बुधवार, 2 अप्रैल, 1969/ 12 चैत्र, 1891 (शक)

No. 32—Wednesday, April 2. 1969/ Chaitra 12, 1891 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
842. गोमांस तथा बछड़े के चमड़े का निर्यात	Export of Beef and Calf Leather	1—4
843. राज्य व्यापार निगम द्वारा धागे का आयात	Import of Yarn by State Trading Corporation	4—9
844. मूल्य लागत तथा प्रशुल्क आयोग	Prices, Cost and Tariff Commission	9—14
845. चाय के निर्यात के लिए भारत तथा श्रीलंका के संयुक्त प्रयास	Indo-Ceylon Venture For Tea Export	14—16
846. विदेशों में रहने वाले सम्बन्धियों से उपहार-स्वरूप ट्रैक्टर प्राप्त करने की सीमा	Limit on Gift of Tractors From Relations Living Abroad	16—17

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

841. भारत द्वारा विदेशों में औद्योगिक सहयोग	India's Industrial Collaboration in Foreign Countries	17—18

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
847.	भारत अर्थ-मूवर्स लिमिटेड	Bharat Earth-Movers Ltd.	18
848.	अमरीका में भारत के लिये कार्य कर रहे जन-सम्पर्क निकाय	Public Relations Bodies Working For India in U. S. A.	18—19
849.	किसी क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने का मापदण्ड	Criteria For Determining Backwardness of any Region	19
850.	काश्मीर सीमा पर पाकिस्तानी सेना का जमाव	Concentration of Pakistani Troops on Kashmir Border	19
851.	परमानेन्ट मैगनेट्स लिमिटेड के लिये भूमि का अर्जन	Acquisition of Land for Permanent Magnets Limited	20
852.	ईरान के तकनीशनों को प्रशिक्षण	Training to Iranian Technicians	20
853.	भारत लौटने वाले केन्या निवासी भारतियों पर मुद्रा सम्बन्धी प्रतिबन्ध	Currency Restriction on Kenyan Indians coming back to India	20—21
854.	विदेशों में भारतीय दूतावासों के कार्य-संचालन की जाँच	Inquiry into the Working of Indian Embassies Abroad	21
855.	केन्या निवासी भारतीयों के लिये भारत की नागरिकता	Indian Citizenship for Kenyan Indians	21—22
856.	शेख अब्दुल्ला के पारपत्र का नवीकरण	Renwal of Sehikh Abdullah's Passport	22
857.	सेवा-निवृत्त वरिष्ठ अधिकारी को पुस्तकें लिखने के लिए गोपनीय रिकार्ड पढ़ने की अनुमति	Permission to Retired Senior Officers to consult confidential Records for Book-Writing	23
858.	पूर्व पाकिस्तान में अल्प-संख्यक	Minorities in East Pakistan	23—24
859.	ब्रिटेन द्वारा विकर टैंकों की सप्लाई	Supply of Vicker Tanks by U. K.	24
860.	कांडला में निर्बाध व्यापार क्षेत्र	Free Trade Zone at Kandla	24—25
861.	पटसन की वस्तुओं का निर्यात	Export of Jute Goods	25—26

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
862. पाकिस्तान द्वारा श्री त्रिलोक चन्द्र की रिहाई	Release by Pakistan of Shri Trilok Chandra	26
863. प्रादेशिक सेना से निकाले गये कर्मचारी	Employees Released from Territorial Army	26—27
864. यूगोस्लाविया के साथ व्यापार की बकाया धनराशि का स्टर्लिंग मुद्रा में परिवर्तन	Conversion of Yugoslavia's Trade Balance into Sterling	27
865. प्रतिरक्षा सेवाओं में अन्य रैंकों के लिए परिवार आवास	Family Accommodation for other Ranks	27—28
866. दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका के न्यासी राज्य क्षेत्र का प्रशासन	Administration of Trust Territory in S.W. Africa	28
867. पाकिस्तान को अमरीकी शस्त्रास्त्रों की सप्लाई	Supply of U. S. Arms to Pakistan	28
868. झूठे निर्यात	Bogus Exports	29
869. राज्य व्यापार निगम द्वारा कृत्रिम रेशम के धागे का निर्यात	Export of Art Silk Fibers by S. T. C.	29—30
870. कृषि में परिमाणु-शक्ति का प्रयोग	Use of Nuclear Power in Agriculture	30

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

5054. प्रतिरक्षा सम्बन्धी उपकरणों में आत्मनिर्भरता	Self sufficiency in items of Defence Requirements	30—31
5055. वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी समिति का वैज्ञानिक नीति सम्बन्धी संकल्प	Scientific Policy Resolution by Committee on Science ond Technology	31
5056. उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों का विकास	Development of the Hill Districts of U.P.	31—32
5057. करघा मालिकों को टी० सी० परमिट तथा टैक्स मार्क नम्बर जारी करना	Issue of T. C. Permits and Texmark Nos. to Loom-holders	32
5058. कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण	Modernisation of Textile Mills	33

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5059.	हैदराबाद में परमाणु ईंधन उद्योग समूह	Nuclear Fuel Complex in Hyderabad	34
5060.	खाद्य तेल का आयात	Import of Edible Oil	34—35
5061.	सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में ली गई कपड़ा मिलों के प्रबन्ध में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व	Participation of Workers in Management of Textile Mills Taken Over by Government	35
5062.	वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में अधिकारियों की सेवावृद्धि	Extensions to Officers in the Ministry of Foreign Trade and Supply	35—36
5063.	लोह धातु की रद्दी का निर्यात	Export of Ferrous Scrap	37
5064.	कुछ वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध	Ban on Imports of Certain Commodities	37
5065.	कपास का उत्पादन	Production of Cotton	37—38
5066.	फास्ट बीडर अटामिक रिऐक्टर	Fast Breeder Atomic Reactor	38
5067.	विदेशों में भारतीय दूतावासों में कर्मचारी	Staff in Indian Embassies Abroad	38—39
5068.	1962 ने बाद स्थापित आयुध कारखाने	Ordinance Factories set up after 1962	39—40
5070.	बर्मा में विद्रोही नागाओं की गिरफ्तारी	Arrest of Hostile Nagas in Burma	40
5071.	छावनी बोर्ड के कर्मचारियों के लिये नियम	Rules for Cantonment Board Employees	40
5072.	समुद्री उत्पादकों तथा समुद्री खाद्य पदार्थों का निर्यात	Export of Marine Products and Sea-foods	40—41
5073.	चैकोस्लोवाकिया के साथ व्यापार करार	Trade Agreement with Czechoslovakia	41
5074.	पश्चिमी पाकिस्तान से जम्मू तथा काश्मीर को अल्पसंख्यकों का प्रवर्जन	Migration of Minorities From West Pakistan to Jammu and Kashmir	41
5075.	निर्यातकों को कच्चे माल का सम्भरण	Supply of Raw Materials to Exporters	42

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5076.	फोयनिक्स मिल्स लिमिटेड, बम्बई	Pheonix Mills Ltd., Bombay	42—43
5077.	न्यू शरॉक स्पिनिंग एण्ड मैन्यूफेक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, बम्बई	New Shorrock Spinning and Manufacturing Co. Ltd., Bombay	43
5078.	एच०एस० 748 विमान	HS 748 Aeroplanes	43—44
5079.	समुद्र-तल के स्वामित्व के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय कानून सम्बन्धी भारतीय समिति का सम्मेलन	Conference of Indian Society of International Law on Ownership of Sea-beds	44
5080.	दिल्ली के महापौर तथा मुख्य कार्यकारी पार्षद् को गणतन्त्र दिवस समारोह में पीछे स्थान दिया जाना	Allotment of Seat to Mayor and Chief Executive Councillor of Delhi in Republic Day Celebrations.	44—45
5081.	विदेश व्यापार में राजकीय व्यापार निगम का योग–दान	Role of S T C in Foreign Trade.	45
5082.	एकमात्र आदिम जातियों के सैनिकों की बटालियन बनाना	Raising of Battalions Manned Exculsively by Tribals	45—46
5083.	विजयंत टैंक	Vijayant Tanks	46
5084.	गणतन्त्र-दिवस के समारोह में भाग लेने वाले लोक-नर्तकों द्वारा की गयी शिकायत	Complaint From Republic Day Folk Dancers	46—47
5085.	केरल में नारियल जटा से बनी वस्तुओं के लिए निर्यात कार्यालय	Export House in Kerala for Coir and Coir Products	47
5086.	नेफा में 1962 में हुई पराजय के सम्बन्ध में हैंडरसन ब्रुक्स का जाँच प्रतिवेदन	Henderson Brooks Inquiry Report of Nefa Debacle of 1962	48
5087.	एडवर्ड टैक्सटाईल मिल्स	Edward Textile Mills	48
5088.	समुद्र–जन्य खाद्य पदार्थों का जहाजों में लदान	Shipment of Sea-food.	48—49

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5089.	कताई तथा बुनाई क्षेत्र की प्रधिष्ठापित क्षमता का विस्तार	Expansion of Installed Capacity of Weaving and Knitting sector	49
5090.	पटसन उद्योग	Jute Industry	49—50
5092.	दक्षिणी क्षेत्र में सूती कपड़ा मिलों का बन्द होना	Closure of Cotton Mills in Southern Region	50—51
5093.	विदर्भ में कपास के स्टाक का जमा हो जाना	Accumulation of Stocks of Kapas in Vidarbha	51
5094.	चीन के पास रासायनिक तथा जीवाणु-युद्ध के हथियारों के बारे में प्रतिवेदन	Report Re. Chemical and Bacteriological War Weapons with China	51—52
5095.	प्राकृतिक रबड़ की कीमतें	Price of Natural Rubber	52
5096.	रबड़ का उत्पादन तथा उसकी खपत	Production and Consumption of Rubber	52—53
5097.	समाजवादी देशों के साथ व्यापार	Trade with Socialist Countries	53
5098.	पूर्वी जर्मनी को मान्यता	Recognition of East Germany	53—54
5100.	विशेषित चाय पाठ्यक्रम	Specialised Tea Course	54
5101.	केरल में भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड का तीसरा कारखाना	Third Unit of Bharat Electronics Ltd. in Kerala	54—55
5102.	राजकीय व्यापार निगम द्वारा खोले गए प्रदर्शन कक्ष	Show Rooms opened by S. T. C.	55
5103.	इंडोनेशिया के साथ आर्थिक सहयोग	Economic Co-operation with Indonesia	55—56
5104.	चीन के विस्तारवाद का मुकाबला करने के लिए एशियाई सेना	Asian Force to combat Chinese Expansionism	56
5105.	सिडनी में स्थाई व्यापार कार्यालय	Permanent Trade Office in Sydney	56—57
5106.	छावनी बोर्डों का चुनाव	Elections to Cantonment Boards	57
5107.	मध्य प्रदेश में बिजली के करघे	Powerlooms in Madhya Pradesh	57

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5108. मध्य प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों को फिर से बसाना	Rehabilitation of Ex-Servicemen in M.P.	58
5109. श्री कांति देसाई से सम्बद्ध फर्मों को लाइसेंस जारी करना	Issue of Licences to Firm Associated with Shri Kanti Desai.	58
5110. जापान को बौक्साइट का निर्यात	Export of Bauxite to Japan	59
5112. कच्चाटीवु में त्यौहार के लिए परमिट जारी करना	Partcipation in the Issue of Permits for Festival at Kachchativu	59
5113. ऊन का आयात	Import of Wool	59—60
5114. लोह अयस्क की ख़रीदारी में कमी	Reduction in the off-take of Iron ore	60—61
5115. चलचित्रों का निर्यात	Export of Films	61
5116. रूस तथा अरब देशों में भारतीय चलचित्रों का प्रदर्शन	Exhibition of Indian Films Abroad	62
5117. रूस को रेल माल-डिब्बों का निर्यात	Export of Rail Wagons to U. S. S. R.	62—63
5118. राजकीय व्यापार निगम द्वारा विदेशी कारों की बिक्री	Sale of Foreign Cars by S. T. C.	63—64
5119. रूस को रेल माल-डिब्बों की सप्लाई	Supply of Rail Wagons to U.S.S.R.	64
5120. योजना आयोग का समाज योजना विभाग (डिवीज़न)	Social Planning Division of the Planning Commission	64—65
5121. योजना आयोग का समाज योजना विभाग (डिवीज़न)	Social Planning Division of the Planning Commission	65—66
5122. लन्दन में भारतीय उच्चायुक्त के पुत्र पर प्रहार	Assault on the son of the Indian High Commissioner in London	66
5123. देश में बेरोजगार भूतपूर्व सैनिक	Unemployed Ex-servicemen in the Country	66
5124. रबड़ के मूल्य	Prices of Rubber	66—67
5125. आर्थिक मन्त्रालयों का काम	Functioning of Economic Ministries	67
5126. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय	National Sample Survey Directorate	67—68

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5127.	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय का उप-निदेशक	Deputy Director of National Sample Survey Directorate	68
5128.	धमरा पतन (उड़ीसा) में नौवहन प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal to set up a Naval Training Centre at Dhamra Port (Orissa)	68—69
5129.	योजना आयोग द्वारा तामिल नाडू में योजनाओं की क्रियान्विति	Implementation of Schemes in Tamlinadu by Planning Commission	69
5130.	भारत के मार्ग से नेपाल को होने वाला निर्यात	Export to Nepal through India	69—70
5131.	मेरठ के सैनिक प्रक्षेत्र में भूसे को गोदामों में रखने की व्यवस्था	Shortage of Chaff in Military Farms At Meerut	70
5132.	नेपाल में विद्यार्थियों का भारत-विरोधी प्रदर्शन	Anti-Indian Students' Demonstration in Nepal	70
5133.	भारत-ईरान संयुक्त उपक्रमों के बारे में सन्देह	Doubts about Indo-Iranian Joint Ventures	70
5134.	भूतपूर्व सैनिकों को ऋण देना	Grant of Loans to Ex-Servicemen	71
5135.	पुनर्वास अनुभाग में दर्ज भूतपूर्व सैनिक	Ex-Servicemen Registered with Resettlement Section	71
5136.	श्री एस० एस० खेड़ा द्वारा लिखी गई 'इण्डियाज डिफेन्स प्राबलम्स' नामक पुस्तक	Book on 'India's Defence Problem' by Shri S. S. Khera	71—72
5137.	ब्रिटिश सरकार की परामर्श योजना सम्बन्धी दस्तावेज	British Government's Consultative Planning Document	72
5138.	बिहार में परमाणु संयत्र की स्थापना	Setting up of Atmoic Plant in Bihar	72—73
5139.	इसरायल के साथ व्यापार करार	Trade Agreement with Israel	73
5140.	निर्यात व्यापार करने वाले उद्योगपतियों के सम्बन्ध में सरकारी नीति	Government Policy towards Industrialists engaged in Export Trade	73

अतां० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

विषय	SUBJECE	पृष्ठ/PAGES
5141. नौसेना का पहला हेली-काप्टर स्क्वाड्रन	Navy's First Helicopter Squadron	74
5142. भारत में नौसैनिक स्कूल	Navy Schools in India	74
5143. पाकिस्तान के लिए मछली पकड़ने की रूसी नौकाएँ	Russian Fishing Boats for Pakistan	74—75
5144. रूसी ट्रैक्टरों के लिए टायरों और ट्यूबों का आयात	Import of Tyres and Tubes for Russian Tractors	75
5145. अत्यन्त बारीक कपड़ा तैयार करने वाली मिलें	Superfine Cloth Producing Mills	75—76
5146. बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब के सम्बन्ध में चौथी योजना परिव्यय	Fourth Plan Outlays in respect of Bihar, West Bengal, Uttar Pradesh and Punjab	76
5147. पटसन की बनी हुई वस्तुओं का निर्यात	Export of Jute Manufactures	76—77
5148. मरकुण्डी मानिकपुर (उत्तर प्रदेश) में परमाणु बिजली-घर	Atomic Power Station in Markundi-Manikpur (U. P.)	77
5149. सीमाओं पर भारतीय सेना के जमाव के बारे में पाकिस्तान द्वारा लगाया गया आरोप	Accusation made by Paskitan Against Concentration of Indian Troops on Borders	77
5150. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के बच कर भाग निकलने के बारे में नई जानकारी	New Light on Escape of Netaji Subhash Chandra Bose	78
5151. दक्षिण-पूर्व एशिया के आर्थिक मन्त्रियों के सम्मेलन में भारत को शामिल करने से इन्कार किया जाना	Denial of Admission to India in S.E. Asian Economic Ministers' Conference	78—79
5152. हीरों का निर्यात	Export of Diamonds.	79
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	79—84

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
पुरी के शंकरचार्य का वक्तव्य तथा उनके द्वारा राष्ट्र-गान का कथित अपमान	Statement of Shri Shankaracharya of Puri and his reported insult to the National Anthem.	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	84
लोक लेखा सिमित	Fublic Accounts Committee	84—89
उन्सठवाँ प्रतिवेदन	Fifty-nineth Report	
निदेश 115 के अधीन वक्तव्य	Statement Under Direction 115	
बी० ट्विल के मूल्यों पर से नियंत्रण हटाना	Removal of Control on Prices of B. Twill.	
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	
श्री व० रा० भगत	Shri B. R. Bhagat	
संविधान (बाईसवाँ संशोधन) विधेयक से सम्बन्धित नियम 110 के खण्ड (ग) के एक भाग को निलम्बित करने के बारे में प्रस्ताव	Motion regarding suspension of part of clause (c) of Rule 110 in relation to Constitution (Twenty-second Amendment) Bill.	89—90
संविधान (बाईसवाँ संशोधान) विधेयक—वापस लिया गया	Constitution (22nd Amendment) Bill-Withdrawn	
अनुदानों की माँगें	Demands for Grants	90—130
औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्रालय	Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs	तथा 131—133
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया	Shri D. N. Patodia	92
श्री लीलाधर कटकी	Shri Liladhar Kotoki	97
श्री बेणी शंकर शर्मा	Shri Beni Shankar Sharma	117
श्री नाथू राम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar	118
श्री एस० कंडप्पन	Shri S. Kandappan	119
श्री रा० कृ० सिंह	Shri R. K. Sinha	121
श्री के० रमानी	Shri K. Ramani	123
श्रीमती जयाबेन शाह	Smt. Jayaben Shah	125
श्री शिवचन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	126
श्री मृत्युंजय प्रसाद	Shri Mrityunjay Prasad	126
श्री विश्वम्भरन	Shri Vishwanbharan	127

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री प्रेम चन्द वर्मा	Shri Prem Chand Verma	129
श्री बेदब्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua	131
आन्ध्र प्रदेश के तेलंगाना तथा अन्य क्षेत्रों में हाल ही की घटनाओं पर चर्चा	Discussion re. recent Developments in Telanganga and other Areas of Andhra Pradesh	130—131
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	130
आधे घन्टे की चर्चा	Half-an-hour Discussion	
जवानों से विविध कार्य करवाना	Assignment of Miscellaneous jobs to jawans	133—138
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	133
श्री मं० रं० कृष्ण	Shri M. R. Krishna	134

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)

LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 2 अप्रैल, 1969/ 12 चैत्र, 1891 (शक)

Wednesday, April 2, 1969 / Chaitra 12, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Export of Beef and Calf-Leather

\+

*842. **Shri P. M. Sayeed :** **Shri Molahu Prasad:**
Shri Narain Swarup Sharma : **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**

Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to refer the reply given to Unstarred Question No. 4406 on the 19th March, 1968 and state :

(a) whether a ban has been imposed on the export of beef keeping in view the acute shortage of milk in the country and the sentiments of Indian people and farmers towards the cow ;

(b) if so, whether Government are aware of the great utility of the calves to the farmers and the high prices of bullocks ;

(c) whether it is a fact that the amount of foreign exchange which Government have to spend on the import of milk powder and tractors far exceeds the amount of foreign exchange earned by the export of calf-leather ;

(d) if so, whether Government propose to impose a ban shortly on the export of calf-leather and the goods made of calf-leather with a view to removing the acute shortage of milk and milk-products and making good calves available to the farmers ; and

(e) if so, when ?

वैदेशिक व्यपार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :

(क) से (ग) जी, हाँ।

(घ) जी, नहीं, क्योंकि ऐसे कदम से विदेशी मुद्रा के उपार्जन में लगभग 5 करोड़ रुपये वार्षिक की हानि होगी और ट्रैक्टरों के आयात में कोई कमी नहीं होगी; जब तक देश में ट्रैक्टरों का पर्याप्त उत्पादन नहीं होता तब तक उनका आयात करना ही होगा।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री प० मु० सईद : भारत के अधिकांश लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार गोमांस और चमड़े का निर्यात बन्द करने जा रही है?

श्री ब० रा० भगत : जब से अधिकतर राज्यों ने—केरल अपवाद है—छोटे बछड़ों के वध पर प्रतिबन्ध लगा दिया है, गोमांस का निर्यात बन्द किया जा चुका है। देश के बहुमूल्य पशुधन की क्षति न होने देने के लिये यह कदम उठाया गया है। इसलिये चमड़े के निर्यात पर यह प्रश्न लागू नहीं होता है।

श्री प० मु० सईद : पिछले तीन वर्षों के निर्यात सम्बन्धी आँकड़े देखने से ऐसा लगता है कि बहुत कम निर्यात किया गया है। इस देश की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए क्या यह सुनिश्चित करना सरकार की नीति होगी कि इस देश से बछड़ों के चमड़े का निर्यात बन्द किया जाये?

श्री ब० रा० भगत : जनता की भावनाओं को ध्यान में रखा गया है और गोमांस का निर्यात बन्द कर दिया गया है। जहाँ तक चमड़े के निर्यात का सम्बन्ध है, इस चमड़े का निर्यात, जिसे ई० आई ब्रैन्ड चमड़ा कहते है, बहुत कम मूल्य का निर्यात होता है किन्तु कुल 82 करोड़ रुपये के मूल्य के चमड़े और चमड़े के सामान का निर्यात किया जाता है। अधिकतर राज्यों ने छोटे बछड़ों का बध निषिद्ध कर दिया है। इसलिये यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

Shri Ram Swarup Vidyarthi : How much of the exported calf-leather contain the leather of calves who died a natural death and the quantity contained of the leather of slaughtered calves ?

If this leather is necessary for earning foreign exchange, will the Government prefer to export the leather goods manufactured in the country instead of exporting leather ?

Shri B. R. Bhagat : So far as the second part of the question is concerned we are trying to manufacture leather goods in the country in much quantity and then to export it with a view to earn more foreign exchange.

So far as the first part of the question is concerned, it is difficult to give exact figures. But it is a fact that mostly the leather of dead calves is exported. As I have stated that majority of the States---perhaps only the exception of Kerala---have banned the slaughtering of young calves, cows and buffaloes.

श्री जयपाल सिंह : हमारे देश में सबसे अधिक पशुधन है। यदि इनमें से आधे पशुओं का बध कर दिया जाये तो शेष आधे पशुओं को अधिक चारा-पानी खाने को मिलेगा। क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई नीति बनाई है ?

श्री ब० रा० भगत : इस सम्बन्ध में नीति खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा बनाई जाती है। खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने इस प्रश्न पर विचार किया था और राज्यों से सिफारिश की थी कि पशुओं के बध पर प्रतिबन्ध लगाया जाये।

श्री स्वैल : यह स्पष्ट है कि यह प्रश्न पूछने वाले सदस्य न केवल चमड़े के सामान के निर्यात पर प्रतिब्ध लगाना चाहते हैं, अपितु चमड़े का सामान बनाना भी बन्द करना चाहते हैं। क्या सरकार को इस आशय के प्रस्ताव मिले हैं कि चमड़े के जूतों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाया जाये तथा उनके स्थान पर लकड़ी के जूते आदि का प्रयोग किया जाये ?

Shri Vishwa Nath Pandey : India is an agricultural country. Keeping in view the sentiments of the people it is necessary to ban the export of beef. The export of calf-leather is connected with the agriculture. May I know the names of those countries to which the calf-leather is exported and how much foreign exchange is earned thereby ?

Shri B. R. Bhagat : I have already stated in reply to the main question that we earn Rs.5 crores from its export. I have not list of the countries to which it is exported. But as I have already stated that mainly the leather of dead calves is exported as the States have banned the slaughtering of calves. I do not have list of those conutries to which it is being exported.

Shri Ram Gopal Shalwale : May I know whether cow-slaughtering has also been banned in Madras, Bombay and calcutta ?

Three members of the committee, appointed by the Government last year to consider the question of banning cow-slaughter have resigned and some persons have refused to give evidence. May I know whether Government will make an announcement for banning cow-slaughter throughout the country after dissolving this committee.

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न खालों और चमड़े के निर्यात के बारे में है।

Shri Mritunjay Prasad : What is the number of cows and bulls who are slaughtered and also of those cattle who die natural death?

Shri B. R. Bhagat : This question should be addressed to the Ministry of Food and Agriculture.

Shri Shiv Charan Lal : It is a not a fact that India possesses one-fourth of the entire cattle wealth of the world and also produces one-fourth leather of the total quantity produced in the world. Will the Government export leather goods manufactured in the country in stead of exporting leather with a view to earn more foreign exchange ?

Shri B. R. Bhagat : We are tying to do that.

Shri Randhir Singh : Mr. Speaker,it is a regrettable that in order to fetch high prices calves are killed in a very cruel method. Though this comes under the cruelty Act, the law is ignored.

In Nagaland, all the cows except milch cows are slaughtered on a large scale. Will the Government prepare a scheme to stop the cow slaughtering there ?

Shri B. R. Bhagat : It is against the law to kill the calves in such a cruel method and it should be banned. In the majority of the States cow-slaughtering and calf-slaughtering is banned.

श्री ज्योतिर्मय बसु : इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन से इन बातों का पता लगा है कि चमड़े, खालों के निर्यात तथा आयात व्यापार में वास्तविक मूल्य से कम तथा अधिक मूल्य के बीजक बनाये जाते हैं, सरकार का विचार भविष्य में इस प्रकार की बातें रोकने के लिये क्या उपचारात्मक उपाय करने का है ?

श्री ब० र० भगत : वास्तविक मूल्य से कम तथा अधिक मूल्य के बीजक न केवल इस व्यापार में अपितु दूसरे व्यापारों में भी बनाये जाते हैं। इसका केवल एक ही उत्तर है कि इस प्रकार की बातें पूरी तरह रोकने के लिये निर्यात/आयात व्यापार सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना चाहिए। किन्तु इनमें कुछ कठिनाइयाँ हैं। हमने इस व्यापार पर नजर रखने के लिये व्यापार सम्बन्धी सूचना व्यवस्था को मजबूत और व्यापक बना दिया है। रिजर्व बैंक तथा अन्य संस्थाएँ यह कार्य करती हैं तथा इसमें दोषी पाये गये व्यक्तियों को हम दंड देने का प्रयत्न करते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वास्तविक मूल्य से 150 गुना अधिक मूल्य तक के बीजक बनाये जाते हैं। ऐसा लोक लेखा समिति ने कहा है। वैदेशिक व्यापार मंत्री महोदय को स्पष्ट उत्तर देना चाहिए।

श्री एस० कन्डप्पन : अध्यक्ष महोदय, हम इस देश में गाय और पशुओं की पूजा करते हैं किन्तु चारे के लिये उन्हें ईश्वर अथवा शैतान की दया पर छोड़ देते हैं। उनकी मुक्ति उनका बध करके ही हो सकती है। क्या सरकार राज्य सरकारों को यह सलाह देने के लिये तैयार है कि पशुओं के बध पर से प्रतिबन्ध हटाया जाये और बूचड़खाने आधुनिक बनाये जायें तथा देश में उपयोग के लिये तथा निर्यात के लिये गोमांस के उत्पादन में सुधार किया जाये ?

श्री ब० रा० भगत : जी नहीं।

राज्य व्यापार निगम द्वारा धागे का आयात

*843. **श्री सीताराम केसरी** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेशम तथा रेयन कपड़ा उद्योग के प्रमुख संगठनों ने 10 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित करने का प्रस्ताव इस शर्त पर किया है कि कपड़े के निर्यात तथा धागे का आयात का काम राज्य व्यापार निगम के माध्यम से न किया जाय और एक नई योजना आरम्भ की जाये ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हाँ।

(ख) रेशम तथा कृत्रिम रेशम निर्माता संघ द्वारा भेजी गई योजना के अनुसार किसी प्रकार के धागे के रूप में निर्यात के मूल्य के 50 प्रतिशत तक की हकदारी होनी चाहिये, 10 प्रतिशत रंगों, रासायनिक पदार्थ तथा फालतू पुर्जों के लिये और 40 प्रतिशत कताई क्षेत्र द्वारा

अपेक्षित कच्चे माल के आयात के लिये सरकार को अर्पित किया जाये । ऐसी योजना का अभिप्राय उस भूतपूर्व निर्यात संवर्धन योजना को, जिसे अवमूल्यन के बाद समाप्त कर दिया गया था, पुनः लागू करना है । पुरानी निर्यात संवर्धन योजना को पुनः लागू करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है परन्तु पहले से चल रहे निर्यात संवर्धन उपायों की सतत् समीक्षा की जाती है और अधिकतम निर्यातों के लिये सरकार, उद्योग तथा व्यापार, जिसमें रेशम तथा कृत्रिम रेशम निर्माता संस्था शामिल होगी, से प्राप्त सुझावों का ध्यान रखेगी ।

Shri Sitaram Kesri : Mr. Speaker, the silk and Art Silk Manufacturers' Association, in a memorandum submitted to the Ministry of External Trade and Supply have suggested that in case the manufacturers are allowed to export directly instead of exporting their goods through State Trading Corporation the earning of foreign Exchange will be to the tune of Rs.10 crores instead of present earning of Rs.2 or 3 crores only. The foreign exchange is the foundation stone of our progress and the State Trading Corporation has failed in this respect. Keeping all these things in view will the Government allow the silk and silk yarn Association to export their products directly ?

Shri B. R. Bhagat : The main thing is that the country should get the foreign exchange earned by export. But many schemes are such under which export is increased but the net foreign exchange does not increase proportionately alongwith increase in export. The difficulty in this scheme was that total nett earning of foreign exchange was Rs. 3 cores against the export of about Rs. 10 crores in 1963, in 1964 the nett earning was of Rs. 2 crores against the export of Rs. 8 crores and in 1965 the nett earning was Rs. one crores against the export of Rs. 4 crores. It was the reason why the export under the Export Promotion Scheme was stopped. After that the export through the State Tarding Corporation was done as a result of which the nett earning was Rs.3 crores against the export of Rs.3 crores and 18 lakhs and this way we did not suffer any loss. The State Trading Corporation is examining all these things. I agree the export has not increased as it should have but under the scheme prepared for the current year the export of Rs.6 or 7 crores is expected.

Shri Sitaram Kesri : Is it not a fact that the yarn being imported is not of good quality and fine fabric cannot be manufactured from it so that foreign exchange may be earned by it ? Have the traders requested the Government to allow them to import to the extent of 50 percent out of which they would import 45 percent yarn and 5 percent dyes or spare iteme and have these traders put forth the condition that in case they export goods worth more than what they have imported, these goods should be duty-free ?

Shri B. R. Bhagat : So far as the question of import of yarn is concerned, Government have decided that in future it will not be imported because its production in the country has increased. In the year 1967, the production of nylon yarn was 2.3 million Kilogram, and now it has become 5 million Kilogram.

In case any unit would like to import for the purpose of export, its case will be considered.

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : माननीय मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर विचित्र है क्योंकि उससे यह संकेत मिलता है कि निर्यात संवर्धन की समस्त योजनायें रद्द कर दी जानी चाहिये थीं। राज्य व्यापार निगम की धांधलेबाजी के कारण, कपड़े का निर्यात कम होता जा रहा है। एक समय कपड़े का निर्यात प्रति मास 75 लाख रुपये का था परन्तु अब यह घट कर लगभग 20 लाख रुपये रह गया है। रुपये के अवमूल्यन के बाद कपड़े का निर्यात बढ़ने की बजाय कम क्यों हो गया है ? कपड़ा निर्यात संस्था द्वारा दिये गये इस विशिष्ट आश्वासन को ध्यान में रखते हुए कि शुद्ध निर्यात की आय बढ़ जायेगी, सरकार को इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में क्या कठिनाई है ?

श्री ब० रा० भगत : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूँ कि यदि निर्यात संवर्धन योजनाएँ ऐसी हैं कि निर्यात के लाभ अन्य वस्तुओं के आयात से समाप्त हो जाते हैं, तो इसका कोई लाभ नहीं है। नगदी प्रोत्साहन देते समय, हमें कोई न कोई सीमा तो निश्चित करनी हो पड़ेगी। सीमा इस प्रकार से निश्चित की जानी चाहिये कि शुद्ध आय हो और वास्तविक लाभ पहुँचे। कृमित्र रेशम कपड़े पर जब हमने इस कसौटी को लागू किया, तो हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचे थे।

जहाँ तक निर्यात में कमी होने का सम्बन्ध है, अवमूल्यन से पहिले भी निर्यात कम होता आ रहा था। यह 1963 में 10 करोड़ रुपये था और 1965 में घटकर 4 करोड़ रुपये रह गया था। यदि हम आज 3 करोड़ रुपये की राशि की तुलना करते हैं, जो पहिले केवल 1 करोड़ रुपये के मुकाबले शुद्ध आय है, तो कोई भी हानि की बात नहीं है अपितु देश को इससे लाभ है। अतः कोई निर्यात संवर्धन योजना बनाते समय हमें इस बात को ध्यान में रखना पड़ता है।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है। अवमूल्यन के बाद निर्यात के बढ़ने की आशा थी। परन्तु वह कम हो गई है। इसका क्या कारण है ? बुनकरों के विशिष्ट आश्वासन के बावजूद कि विदेशी मुद्रा की आय बढ़ेगी, सरकार को इस योजना को स्वीकार करने में क्या कठिनाई है ?

श्री ब० रा० भगत : उन्होंने योजना में यह सुझाव दिया था कि 50 प्रतिशत मूल्य का निर्यात उन्हें धागे आदि के रूप में दिया जाना चाहिये। उन्होंने 10 प्रतिशत तो रंगों और रसायनों के लिये और 40 प्रतिशत कच्चे माल के आयात के लिये माँगा। इस प्रकार से वे निर्यात से होने वाली समूची धनराशि को खर्च करना चाहते थे। अतः उस योजना से कोई भी वास्तविक लाभ नहीं होता।

श्री दामानी : मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान देश के बाहर बड़े पैमाने पर चोरी-छिपे जाने वाले विस्कोस और रेयन धागे और देश में चोरी-छिपे नायलोन धागे के आयात की ओर दिलाना चाहता हूँ। इस तरह से यह हो रहा है कि जो बुनकर विस्कोस और रेयन धागे का प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें अधिक मूल्य देने पड़ते हैं जब कि नायलोन धागा उद्योग अपने उत्पादन को बेचने में असमर्थ है। सरकार ने तस्कर व्यापार को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्री ब० रा० भगत : यह सच है कि तस्कर व्यापार हो रहा है और वित्त मंत्रालय, सीमा-शुल्क विभाग तथा अन्य सब व्यवस्था यथासंभव इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं ।

Shri Hukam Chand Kachwai : The licences for the import and export of nylon, silk and other kinds of yarn and goods have been issued to those persons who are not conversant with the trade, who do not themseves deal in the trade and they sell ther licences to other persons. Will Government make an enquiry and find out the number of licences issued to those persons in the country who are not themselves dealing in the trade but they are carrying on the trade through others ?

Shri B. R. Bhagat : The suggestion made by the hon. Member will be considered.

श्री को० सूर्यनारायण : क्या सरकार उस योजना को क्रियान्वित करने की कोशिश कर रही है, जिसका कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र में वायदा किया गया था और जिसके अन्तंगत आयात और निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया जाना था और जिसके परिणामस्वरूप हम लाखों रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं और किसानों को अनावश्यक कराधान से बचाया जा सकता है जैसा कि आय व्ययक में प्रस्ताव किया गया है ।

श्री ब० रा० भगत : हम निर्यात व्यापार, विशेषकर आयात व्यापार, को धीरे-धीरे सरकारी क्षेत्र के अन्तंगत ला रहे हैं । यह एकदम नहीं हो सकता क्योंकि यह अत्यधिक प्रतियोगात्मक और दक्षता की बात है और इससे काफी संख्या में लोग अन्तंग्रस्त हैं ।

Shri Satya Narain Singh : The yarn imported from abroad does not reach the weavers direct at reasonable price and they have to purchase the yarn in black market and consequently the goods produced by them for export cost much. Secondly, the cooperatives formed by Government to purchase goods direct from the weavers do not do so. They purchase goods through Mahajans as a result of which these goods become costliar and we are unable to compete in foreign markets. Is any scheme being formulated by the hon. Minister to set this thing right ?

Shri B. R. Bhagat : Under the scheme, there is provision to purchase goods direct from the producer and the producer gets the yarn direct so that our cost of producton of goods may be low. In case there is some lacuna in it, it can be removed.

Shri Shashi Bhushan : Those traders, who are keeping three sets of registers, are dealing in foreign trade. So far as the question of high skill is concerned, can your technicians not run it ? The dealers, who have been given licences, have made false promises to you to increase exports. Will you make an enquiry about these persons ?

Shri B. R. Bhagat : We have been launching prosecutions also against some persons who have violated the import trade control regulations .About high skill, I had here already said that today there is much international competition in technology.

श्री क० रामानी : रेयन धागे के मिलों और सूती कपड़ा मिलों के बीच बहुत अधिक प्रतियोगिता है । क्या ऐसी स्थिति में सरकार का विचार विदेशों से धागे के आयात को पूर्णतया बन्द करने का है जिससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी ?

श्री ब० रा० भगत : इस बात का तो हर समय ख्याल रखना पड़ेगा । यह झगड़ा तो अत्यधिक उन्नत प्रौद्योगिकी, कच्चे माल की नई किस्मों और नयी प्रक्रियाओं के साथ है ।

Shri Tulshidas Jadhav : Do Government contemplate to change the policy when it has accepted the principle of socialistic pattern of society and this work has been entrusted to the State Trading Corporation ?

Shri B. R. Bhagat : No Sir.

Shri Ramavatar Shastri : There are silk producing centres in Bhagalpur in Bihar, in Banaras in Uttar Pradesh and at other places in the country. But the manufacturers of silk fabric there do not get silk yarn properly and in adequate quantity as a result of which there has been crisis at these places. Have Government formed any scheme to remove the difficulties of these persons and if so, the details thereof ?

Shri B. R. Bhagat : The hon. Member is referring to pure silk while this question relates to art silk.

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : आयात और निर्यात व्यापार के राष्ट्रीयकरण के नाम में राज्य व्यापार निगम अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में भी पदार्पण करता जा रहा है। मैं मध्यम आय वर्ग वाले व्यापारियों के बारे में अधिक चिन्तित हूँ जिनको उनकी आजीविका से वंचित किया जा रहा है। क्या आयात/निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय करते समय सरकार उनके हितों को ध्यान में रखेगी ? यह प्रश्न इस वक्तव्य के संदर्भ में विशेष रूप से सुसंगत है कि राज्य व्यापार निगम समस्त औद्योगिक कच्चे माल के आयात को अपने हाथ में ले रहा है।

श्री ब० रा० भगत : मैंने यह कभी नहीं कहा कि आयात अथवा निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है। नहीं ऐसी कोई नीति है। कल जो नीति घोषित की गई है उससे मध्यम वर्ग के निर्यातकों और निर्धन गृहों को बाजार के तरीकों का विकास करने, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता पर नियंत्रण रखने तथा अन्य सब बातों के सम्बन्ध में काफी गुंजाइश मिलती हैं। अतः इस सम्बन्ध में भयभीत होने की कोई बात नहीं है।

Shri Chandrajit Yadav : May I know whether the export policy of the Government has proved a failure, in view of the fact that Government devalued the currency in the vain hope of boosting export and also in view of the fact that Government is allowing imports of such items such as rayon fabrics etc. which are not needed at all and If so, whether Government propose to reorient its policy withh a view to import only those things which are absolutely essential for the progress of the country ?

Shri B. R. Bhagat : I would like to apprise the hon. Member that we are not importing even a single item which is of a luxury nature. We are importing raw materials and components. We have gradually decreased imports and the total import at present are to the tune of only Rs. 1500 crores. The lowest difference in trade balance is in imports. I would also point out that art silk is not a luxury item.

Regarding iron one, as referred by the hon. Members, I would say that the bulk of our iron ore is exported though State Trading Corporation. There is no question of nationalisation of the public sector. It is imply a question of teachnique. We do not incur loss in it. We are not earning as much foreign exchange as we should. There has been a great change in port technology in the past 10 years. We have ships of the capacity of 30 thousand tons while in other countries there are ships of the capacity of 1 lakh tons. The result is that our weaving cost and pit head cost are reasonable but we get less money in export cost. Therfore, we can earn profit only if we master port technique and technology.

श्री सु॰ कु॰ तापड़िया : मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि सरकार और राज्य व्यापार निगम में ऐसे निहित हित हैं जो हमारे संश्लिष्ट धागे के वस्त्रों के निर्यात को बढ़ाने में बाधक हो रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह कसौटी केवल एक वस्तु पर क्यों लागू होती है, अन्य सैंकड़ों वस्तुओं पर क्यों नहीं लागू होती जिनका इस देश से निर्यात किया जाता है। जब हमने निर्यात पर एक प्रश्न पूछा था, तो संसद् को गलत आँकड़े क्यों दिये गये थे? दिसम्बर, 1967 में तत्कालीन वाणिज्य मन्त्री, श्री दिनेश सिंह, ने इस सभा में कहा था कि कनाडा का दौरा करने वाले विक्रय एवं अध्ययन दल ने 5·7 करोड़ रुपये के निश्चित क्रयादेश प्राप्त किये थे। जब मार्च, 1968 में इन आँकड़ों पर आपत्ति उठाई गई, तो तत्कालीन उपमन्त्री, श्री कुरेशी, ने कहा था कि निश्चित क्रयादेश 2·3 करोड़ रुपये के थे और अनिश्चित क्रयादेश 3·7 करोड़ रुपये के थे। वस्तुतः निर्यात लगभग 70 लाख रुपये का था। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि निश्चित आदेशों की शेष राशि का क्या हुआ जो कि सभा में बताये गये अनुसार दल ने प्राप्त किये थे और जिन अधिकारियों ने गलत जानकारी दी और जिन मन्त्रियों ने सभा में गलत वक्तव्य दिये, उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी?

श्री ब॰ रा॰ भगत : मेरे पास इस समय इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं इसकी जाँच करूँगा।

Prices, Cost and Tariff Commission

\+
844. **Shri Jagannath Rao Joshi : Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Brij Bhushan Lal : Shri Ram Gopal Shalwale:

Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether a "Prices, Cost and Tariff Commission" is being established on a statutory basis ; and

(b) if so , its aims, scope and the deails regarding selection of the members ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (**Shri Chowdhary Ram Sewak**) (a) and (b) The Administrative Reforms Commission, in its Report on Economic Administration, has recommended the abolition of the Tariff Commission and the setting up in its place of a "Commission on Prices, Costs and Tariff". A statement showing the aims, scope and membership recommended by the Administrative Reforms Commission for the porposed new body is placed on the Table of the Sabha. The recommendations are under the consideration of Government.

STATEMENT

Extracts from the Report on Economic Administration of the Administrative Reforms Commisson.

Recommendation No. 17 (1) A Commission to be known as the " Commission on Prices, Costs and Tariff" should be set up by law for undertaking the following functions :

(a) determination of prices of industrial products and industrial raw materials and intermediates with a view to assisting the Government in evolving a rational price policy ;

(b) conducting studies on the costs of production of selected industrial products and locating the areas in which reductions in costs are feasible and necessary and making recommendations for the achievement of such reduction ; and

(c) conducting inquiries relating to tariff protection and making recommendations to Government on the basis of such inquiries.

(2) The Commission will conduct inquiries and studies either on a requisition being made by Government on or its own motion after obtaining the concurrence of Government. It should also assist the Planning Commission in carrying out studies relating to prices and cost.

(3) The Commission should be invested with the powers similar to those enjoyed by the Commission of Inquiry apointed under the Commissions of Inquiry Act, 1952.

(4) The Tariff Commission should be abolished after this Commission is set up, and its staff should be absorbed in the new Commission.

Recommendation No. 18

(1) The Commission should have seven full-time members.

(2) It should adequately be staffed with experts who are required for the due discharge of its functions. Thus the staff of the existing Tariff Commission, the staff of the Cost Accounts organisation of the Ministry of Finance and the Directorate General of Technical Development may be drawn upon.

(3) The Chairman of the Commission should, preferably, be a non-official with high competence and ability.

(4) Two of the Members should be technologists ; two of them should be drawn from the field of economists, chartered and cost accountants and management experts ; one member should represent consumers' interests and one should be a Trade Union representative.

(5) The Directorate General of Technical Development and the Chief Economic Adviser should be associated with the work of the Commission. They will, however, not be members of the Commission.

Shri Jagannath Rao Joshi : Mr. Speaker, Sir, the hon. Minister has repeated the same reply which was given in November, 1968 in reply to a starred question. The hon. Minister has said today that the Administative Reforms Commission has given certain suggestions on Economic Administration which are under their consideration. As I have said the same reply was given four months ago. I want to know the time by which a decision is likely to be taken on the recommendation of establishing a "Prices, Cost and Tariff Commisison".

Shri Chowdhary Ram Sewak : We hope to take a decision in this regard very soon and the same will be laid on the Table.

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : महोदय, इस सम्बन्ध में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। ये तीनों विषय अर्थात् मूल्य, लागत और प्रशुल्क पहले ही प्रशुल्क आयोग के निदेश पदों में शामिल हैं और जब कभी कोई विशिष्ट मामला उनके पास भेजा जाता है, वे कीमत तथा प्रशुल्क दोनों बातों की जाँच करते हैं। जहाँ तक लागत का सम्बन्ध है यह मामला पूर्णतया उनके क्षेत्राधिकार में नहीं है, परन्तु प्रशुल्क आयोग इसकी भी जाँच कर सकता है। अतः ये मामले विचाराधीन हैं।

Shri Jagannath Rao Joshi : I would like to draw the attention of the hon. House to the observations made by the Administrative Reforms Commission in their Report. The Commission is of the view that the present state of affairs is a result of lack of a comprehensive and definite price fixing policy. The Commission has said, "The entire field is subjected to so many pressures and pulls of the interested groups that the emerging pattern has no ralationship whatsoever to the underlying economic forces and the growing needs of the economy.

Secondly, the Government does not give due consideration to the suggestions made by Tariff Commission. The Administrative Reforms Commission has said "Hardly any attention is being paid to the recommendations and more often than not it is being by-passed by the Government".

Due consideration is not given to the suggestion made by the Tariff Commission. The Administrative Reforms Commission in its report has recommended the constitution of a Prices, Cost and Tariff Commission so that a comprehensive price-fixing policy may be adopted. Today there is no relation between the prices of farm products and that of industrial products and the result is that the farmers are facing difficulties. The Government has again repeated the same reply that the recommendations are under consideration. But for how long they will be under consideration ? In the Government parlance, it can take any number of years. So I would like the Minister to specifically fix a certain date.

Shri B.R. Bhagat : The hon. Minister has raised a very sensible question. There should be an integrated way of fixing the prices. As there is an Agricultural Prices Commission, likewise there should be a Commission for fixing the prices of other products. The Tarrif Commission has been recently constituted. The Administrative Reforms Commission has given a suggestion for a new Tariff Commission. It is a formal suggestion. Actually the need of the hour is that there should be an informal body like that of Agricultural Prices Commission for giving suggestions to the Government in regard to integrated price structure of other items. It is a complicated question, because it is connected with the Ministry of Industry, Ministry of Foreign Trade and the Ministry of Economic Affairs. This question is being examined by the concerned Ministries and we are thinking to step up a Commission on the lines of Agricultural Prices Commission, which may give suggestion in an intgrated way on price-structure.

Shri Brij Bhuhan Lal : What is the poicy of the Government in regard to price control, whether they want to have more control over prices or they favour decontrol ? You have decontrolled cement and you have decontrolled paper. Certain items are decontrolled whereas Commission is set up for continuing control on certain items and the reports of the Commission are being received. I would like to know the commodities which would be referred to the Commission and on which control will be imposed ?

Shri B. R. Bhagat : Our policy regarding control is very clear. We want to raise production. The reason behind decontrolling and delicensing is to have increased production and wherever it has been done it has been done keeping this in view. It is obvious that the increase in production will result in decrease in prices of manufactured goods. The cost of production will also come down. So far as the question of Tariff Commission is concerned whenever a specifc issue is received it is sent to them and they examine the question of prices as well as tariffs.

Shri Ram Gopal Shalwale : How many members will be there in this Board and how many of them will be officials and how many non-officials ?

Secondly, I want to say that formerly many articles of daily use were used to be imported and thev were sold at cheap rates. But when those very articles were manufactured in this country their prices went up. I want to know the basis on which their prices had been fixed ? I want to know whether the prices are fixed arbitrarily by the manufacturers or they are fixed with the permission of Government ? I want to know the basis on which the Members of Tariff Commission are selected, what is their professional experience and whether all of them are Government Officers or whether some honest non-offiicials are also selected ?

Shri B. R. Bhagat : There are both types of Members *i.e.* whole-time as well as part-time.

श्री चेंगल राया नायडू : मैं यह जानना चाहता हूँ कि कृषि मूल्य निर्धारण आयोग के कितने सदस्य कृषक हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर तो कृषि मन्त्री देंगे।

श्री चेंगल राया नायडू : मूल्य निर्धारण के लिये परामर्शदात्री समितियाँ नियुक्त की जाती है। चाहे यह सीमेंट का मामला हो अथवा किसी अन्य वस्तु का, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सम्बन्धित वस्तु के विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाता है अथवा ऐसे ही नियुक्तियाँ कर दी जाती हैं ?

श्री ब० रा० भगत : कृषि मूल्य आयोग एक विभिन्न विषय है।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : भारत में कृषि वस्तुओं तथा औद्योगिक वस्तुओं के मूल्य में भारी बिषमता है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस सिद्धान्त को मानती है कि इनके मूल्यों में समानता होनी चाहिए और यदि हाँ, तो क्या प्रशुल्क आयोग को कहा जायेगा कि मूल्य निर्धारित करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाये ? प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश में भी उक्त आयोग में कृषकों का प्रतिनिधि नियुक्त करने का सुझाव नहीं दिया गया है हालांकि उपभोक्ताओं तथा कार्मिक संघों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति की सिफारिश की गई है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस समय प्रशुल्क आयोग को यह कहने को तैयार है कि दोनों मूल्य में समानता रखी जाये ? जब इस आयोग का गठन किया जायेगा, क्या इसमें कृषकों का भी एक प्रतिनिधि रखा जायेगा ?

श्री ब० रा० भगत : सरकार तथा नीति बनाने वाले अधिकारी चाहे वह योजना आयोग हो अथवा मन्त्रिमन्डल अथवा कोई विभाग, हमेशा इस बात को ध्यान में रखते हैं कि कृषि वस्तुओं तथा अन्य वस्तुओं के मूल्यों में समानता रखी जाये। इस सिद्धान्त को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का कोई प्रश्न नहीं है। यदि आप देश का योजनाबद्ध विकास करना चाहते हैं तो दोनों क्षेत्रों के मूल्य ढाँचे को इस तरह रखना होगा कि एक का एक दूसरे पर कुप्रभाव न पड़े। परन्तु इसको औपचारिक रूप देना और एक औपचारिक संगठन को इसके लिये उत्तरदायी बनाना कठिन है। इसे अनौपचारिक आधार पर ही जारी रखना होगा। जब कभी प्रशुल्क आयोग किसी प्रश्न की जाँच करता है उस समय वह–कृषि वस्तुओं तथा विभिन्न अन्य मूल्यों के सामान्य ढांचे को भी ध्यान में रखता है। परन्तु इसके लिये किसी संगठन को उत्तरदायी बनाना बहुत कठिन है।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : मैंने कहा था कि प्रस्तावित आयोग के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश में यह सुझाव नहीं दिया गया है कि उस निकाय में कृषकों का प्रतिनिधि भी रखा जाये। क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

श्री ब० रा० भगत : यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री स० मो० बनर्जी : आयोगों के गठन के बारे में हमारा बहुत कटु अनुभव है। उपलब्ध आँकड़ों से यह पता चलता है कि अब उत्पादन में वृद्धि हुई है। इसके अनुसार उत्पादन लागत में कमी होनी चाहिये थी। परन्तु दैनिक उपयोग की प्रत्येक वस्तु के मूल्य दिन-प्रति–दिन बढ़ते जा रहे हैं। मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूँ कि आयोग द्वारा अपना काम पूरा किये जाने के बाद तथा प्रतिवेदन पेश किये जाने के बाद सरकार के पास कौन-सी ऐसी व्यवस्था है जिससे वह यह सुनिश्चत कर सके कि औद्योगिक उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि न की जाये। आयोग में सात पूर्णकालिक सदस्य होंगे। उनमें से दो व्यक्ति तकनीकी विशेषज्ञ होगें, दो व्यक्ति अर्थशास्त्रियों, लेखा परीक्षकों तथा प्रबन्ध विशेषज्ञों में से लिये जायेंगे, एक व्यक्ति उपभोक्ताओं के हितों का प्रतिनिधि होगा और एक व्यक्ति कार्मिक संघों का प्रतिनिधित्व करेगा। मुझे खुशी है कि इसमें कार्मिक संघों के प्रतिनिधि को शामिल किया गया हैं परन्तु मुझे यह भय है कि इसमें केवल इन्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन, जो कि कांग्रेस के नियंत्रण में है, के प्रतिनिधि को शामिल किया जायेगा तथा अन्य कार्मिक संघों को प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होगा। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या कार्मिक संघों के दो प्रतिनिधियों को लिया जा सकता है ताकि यदि एक सरकार के हितों को प्रतिनिधित्व करे तो दूसरा श्रमिकों के वास्तविक हितों का प्रतिनिधित्व कर सके ?

श्री ब० रा० भगत : प्रतिनिधित्व तथा संचरना सम्बन्धी इस मामले की कि श्रमिकों अथवा किसानों को प्रतिनिधित्व दिया जाय अथवा नहीं सरकार द्वारा जाँच की जा रही है।

श्री स० मो० बनर्जी : महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। आयोग की नियुक्ति के बाद मूल्यों में वृद्धि हो सकती है। यदि मूल्य में वृद्धि होती है तो आयोग नियुक्त

करने का कोई लाभ ही नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसा तंत्र बनाया जायेगा जो यह सुनिश्चित करे कि आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त होने तक मूल्यों में वृद्धि न हो। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या एक की बजाय श्रमिकों के दो प्रतिनिधि लिए जायेंगे ?

श्री ब० रा० भगत : यह तो कार्यवाही के लिए एक सुझाव है। हम इसकी जाँच करेंगे।

श्री लोबो प्रभु : प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन प्रथमतया सांख्यिकीय जानकारी प्राप्त करने और फिर उस सांख्यिककीय जानकारी के आधार पर लागत का विनियमन करने से सम्बन्धित है। मैं सभा को सूचित करना चाहता हूँ कि वे सांख्यिकीय जानकारी का इस प्रकार समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं जैसे कि कोई शराबी शराब के नशे में लैम्प-पोस्ट का रोशनी के लिए बल्कि अन्य प्रयोजनों के लिये सहारा लेता है। भारती सांख्यिकीय संस्थान ने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, वह बहुत आलोचनात्मक है। फिर लगभग प्रत्येक मन्त्रालय में सांख्यिकीय विभाग है, किसी में बड़ा है तो किसी में छोटा। इस लिये क्या आप एक अन्य सांख्यिकीय संगठन स्थापित करने से पहले वर्तमान सांख्यिकीय संगठनों के एकीकरण पर विचार करेंगे और इससे अधिक लाभ उठायेंगे। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरे माननीय मित्र मूल्यों का विनियमन करना चाहते हैं। मैं मन्त्रालय से यह जानना चाहता हूँ कि मूल्यों का सबसे अच्छा विनियमन प्रतिस्पर्धा नहीं है और यदि हाँ, तो नहीं है क्या वे अर्थ व्यवस्था को नियंत्रणों से मुक्त करने के प्रश्न पर विचार करेंगे ताकि मूल्यों का अच्छे से अच्छा विनियमन हो सके ?

श्री ब० रा० भगत : महोदय मुझे खेद है कि मैं माननीय सदस्य के प्रश्न को नहीं समझ सका हूँ।

श्री लोबो प्रभु : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या एक अन्य सांख्यिकीय संगठन स्थापित करने के बजाय वर्तमान सांख्यिकीय संगठनों का एकीकरण किया जायेगा ? दूसरे मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या नियंत्रणों को हटाया जायेगा ताकि प्रतिस्पर्धा के आधार पर मूल्यों का विनियमन हो सके ?

श्री ब० रा० भगत : यह ठीक है। जहाँ तक सांख्यिकीय संगठनों का सम्बन्ध है प्रत्येक मामले का केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा समन्वय किया जाता है और मन्त्रिमन्डल द्वारा उस पर विचार किया जाता है। जहाँ तक मूल्य नियंत्रण का सम्बन्ध है, जैसा कि मैंने बताया है, हम एक व्यावहारिक नीति पर चल रहे हैं। जहाँ नियंत्रणों की जरूरत है वहाँ हम नियंत्रण लगाते हैं और जहाँ इनकी जरूरत नहीं है, वहाँ इन्हें हटा दिया जाता है। हमारा उद्देश्य उत्पादन में अधिकाधिक वृद्धि करना और लागत में कमी करना है।

Indo-Ceylon Venture for Tea Export

*845. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the **Minister of Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) how far the Indo-Ceylon joint venture for the export of tea has proved effective ;

(b) whether any further improvement is still expected in it ; and

(c) whether some terms have been mutually agreed to by both the countries in this regard ?

The Minister of Foreign Trade and Supply (Shri B. R. Bhagat) : (a) to (c) The Working Groups of India and Ceylon constituted as a result of Indo-Ceylon Tea Talks held between the 31st May and 6th June, 1968 at New Delhi have submitted their reports for setting up of an Indo-Cyelon Tea Consortium. The reports are under consideration of the respective Governments.

Shri Prakash Vir Shastri : There is no doubt that we have ancient cultural and other relations with Ceylon. So keeping this view that both the countries should have co-operation in improving their trade. I want to know whether some attempts have been made to increase the consumption of Indian tea to foreign countries after this agreement and whether some attempts were made in that direction even before that. The fact is that the the consumption of Indian tea in foreign countries has not increased. I want ro know the main difficulties in this regard ?

Shri B. R. Bhagat : The quatnity-wise consumption of tea has increased. But the unit value price of tea is falling all the world over and that is a matter of deep concern for India and Ceylon because we are the largest exporter of tea. We want to have unit value price of tea so that we may earn sufficient foreign exchange . This is an important matter and we are considering over it.

Shri Prakash Vir Shastri : You have to take the final decision on the report received from Cylon. I want to know those points of the report on which you have to not so far been able to take decision ?

The tea gardens are mainly in Assam. Is is not a fact, that some of the owners of these gardens are foreigners and they indulge in anti-national activities and if so, I would like to know the steps that are being taken to nationalise those gardens ?

Shri B. R. Bhagat : The reports of both the Governments have been received. Both Governments have expressed their view points. Two meetings hve already been held and a third meeting is going to be held on the 14th or 15th of this month. We are trying to have early decision.

Shri Prakash Vir Shastri : What about Assam ?

Shri B. R. Bhagat : There are tea gardens in Assam and they have substantial in-interest in them.

Shri Prakash Vir Shastri : My question was whether you had got any information that the foreigners who owned tea gardens in Assam were indulging in anti-national activities ? I want to know whether any steps have been taken to curb these anti-national activities ?

Shri B. R. Bhagat : It is the duty of the Home Ministry to curb the anti national activities and I think that that Ministry is performing its duties well.

श्री श्रद्धाकर सूपकार : यद्यपि भारत तथा लंका चाय के सबसे बड़े उत्पादक हैं तथापि चाय का व्यापार मुख्यतया लंदन के नियन्त्रणाधीन है । मैं जानना चाहता हूँ कि इस व्यापार का पूर्णतया भारतीयकरण करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री ब० रा० भगत : हम लन्दन पर निर्भर होने के बजाये कलकत्ता में धीरे-धीरे नीलामी की व्यवस्था कर रहे हैं। हम चाय के विपणन तथा पैकिंग के भी अपने प्रबन्ध कर रहे हैं।

Limit on Gift of Tractors from Relations living abroad

*846. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the **Minister of Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether Government have laid down a limit of 1000 tractors in the matter of sending tractors by the people in foreign countries to their relations in India as gifts ;

(b) whether there is a probable shortage of 20,000 tractors in the country taking into account the imports and also indigenously manufactured tractors ; and

(c) if so, the reasons for laying down this limit of 1,000 tractors only ?

The Minister of Foreign Trade and Supply (Shri B. R. Bhagat) : (a) and (c) A limited number of tractors is being allowed to be imported as gifts from relations living abroad on experimental basis.

(b) The present estimated shortage is of 15,000 tractors for which arrangements for imports have been made.

Shri Maharaj Singh Bharati : The hon. Minister has said that the present estimated shortage is of 15,000 tractors. But according to the Ministry of Agriculture there is a shortage of 90,000 tractors. The total production capacity of all the units is 15,000. The hon. Minister has also stated that he is not going to import more than 15,000 tractors. So there is a vast difference between demand and supply. There is demand for 90,000 tractors and the supply is for 30,000 only. So there is a difference of 60,000 between the demand and supply. I want to know the basis on which he has stated that the present estimated shortage is for 15,000 tractors only.

Shri B. R. Bhagat : I agree that there is huge shortage of tractors. The immediate needs will be met with the import of 15,000 for which attempts are being made. We cannot import 90,000 tractors.

Shri Maharaj Singh Bharati : He is not aware of the demand and supply. So I leave this question.

In all the countries of the world and in our country also to establish more units for manufacturing cars so that their cost of production may come down and the consumers may got more facilities. But another policy is being followed in regard to tractors. Four thousand tractors are being manufactured in one unit and five thousand in another. I want to know why large units with a production capacity of 50,000 tractors are not being set up, so that large scale production may be there and cost of production also may come down ?

Shri B. R. Bhagat : There is a proposal to establish an unit in public sector of manufacturing 20 horse-power tractor.

Shri Maharaj Singh Bharati : How many tactors will be produced—50,000 ?

Shri B. R. Bhagat : There is a proposal to establish an unit in Public Sector. Its capacity has not yet been decided. It may be even more than 50,000.

श्री ... ओरांव : हमारी नीति गुट-निरपेक्षता की है और इसके परिणामस्वरूप संसार में हमारे बहुत से मित्र होने चाहिये। हमें पिछले कुछ वर्षों में कई अभूतपूर्व सूखों का सामना करना पड़ा है। इससे भूखमरी के बहुत से मामले हुए हैं तथा संसार भर में हमारे मित्रों को इस बात की जानकारी है। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने अपने मित्र देशों से उपहार के रूप में ट्रैक्टर प्राप्त करने के प्रयत्न किये हैं ताकि देश में 20,000 ट्रैक्टरों की कमी की कठिनाई को सुलझाया जा सके ?

श्री ब० रा० भगत : मैं किसी देश से उपहार प्राप्त करने के विरुद्ध हूँ। इससे राष्ट्रीय सम्मान में वृद्धि नहीं होती है।

Shri Om Prakash Tyagi : There is much demand for tractors in the country and the Indians living abroad want to send tractors to their relatives in India. No foreign exchange is involved in it. On the other hand it will be in our own interest to have tractors as gifts, because our agricutural production will go up. So I want to know the basis on which permission has been given for sending one thousand tractors only and whether Government wants to increase this ceiling because there is no harm in doing so ?

Shri B .R . Bhagat : I have already said that at present 1,000 tractors are being allowed to le imported as gifts on experimental basis. This will be further later on.

Shri Om Prakash Tyagi : I have said that no foreign exchange is involved. There is much demand for tractors.The import of tractors will be helpful for our agriculture. Even then why a ceiling of one thousand has been fixed. Does Government want to increase this number ?

Shri B. R. Bhagat : It is not correct to say that no foreign exchange is involved. Perhaps there might be no foreign exchange under the conditions we have imposed, but if these conditions are removed , certainly foreign exchange will be spent. So presently we have given permission for 1,000 tractors only. We will see later on.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

भारत द्वारा विदेशों में औद्योगिक सहयोग

*841. श्री रा० की० अमीन : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक विकास के क्षेत्र में कई देशों में भारतीय सहयोग की बड़ी माँग है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रकार के सहयोग का ब्यौरा क्या है तथा किन-किन उद्योगों में सहयोग की अधिक माँग हैं ;

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) भारतीय सहयोग से विदेशों में औद्योगिक उद्यम स्थापित करने के लिये पहल अभी तक अधिकांशतः भारतीय उद्यमकर्ताओं की ओर से हुई है। अब कुछ समय से अधिकाधिक भारतीय उद्योगपति विदेशों में सहयोग के प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं।

(ख) सरकार ने विदेशों में संयुक्त औद्योगिक उद्यमों में शामिल होने के लिये भारतीय पक्षों के अभी तक 78 प्रस्तावों का अनुमोदन किया है। इनमें विभिन्न प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं जैसे कि वस्त्र, हल्के इंजीनियरी माल, एस्बेस्टोस सीमेंट के उत्पाद, साबुन, हार्डबोर्ड, कार्क उत्पाद, भेषज आदि। इनमें वस्त्र उत्पाद तथा हल्के इंजीनियरी माल प्रमुख रूप से हैं।

भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड

*847. श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी और उसके उद्देश्य क्या थे ;

(ख) क्या कारखाने स्थापित करने के लक्ष्य परियोजन के प्रतिवेदनों के अनुरूप हैं और उनके उत्पादन और विकास सम्बन्धी लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये हैं और यदि हां तो कब और कैसे और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ;

(ग) क्या इस कम्पनी को स्थापित करने के लिये कोई विदेशी सहयोग प्राप्त किया गया था और यदि हाँ, तो सहयोग करने वाले देशों के नाम क्या हैं, सहयोग की शर्तें क्या हैं और सहायता के रूप में कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई थी ;

(घ) इस समय इस कम्पनी द्वारा कितनी और किन-किन वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है और क्या ये वस्तुयें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की हैं और यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों में उत्पादन और बिक्री के आँकड़े क्या हैं और इनमें से कितनी वस्तुओं का निर्यात किया गया है ; और

(ङ) क्या इस समय कम्पनी को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित नारायण मिश्र) :

(क) से (ङ) : एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 590/69]

अमरीका में भारत के लिए कार्य कर रहे जन-सम्पर्क निकाय

*848. डा० रानेन सेन : श्री सी० जनार्दनन :

श्री रामावतार शास्त्री : श्री ईश्वर रेड्डी :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री 13 नवम्बर, 1968 के अन्तर्राकित प्रश्न संख्या 512 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका में भारत के लिए कार्य कर रहे विभिन्न जन-सम्पर्क निकायों के कार्य का मूल्यांकन इस बीच पूरा कर लिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) :

(क) और (ख) विदेश मंत्रालय का सम्बन्ध सिर्फ वाशिंगटन स्थित राजदूतावास और न्यूयार्क तथा सान फ्रांसिसको स्थित प्रधान कोंसलावासों के नियमित सूचना और जन-सम्पर्क यूनिटों से है।

उनकी समीक्षा और आकलन एक बराबर चलने वाली प्रक्रिया है। मोटे तौर पर सरकार इन संगठनों के कार्य से संतुष्ट है।

किसी क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने का मापदण्ड

*849. श्री रा०कृ० सिंह : क्या प्रधान मंत्री 11 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4153 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने के लिये कृषि मजदूरों समेत ऐसे कुछ मजदूरों की न्यूनतम प्रतिशतता क्या है जो कृषि-कार्य में लगे हुए हैं ; और

(ख) इस आधार पर कितने क्षेत्र पिछड़े क्षेत्र घोषित किये गये हैं ?

प्रधान-मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी) :

(क) और (ख) यद्यपि कृषि मजदूरों का अनुपात उन सूचकों में से एक है जिनके बारे में योजना आयोग ने किसी क्षेत्र के पिछड़ेपन का निश्चय करने में ध्यान में रखने का सुझाव दिया है। परन्तु इस सम्बन्ध में खास न्यूनतम का निश्चय करना आवश्यक नहीं समझा जाता। न ही यह कसौटी पिछड़ेपन का निश्चय करने के लिये अन्तिम परीक्षण के रूप में है। तदनुसार भाग (ख) का प्रश्न नहीं उठता। 19 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

काश्मीर सीमा पर पाकिस्तानी सेना का जमाव

*850. श्री गाडिलिंगन गौड :　　　　श्री रामावतार शर्मा :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने जम्मू तथा काश्मीर में युद्ध-विराम रेखा के साथ-साथ पाँच सौ मील लम्बी सीमा में हाल ही में बड़ी संख्या में अपनी सेना जमा कर ली है ; और

(ख) यदि हाँ, तो सीमा की रक्षा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) और (ख) पाकिस्तानी सेनाएँ युद्ध-विराम रेखा के साथ अपनी यथापूर्व शक्ति में विद्यमान हैं। इस स्थिति में हाल में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। युद्ध-विराम रेखा पर हमारी सुरक्षा सेनाओं द्वारा गश्त जारी है।

परमानेन्ट मैगनेट्स लिमिटेड के लिए भूमि का अर्जन

*851. श्री मधु लिमये : श्री बाबूराव पटेल :

क्या प्रधान मंत्री परमानेन्ट मैगनेट्स के लिये भूमि के अर्जन के बारे में 18 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5026 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सस्ते मकान बनाने के हेतु एक मंत्री के लड़के के नियंत्रणाधीन कम्पनी के लिए अर्जित की गई भूमि की बिक्री और उस पर से आदिवासियों की बेदखली के बारे में जाँच का आदेश देने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) :

(क) और (ख) जैसा कि इस सदन में 18 दिसम्बर, 1968 को अतारांकित प्रश्न संख्या 5026 के उत्तर में बताया जा चुका है, यह मामला महाराष्ट्र सरकार के अधिकार-क्षेत्र में आता है, और भारत सरकार इस विषय में कोई जाँच आवश्यक नहीं समझती ।

ईरान के तकनीशनों को प्रशिक्षण

*852. श्रीमती इला पालचौधरी : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और ईरान के बीच एक समझौता हुआ है जिसके अनुसार भारत 500 से अधिक ईरानी तकनीशनों को ईरान सरकार के इस्पात कारखानों के लिये प्रशिक्षित करेगा ; और

(ख) यदि हाँ, तो समझौते का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) :

(क) और (ख) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड और नेशनल ईरानियन स्टील कार्पोरेशन के बीच दिसम्बर, 1968 में जो करार हुआ था उसमें मार्च, 1969 और सितम्बर, 1971 के बीच 509 ईरानी कर्मचारियों को, भारत के इस्पात संयन्त्रों में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। इनमें पर्यवेक्षी तथा तकनीकी कर्मचारी और श्रमिक भी शामिल हैं ।

भारत लौटने वाले केन्या निवासी भारतीयों पर मुद्रा सम्बन्धी प्रतिबंध

*853. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्या द्वारा लगाये गये 'करेंसी' विनिमय नियन्त्रण प्रतिबन्ध केन्या में रहने वाले भारतीयों के भारत में बसने के लिए लौटने में बाधक सिद्ध हो रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार ने केन्या सरकार के साथ यह मामला उठाया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) :

(क) कीनिया सरकार ने उन लोगों पर, जो कीनिया से प्रव्रजन करते समय कीनिया के नागरिक नहीं हैं, उन पर पूंजी स्थानान्तरित करने के सिलसिले में जो प्रतिबन्ध लगाये हैं, भारत सरकार को उनकी जानकारी है।

(ख) और (ग) आर्थिक कार्यकलापों में अपने राष्ट्रिकों को प्रोत्साहन देने की कीनिया सरकार की इच्छा का सम्मान करते हुए, सरकार उन भारतीय राष्ट्रिकों की सहायता करने का भरसक प्रयत्न करेगी, जो भारत लौटने के इच्छुक हैं।

विदेशों में भारतीय दूतावासों के कार्य-संचालन की जांच

*854. श्री क० लकप्पा : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में ऐसे भारतीय दूतावासों के कार्यालय की, जिनके कार्य-संचालन के बारे में गत दो वर्षों में निरीक्षण एककों द्वारा जांच की जा चुकी है, संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं;

(ख) उनमें किन-किन अनियमितताओं का पता लगा है; और

(ग) इन अनियमितताओं से सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है।

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) :

(क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

गत दो वर्षों के दौरान विदेश सेवा निरीक्षणालय ने भारत के जिन मिशनों का दौरा किया है उनके नाम और उनकी संख्या इस प्रकार है :—

1967—लन्दन, बुडापेस्ट, पेरिस, स्टाकहाम, हांगकांग, टोकियो, कोबे और रंगून स्थित भारतीय मिशन।

1968—केनबेरा, सिडनी, वेलिंगटन, सूवा, मनीला, सिंगापुर, नीम पेन्ह, काठमांडू, कराची, इस्लामाबाद, थिम्पू और गंगतोक स्थित भारतीय मिशन।

कतिपय कार्य-प्रणाली और तकनीकी अनियमितताएं विदेश सेवा निरीक्षकों की जानकारी में आयी थीं। इन साधारण अनियमितताओं को दूर करने के लिए कार्रवाई की गई है।

Indian Citizenship for Kenyan Indians

*855. **Shri Om Prakash Tyagi :** **Kumari Kamala Kumari :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that British Citizenship was adopted by the Indian living in Kenya during the British regime there under instructions from Shri Apa Sahib Pant, former Indian High Commissioner in Kenya ;

(b) whether it is also a fact that a majority of the Indians living there want to adopt Indian citizenship, but they are not in a position to come to India along with their entire family for obtaining Indian citizenship in accordance with Indian law in force and due to financial difficulties ;

(c) if so, whether Government will provide facility for attaining Indian citizenship to the Indians settled in Kenya, keeping in view the said assurances and the special circumstances prevailing there ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surenda Pal Singh) :

(a) It has been the thinking of the Government of India that persons of Indian origin settled in other countries would find it in their interest to adopt the nationality of the country concerned. This is the view of the Government regarding the people of Indian origin in Kenya.

(b) No, Sir.

(c) and (d) Granting of Indian citizenship is regulated under the Indian Citizenship Act of 1955. Those who qualify under our laws to register as citizens of India, while they are still abroad, are free to do so. Those who are not so eligible, may, on reurn to India, apply for citizenship after the prescribed period of residence in this country. The Government of India have been extending and will continue to extend all such facilities that are possible to the persons of Indian origin from East African countries,who want to come to India for permanent settlement.

Renewal of Sheikh Abdullah's Passport

*856. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **External Affairs** be plesed to state :

(a) whether it is a fact that Sheikh Abdullah has applied for the renewal of his previous passport ;

(b) whether it is also a fact that the earlier passport was issued to him as citizen of Kashmir ;

(c) if so, whether Government propose to renew his passport this time also as a citizen of Kashmir ; and

(d) whether Government have taken a decision that Sheikh Abdullah will neither be given a passport nor his passport will be renewed until he specifies himself as Indian citizen ?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh) :

(a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) A passport was issued to Sheikh Abdullah as an Indian citizen. His application when received will be dealt with in accordance with the provisions of the Passport Act, 1967, and the Rules framed thereunder.

सेवा निवृत वरिष्ठ अधिकारी को पुस्तकें लिखने के लिए गोपनीय रिकार्ड पढ़ने की अनुमति

* 857. श्री बलराज मधोक : श्री रणजीत सिंह :
श्री वेणी शंकर शर्मा : श्री हरदयाल देवगुण :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व महासचिव श्री आर० के० नेहरू को भारत-चीन सम्बन्धों पर अपनी प्रस्तावित पुस्तक के लिये गोपनीय रिकार्ड देखने के लिए दी गयी अनुमति को फिलहाल स्थगित कर दिया है ;

(ख) क्या सरकार ने सरकारी रिकार्ड को देखने सम्बन्धी सारे प्रश्न पर पुनः विचार करने का निर्णय किया है ;

(ग) क्या सेवा-निवृत वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पुस्तकें लिखे जाने के प्रश्न पर विचार कर लिया गया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया हैं ?

वैदेशिक–कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) :

(क) और (ख) जी हाँ, चूंकि सरकारी दस्तावेजों को दिखाने से संबद्ध संगत नियमों पर पुनर्विचार किया जा रहा है इसलिए श्री आर० के० नेहरू को अभी कोई दस्तावेज नहीं दिखाये गए हैं;

(ग) और (घ) जी हां, सिविल सेवा विनियम का इस इरादे से संशोधन किया गया है जिससे कि राजकीय रहस्य अधिनियम 1923 के अतिलंघन को भी इसकी परिधि में लाया जा सके।

पूर्व-पाकिस्तान में अल्पसंख्यक

*858. श्री समर गुह : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक लोगों को अपने जीवन, सम्मान और सम्पत्ति के सम्बन्ध में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जिसके परिणामस्वरूप वे वहाँ से लगातार आ रहे हैं ;

(ख) क्या भारत में पूर्वी क्षेत्र में रहने वाले मुस्लिम अल्पसंख्यक भी समय-समय पर अपनी विभिन्न कठिनाइयाँ व्यक्त कर रहे हैं जो वे समझते हैं उचित व्यवस्था न होने के कारण दूर नहीं की जा सकती ;

(ग) क्या नेहरू–लियाकत समझौते के अनुसार, भारत के विभाजन के परिणाम–स्वरूप होने वाली अल्पसंख्यकों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये अल्पसंख्यक मण्डल बनाया गया था ;

(घ) यदि हाँ, तो क्या अल्पसंख्यक मन्डलों की पुनः व्यवस्था करने के लिए सरकार प्रयत्न करेगी ताकि पूर्वी पाकिस्तान के अल्पसंख्यक लोग विशेष रूप से तथा पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यक भी अपनी कठिनाइयों को उनके सामने रख सकें ; और

(ङ) क्या अल्पसंख्यक मंडल की पुनः व्यवस्था करने के मामले पर तुरन्त विचार किया जाएगा क्योंकि ऐसा करने से पूर्वी पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को अपनी मातृभूमि में ही रहने में सहायता मिल सकती है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) :

(क) पूर्व-पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को बराबर बहुत-सी कठिनाइयाँ उठानी पड़ रही हैं जिनकी वजह से वे निरन्तर भारत आ रहे हैं।

(ख) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ग) 1948 के अन्तर-अधिराज्य करारों के अन्तर्गत अल्पसंख्यक बोर्ड स्थापित किये गये थे।

(घ) और (ङ) पश्चिम-बंगाल में अल्पसंख्यक बोर्ड पहले ही कार्य कर रहे हैं। पाकिस्तान के अखबारों में समय-समय पर पूर्व-बंगाल में भी ऐसे बोर्डों की स्थापना करने और उन्हें चलाने के बारे में खबरें छपी हैं।

ब्रिटेन द्वारा विकर टैंकों की सप्लाई

*859. श्री बे० कृ० दासचौधरी : श्री चेंगलराया नायडू :
श्री नि० रं० लास्कर : श्री रा० बरुआ :
श्री ओंकार लाल बेरवा : श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकर टैंकों की सप्लाई के लिए इंग्लैंड की सरकार के साथ अन्तिम रूप में कोई सौदा किया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह):

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

काँडला में निर्बाध व्यापार क्षेत्र

*860. श्री धी० ना० देव : श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में काँडला में एक निर्बाध व्यापार क्षेत्र का विकास करने की कोई योजना थी ;

(ख) क्या इस योजना की क्रियान्विति में कुछ कठिनाइयाँ आ गई हैं ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान इस विषय पर 15 जनवरी के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) से (घ) कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ हो गया है और कतिपय एककों ने उस क्षेत्र से उत्पादन एवं निर्यात भी शुरू कर दिया है। योजना में निश्चित प्रगति हुई है। किन्तु यह स्वाभाविक है कि भारत में अपने प्रकार का प्रथम प्रयोग होने के कारण बड़े लाभ प्राप्त होने में कुछ समय लगेगा। सरकार ने 15 जनवरी, 1969 के 'टाइम्स ग्राफ इण्डिया' में प्रकाशित समाचार को देखा है। 'टाइम्स ग्राफ इण्डिया' ने क्षेत्र के कार्य का विवरण कुछ सनसनीखेज शीर्षक के अन्तर्गत दिया है।

पटसन की वस्तुओं का निर्यात

*861. श्री सु० कु० तापड़िया : श्री एस० पी० रामपूर्ति :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विभिन्न देशों को निर्यात की गई पटसन की वस्तुग्रों की कुल मात्रा तथा मूल्य कितना है ;

(ख) क्या इस ग्रवधि में इन वस्तुग्रों के निर्यात के कारण हमारी विदेशी मुद्रा की ग्राय में निरन्तर कमी हुई है ; ग्रौर

(ग) यदि ग्राय में कमी होने की इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार कोई प्रयत्न कर रही है तो वे क्या हैं ?

वैदेशिक-व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों में निर्यात किये गये पटसन से माल की मात्रा तथा मूल्य इस प्रकार हैं :

वर्ष	मात्रा (000 टनों में)	मूल्य (करोड़ रुपया)
1965–66	895.6	182.71*
1966–67	734.1	250.82
1967-68	751.4	233.50
1968–69 (ग्रप्रैल से दिसम्बर तक)	504.4	159.74
1967–68 (ग्रप्रैल से दिसम्बर तक)	581.1	181.45

*ग्रव मूल्यन से पूर्व

2. पटसन के माल का निर्यात बढ़ाने के लिए निम्न पग उठाये गए हैं :

(क) गुणता एवं मात्रा की दृष्टि से देश में ग्रावश्यक पटसन की उपज तथा उत्पादन को बढ़ाने के लिए सभी सम्भव उपाय किये जा रहे हैं ;

(ख) पटसन के माल पर मार्च, 1969 से निर्यात-कर निम्नलिखित दरों से या तो घटा दिए गये हैं अथवा समाप्त कर दिये गये हैं :—

हैसियत (दरियों के पीछे लगने वालों के अतिरिक्त)	500 रुपये से 200 रुपए प्रति टन
टाट	250 से 150 रुपए प्रति टन
वूल पैक्स	250 रुपए प्रति टन से शून्य तक
काटन बैंगिग	200 रुपए प्रति टन से शून्य तक
यार्न ट्विस्ट (विशिष्टाओं के अतिरिक्त) रस्से टुआइनों और विविध मालों के अतिरिक्त	250 रुपए प्रति टन से 150 रुपए प्रति टन

(ग) पटसन उद्योग पर ऊँचे दर पर विकास छूट देने के लिए उसे आय-कर-अधिनियम की 5 वीं अनुसूची में सम्मिलित करने का निश्चय किया गया है, जिससे कि इस उद्योग का आधुनिकीकरण तीव्र गति से हो सके।

(घ) पटसन उद्योग के उत्पादनों में विविधता को प्रोत्साहित करने के लिए मिलों को औद्योगिक-वित्त-निगम द्वारा ऋण के रूप में सहायता दी जा रही है।

पाकिस्तान द्वारा श्री त्रिलोक चन्द्र की रिहाई

*862. श्री यज्ञदत्त शर्मा : क्या वैदेशिक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के एक छात्र श्री त्रिलोक चन्द के बदले में एक पाकिस्तानी जासूस गुलजार हुसेन शाह को रिहा किया गया है; और

(क) यदि हाँ, तो इसके बदले में किसी अन्य नजरबन्द पाकिस्तानी को न देकर जासूसी के लिए दण्डित व्यक्ति को रिहा करने के क्या कारण थे;

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) :

(क) और (ख) गैर-कानूनी प्रवेश के कारण श्री गुलजार हुसेन शाह को दण्ड दिया गया था और सजा काट लेने पर उसे श्री त्रिलोक चन्द से बदल लिया गया था। पहले भी जासूसी करने और अन्य आरोपों में सजा भुगत लेने के बाद श्री गुलजार हुसेन शाह को पाकिस्तान भेज दिया गया था।

Employees Released From Territorial Army

*863. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the **Minister of Defence** be pleased to state :

(a) the number of regular employees in the Territorial Army released from service during the last three years ;

(b) the number of those out of them who were given employment in military and para-military establishments and the number of those who are sill unemployed ;

(c) the number of such of the unemployed persons who took part in the fighting when their units were made a part of regular Army during conflicts with China and Pakistan; and

(d) the action taken by Government to provide re-employment to them inthe Territorial Army or para-military organisations like the N. C. C. so as to get benefit of th experience ?

The Minister of Defence (Shri Swarn Singh) :

(a) to (d) The Territorial Army is a part-time organisation of citizens who generally have some gainful civil vocation and is designed to give them an opportunity to receive military training in their spare time. As there is no class of permanent employees as such in the Territorial Army who have taken it up as a career, the question of providing suitable employment to them after disembodiment should not arise. However, some of them who have volunteered their services are being used in the N. C. C. and the T. A. units themselves for training and other administrative work.

During the conflict with China and Pakistan, 27,932 and 14,912 T. A. personnel respectively were embodied for duty. But these cannot be termed as unemployed persons.

The Employment Exchanges give certain priority to Territorial Army personnel with embodied service, seeking employment through their agency.

यूगोस्लविया के साथ व्यापार की बकाया धनराशि का स्टर्लिंग मुद्रा में परिवर्तन

*864. श्री विभूति मिश्र : श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री श्रीनिवास मिश्र : श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री अदिचन : श्री र० वे० नायक :
श्री मीठालाल मीना : श्री शिवचन्द्र झा :

क्या वैदेशिक-व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूगोस्लाविया सरकार ने भारत सरकार से रुपये की बकाया अपनी धनराशि को पौंड-स्टर्लिंग मुद्रा में परिवर्तित करने की प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में भारत सरकार ने क्या निर्णय किया है ; और

(ग) भारत के भुगतान संतुलन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वैदेशिक-व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

प्रतिरक्षा सेवाओं में अन्य रैंकों के लिए परिवार आवास

*865. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा सेवाओं में अन्य रैंकों के लिये परिवार आवास की कोई व्यवस्था है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या व्यौरा है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) जी हाँ।

(ख) कुटुम्बों के लिये वास्य स्थान सरकार द्वारा निर्धारित मानों के अनुसार प्राप्य किये जाते हैं।

दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के न्यासी राज्य क्षेत्र का प्रशासन

*866. श्री क० मि० मधुकर : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण–पश्चिम अफ्रीका के न्यासी राज्य क्षेत्र का प्रशासन शांतिपूर्ण तरीके से अपने हाथ में लेने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अब तक किये गये सभी प्रयास विफल रहे हैं क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की सरकार इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र के सब निर्णयों का लगातार उल्लंघन करती रही है ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या भारत सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिये कि दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका के न्यासी राज्य क्षेत्र पर दक्षिण अफ्रीका का नियंत्रण शीघ्र समाप्त हो जाये संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई प्रस्ताव पेश करने का है ?

वैदेशिक कार्य-मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) :

(क) जी हाँ।

(ख) दक्षिण–पश्चिम अफ्रीका की स्वाधीनता सुनिश्चित करने के लिये संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद् ने जो भी कदम उठाये हैं, भारत उन सभी का समर्थन करता रहेगा।

पाकिस्तान को अमरीकी शस्त्रास्त्रों की सप्लाई

*867 श्री योगेन्द्र शर्मा : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 जनवरी, 1969 के "पैट्रियट" समाचार-पत्र में प्रकाशित इस समाचार में कोई सचाई है कि अमरीका पाकिस्तान को 20 करोड़ डालर का नई किस्मों का सैनिक सामान देने के लिये इस शर्त पर सहमत हो गया है कि उसे पेशावर के निकट बड़ाबेर में अपना अड्डा कायम रखने की पाकिस्तान द्वारा अनुमति दी जाये ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने अमरीका के इस प्रस्ताव पर विरोध प्रकट किया है ; और

(ग) उस पर अमरीकी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) तथाकथित करारनामे के सम्बन्ध में पुष्टि के लिये सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

झूठे निर्यात

*868. श्री यशपाल सिंह : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने एक ऐसे गिरोह का पता लगाया है जिसमें माल के निर्यातक कुछ सीमा-शुल्क अधिकारियों के साथ साँठ-गाँठ करके झूठे निर्यात के आधार पर राशि आदि की वापिसी की छूट के लिये आवेदन कर रहे हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या कितनी है और ऐसी फर्मों की संख्या कितनी है जिनकी जाँच की गई है ; और

(ग) इस गिरोह का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) इस कूट-योजना बम्बई सीमाशुल्क सदन द्वारा पता लगाया गया था। उन्हें संदेह था कि कतिपय सीमा–शुल्क अधिकारी इसमें शामिल हैं और विदेशों में भी कुछ पूछताछ की जानी है। इसलिये बम्बई सीमा-शुल्क सदन ने केन्द्रीय जाँच ब्यूरों से आगे की कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया।

(ख) अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। इस मामले में कथित रूप में शामिल फर्मों की संख्या अभी तक छः है।

(ग) चूँकि मामले की केन्द्रीय जाँच ब्यूरों द्वारा जांच की जा रही है, अतः कोई ब्यौरा बताना जाँच के हित में नहीं होगा।

राज्य व्यापार निगम द्वारा कृत्रिम रेशम के धागे का निर्यात

*869. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या यह सच है कि 1968 के दौरान कृत्रिम रेशम के धागे के निर्यात के मामले में राज्य व्यापार निगम का कार्य बहुत असंतोषजनक रहा है और जो निर्यात किया गया वह निर्धारित लक्ष्य से बहुत कम था ;

(ख) क्या बुनाई उद्योग के प्रतिनिधि मन्त्री जी से मिलें थे और उन्होंने अनुरोध किया था कि कृत्रिम रेशम के धागे के निर्यात सम्बन्धी नीति में परिवर्तन किया जाये ;

(ग) क्या सरकार ने 1968 के दौरान राज्य व्यापार निगम के असंतोषजनक कार्य के कारणों की जाँच की है ; और

(घ) क्या कृत्रिम रेशम के धागे के निर्यात को गैर-सरकारी व्यापारियों के हाथ में देने के बारे में निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) से (घ) संभवतः माननीय सदस्य का अभिप्राय कृत्रिम रेशम के वस्त्रों के निर्यात से है, न कि धागे से। 1968 में 3 करोड़ रुपये मूल्य के रेयन तथा संश्लिष्ट वस्त्रों का

निर्यात हुआ, जिससे निस्संदेह यह प्रकट है कि 1966 से पूर्व के निर्यात की तुलना में इसमें कुछ गिरावट आई है, परन्तु 1967 के निर्यात की तुलना में जो केवल 95 लाख रुपये मूल्य का हुआ था, सुधार दिखाई देता है। राज्य व्यापार निगम ने अपने लिये निर्यात का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था। बुनाई उद्योग ने सरकार को एक संशोधित योजना भेजी है, जिसके अनुसार किसी प्रकार के धागे के रूप में निर्यात के मूल्य के 50% तक की हकदारी होनी चाहिये, 10% रंगों, रासायनिक पदार्थ तथा फालतू पुर्जो के लिये और 40% कताई क्षेत्र द्वारा अपेक्षित कच्चे माल के आयात के लिये सरकार को अर्पित किया जाये। ऐसी योजना का अभिप्राय उस भूतपूर्व निर्यात संवर्द्धन योजना को, जिसे अवमूल्यन के बाद समाप्त कर दिया गया था, पुनः लागू करना है। पुरानी निर्यात संवर्द्धन योजना को पुनः लागू करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है परन्तु पहले से रहे निर्यात संवर्द्धन उपायों की सतत समीक्षा की जाती है और अधिकतम निर्यात के लिये सरकार, उद्योग तथा व्यापार, जिसमें रेशम तथा कृत्रिम रेशम निर्माता संस्था शामिल होगी, से प्राप्त सुझावों का ध्यान रखेगी।

कृषि में परमाणु शक्ति का प्रयोग

*870. श्री दी०चं० शर्मा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु शक्ति के प्रयोग द्वारा भूमिगत पानी अथवा साफ किये गये खारे पानी के प्रयोग द्वारा बहुत बड़े क्षेत्र में खेती आरम्भ करके देश के खाद्य उत्पादन को बढ़ाने की बहुत अधिक संभावनाएँ हैं ;

(ख) क्या इस मामले पर विचार किया गया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रधान मन्त्री अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी) :

(क) भारतीय वैज्ञानिकों के सहयोग से अमरीका की ओक रिज नेशनल लेबोरेट्री द्वारा किये गये एक अध्ययन से ऐसी सम्भावनाओं का संकेत मिला है।

(ख) और (ग) भारतीय अवस्थाओं को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए इस अध्ययन को आगे जारी रखने के उद्देश्य से परमाणु ऊर्जा आयोग ने सन् 1967 के अन्त में एक कार्यकारी दल नियुक्त किया था। इस कार्यकारी दल ने अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट पेश कर दी है जिस पर ग़ौर किया जा रहा है।

प्रतिरक्षा सम्बन्धी उपकरणों में आत्म-निर्भरता

5054. श्री बाबू राव पटेल : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा के लिए अपेक्षित किन-किन वस्तुओं में इस समय तक आत्म-निर्भरता प्राप्त हो गई है ;

(ख) 1968 के अन्त में कितने प्रतिशत प्रतिरक्षा के उपकरण बाहर से आयात करने की आवश्यकता थी;

(ग) क्या यह सच है कि हामरे देश में निर्मित कई प्रकार के हथियार अन्य देशों को बेचे गये हैं ; और

(घ) यदि हाँ, तो ये हथियार किन-किन देशों को बेचे गये और गत वर्ष कुल कितने मूल्य के हथियार बेचे गये ?

प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री ल० न० मिश्र) :

(क) हम उत्तरोत्तर आत्म-निर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं, छोटे शस्त्रों, हलके तोपखानों एवं उनके गोला-बारूद के उत्पादन में तो आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ही ली है परन्तु विकास तकनीकी प्रगति के वर्तमान क्रम में कुछ सीमाएं भी हैं और अति आधुनिक वस्तुओं के निर्माण में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

(ख) सर्वथा अनिवार्य प्रतिरक्षा उपकरणों की पूर्ति के लिए आयात का सहारा लिया जाता है । इस प्रकार किये जाने वाले आयातों को न्यूनतम रखा जाता है और कुछ प्रतिरक्षा उपकरणों में आयातित उपकरणों का प्रतिशत बताना सम्भव नहीं है ।

(ग) तथा (घ) इसकी जानकारी देना जन-हित में नहीं है ।

वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी समिति का वैज्ञानिक नीति सम्बन्धी संकल्प

5055. **श्री काशीनाथ पाण्डय :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी समिति द्वारा पारित वैज्ञानिक नीति सम्बन्धी संकल्प के अध्ययन और क्रियान्विति के बारे में क्या प्रगति हुई है; और

(क) क्या उसके क्रियान्वियन में सुधार के लिए कुछ उपाय सुझाये गये हैं ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मन्त्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :

(क) और (ख) वैज्ञानिक नीति संकल्प के कार्यान्वियन में क्या प्रगति हुई है, इसका मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों से संगत आँकड़े तथा अन्य जानकारी एकत्र करना परम आवश्यक है। यह कार्य पूरा कर लिया गया है । प्राप्त सूचना का विश्लेषण किया जा रहा है और विश्लेषण का परिणाम व्यक्त करने वाले प्रतिवेदन पर जून 1969 में होने वाली विज्ञान एवं टैक्नोलोजी सम्बन्धी समिति की बैठक में विचार किया जायेगा । उसके उपरान्त विज्ञान एवं टैक्नोलोजी सम्बन्धी समिति द्वारा की जाने वाली सिफारिशों सहित प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श करने के लिए 1969 के अन्तिम भाग में वैज्ञानिकों एवं शिक्षाशास्त्रियों का एक सम्मेलन आयोजित करने का विचार है ।

Development of the Hill Districts of U. P.

5056. **Shri J. B. S. Bist :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the pitiable economic conditions obtaining in eight hill districts of Uttar Pradesh ;

(b) if so, whether any special provision is likely to be made in the Fourth Five Year Plan so as to improve the economic condition of these eight districts ;

(c) if so, the nature of the schemes proposed to be provided therein ;

(b) whether the assurances given by the Prime Miniiter to the people of the Hill Districts from time to time in her speeches for their development would be implemented ; and

(e) if so, when and if not, the reasons therefor ?

The Prime Minister. Minister of Atomic Engnergy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) :

(a) Attention is invited to replies given to part (a) of the Question No. 56 and 2794 on February 19, 1969 and March 12, 1969 respectively.

(b) to (d) Attention is invited to reply given to part (b) of the Question No. 56 on February 19 and parts (a), (b) and (c) of the Unstarred Question No. 2794 answered on March 12, 1969.

(e) It is not possible to indicate any specific time-limit, as economic and social development of such areas is a long and continuous process.

करघा मालिकों को टी० सी० पर्मिट तथा टैक्स मार्क नम्बर जारी करना

5057. **श्री ज० म० काहानडोल :** क्या वैदेशिक-कार्य तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई के कपड़ा आयुक्त ने एक अधिसूचना जारी की थी की सब विद्युत्-चालित करघा मालिकों को टी० सी० परमिट और टैक्समार्क नम्बर की प्राप्ति के लिये 15 नवम्बर, 1960 तक तीन किश्तों में एक सौ रुपये जमा करने पड़ेंगे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कपड़ा आयुक्त ने उन बहुत से विद्युत्-चालित करघों के मालिकों को जिन्होंने 15 नवम्बर, 1960 तक एक ही किश्त में सौ रुपये जमा करा दिये थे, रुपये की वापसी के लिये चालान की प्रमाणित प्राति के साथ आवेदन-पत्र देने के लिये कहा गया था;

(ग) यदि हाँ, तो कितने विद्युत्-चालित करघों के मालिकों ने चालान की प्रमाणित प्रति के साथ आवेदन किये थे और कपड़ा आयुक्त ने कितने मामलों में धनराशि वापिस कर दी थी ; और

(घ) कितने मामलों में धनराशि वापिस नहीं की गई और उसके क्या कारण थे ?

वैदेशिक-व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) जी हाँ। उन विद्युत्-चालित करघों के मालिकों को जिनके पास 31-10-1960 तक विद्युत्-चालित करघे थे, अपने-अपने करघों का नियमितकरण कराने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी ।

(ख) जी नहीं । रुपये की वापसी की अनुमति उन्हीं मामलों में दी गयी थी जिन्होंने उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसार अपने आवेदन दिये थे परन्तु जो अस्वीकार कर दिए गए थे।

(ग) 766 विद्युत्-चालित करघा मालिकों ने रुपये की अदायगी के लिए प्रतिवेदन दिये थे । 180 मामलों में रुपये की वापसी कर दी गई है ।

(घ) 586 मामलों में अभी तक रुपये वापस नहीं किए गए हैं, क्योंकि ये मामले रुपये जमा कराने की तिथि से छः वर्ष पुराने हो गए हैं । इन मामलों पर सरकार विचार कर रही है ।

कपड़ा मिलों का अधुनिकीकरण

5058. श्री किरूतिनन : क्या वैदेशिक-व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वर्तमान कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण करने के लिये कोई व्यापक अध्ययन किया गया है,

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ;

(ग) उन मिलों की राज्यवार संख्या कितनी है जिनका अब तक आधुनिकीकरण किया गया है तथा सरकार द्वारा दी गई सहायता का राज्यवार व्यौरा क्या है;

(घ) उन मिलों की राज्यवार संख्या कितनी है जिनका अभी आधुनिकीकरण किया जाना है तथा उनके आधुनिकीकरण पर राज्यवार कितने-कितने धन की आवश्यकता है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार आधुनिकीकरण करने में इन मिलों की सहायता करने का है और यदि हां, तो कब ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) से (ङ) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा नियुक्त एक कार्यकारी दल ने 1960 में देश में कपड़ा उद्योग की आवश्यकता, उसको सुगठित करने तथा उसका आधुनिकीकरण करने की संभावनाओं का मूल्यांकन किया था और वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा था कि इस प्रयोजन के लिये तृतीय योजनाविध में साधारणतया लगभग 180 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी । चौथी योजनावधि में कपड़ा उद्योग के लिये प्रस्ताव तैयार करने हेतु योजना आयोग ने भी हाल ही में एक कार्यकारी दल नियुक्त किया था और उस दल ने अन्य बातों के साथ-साथ इस उद्योग का आधुनिकीकरण करने के प्रश्न पर भी विचार किया था।

जिन मिलों का आधुनिकीकरण किया गया है और जिनका आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है उनके बारे में जानकारी इकठ्टी करना इसनें लगने वाले समय तथा श्रम के समानुपातिक नहीं होगा।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम तथा राज्य कपड़ा निगम सरकार द्वारा अपने नियन्त्रण में ली गई तथा प्रबन्ध के लिये उन्हें सौपी गई मिलों का आधुनिकीकरण करने तथा उन्हें सुसंठित करने में सहायता करेंगे। अन्य मिलों के बारे में संस्थानिक वित्तपोषण संस्थाओं से वैसी ही सहायता के लिये पत्र-व्यवहार किया जा सकता है । भारत के औद्योगिक विकास बैंक ने अपनी ऋण नीति को नर्म कर दिया है और वह देशी कपड़ा मशीनों के सम्बन्ध में उपयुक्त मामलों में 7 वर्षों तक आस्थगित भुगतान की सुविधायें दे रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कपड़ा आयुक्त की अध्यक्षता में 1968 में नियुक्त किये गये कार्यकारी दल द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंकों को हिदायतें दी है कि वे उन मशीनों के लिये जो मिलों ने 1963-68 में खरीदी थीं, दिये गये मियादी ऋणों के बारे में उद्धार प्रतिभूति अन्तर को कम बनाये रखें । कुछ अन्य उपाय विचाराधीन हैं ।

Nuclear Fuel Complex in Hyderabad

5059. **Shri Brij Bhushan Lal : Shri Jagnnath Rao Joshi :**
Shri Ranjit Singh : Shri Suraj Bhan :
Shri Atal Bihari Vajyayee :

Will the **Prime** Minister be pleased to state :

(a) whether tenders were invited for giving advice in regard to setting up of Nuclear Fuel Complex in Hyderabad ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) the reasons for not entrusting this work to the efficient and foreign-trained experts of the Trombay Research Centre ;

(d) the details of the agreement to the tune of lakhs of rupees entered into with M/s Dastur and Company ;

(e) the terms in regard to fine to be paid by either of the parties in case of delay in the work ; and

(f) the measures adopted to ensure that Government have not to pay heavy fine every month ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) :

(a) and (b) No, Sir. On an evaluation of all relevant factors including experience and expertise of several consultancy firms in the field of Metallurgical and metal industries, M/s Dastur and Company Private Limited was considered the most suitable.

(c) The expertise available at the Bhabha Atomic Research Centre is fully utilised in regard to tasks, including those related to the Nuclear Fuel Complex about which it is not feasible to go to consultants.

(d), (e) and (f) The Consultants are entitled to a payment of fixed fee of Rs.26 lakhs (inclusive of travelling expenses) provided the construction and erection work is complete within 30 months. Beyond this period an additional fee (not a fine) of Rs.12,000 per month is payable to cover the extra expenditure incurred by the firm on the continued maintenance of staff required to assist the Project. The main responsibility of the Consultants includes the preparation of the engineering report, development of the plant and shop layouts, designs and specifications for structural steel work and civil works, plans and designs of services including electricity etc. and utility systems, design, supervision and Project cor-ordination. A board of management has been set up to ensure the speedy execution of the Project.

खाद्य तेल का आयात

5060. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964–65 से 1968–69 तक (31 दिसम्बर, 1968 तक) प्रति वर्ष कितने खाद्य तेल का आयात किया गया; और

(ख) वर्ष 1969 में कितना खाद्य तेल आयात करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 591/69]

(ख) वर्ष 1969 में लगभग 1 लाख मे० टन खाद्य तेल के आयात किये जाने की सम्भावना है ।

Participation of Workers in Management of Textile Mills taken Over by Government

5061. **Shri Jagannath Rao Joshi : Shri Brij Bhushan Lal : Shri Ranjit Singh : Shri Ram Gopal Shalwale : Shri Suraj Bhan :**

Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) Whether the representatives of workers are also proposed to be included in the Boards of Directors of textile mills taken over by Government ;

(b) if so, the details of the scheme ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of State Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) :

(a) to (c) Authorised Controllers of Mills taken over by Government alone exercise the powers of the Directors of these mills, in terms of the provision of section 18B (1) (e) of the Industries Development and Regulation Act, 1951. Consequently, there are no Boards of Directors in these mills and the question of including the representatives of workers in the Boards does not arise.

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में अधिकारियों की सेवावृद्धि

5062. **श्री क० लकप्पा : श्री ए० श्रीधरन :**

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 में 58 वर्ष के हो जाने पर सेवानिवृत्त किये जाने वाले उनके मन्त्रालय के प्रथम श्रेणी के कितने अधिकारियों की सेवा की अवधि बढ़ाई गयी है ;

(ख) वर्ष 1968 में 58 वर्ष की आयु के हो जाने पर उनके मन्त्रालय में प्रथम श्रेणी के कितने कर्मचारियों की पुन: नियुक्ति की गई; और

(ग) उन अधिकारियों के नाम क्या हैं; और उनकी सेवा की अवधि बढ़ाई जाने तथा उनकी पुन: नियुक्ति करने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा इसके संलग्न कार्यालय के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है :

(क) तीन की ।

(ख) एक की ।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

जिन अधिकारियों की सेवा की अवधि बढ़ाई गई है अथवा जिनकी पुन: नियुक्ति की गई है उनके नाम तथा कारण इस प्रकार हैं :—

1.	श्री एस० बनर्जी :	उप-सचिव ।
		चाय के बारे में श्रीलंका के साथ बातचीत की निरंतरता को बनाये रखने के लिये उनकी सेवा की अवधि में 4 महीने से भी कम समय की वृद्धि की गई थी । चूंकि यह अधिकारी इस विषय से सम्बन्धित रहा था, उनकी सेवा की अवधि कार्य के हित में बढ़ाई गई थी ।
2.	श्री वी० आर० राव	वाणिज्यक प्रचार के लिये स्थानापन्न निदेशक ।
		वाणिज्यक प्रचार के निदेशक के पद के स्थायी पदधारी को, जिन्हें प्रतिनियुक्त किया गया था, प्रतिनियुक्त करने वाले अधिकारी भारयुक्त ही नहीं कर सका था । इसके अलावा चूंकि और कोई योग्य अधिकारी नहीं था और पदोन्नति के लिये कोई योग्य उम्मीदवार नहीं था, इसलिये श्री राव की सेवा की अवधि 23 फरवरी, 1968 से एक वर्ष और वढ़ाई गई थी ।
3.	श्री पी० एल० सेठी	उप-निदेशक (प्रौद्योगिकी), अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड ।
		वह अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड में एक तकनीकी पद पर कार्य कर रहे थे । वैज्ञानिक तथा तकनीकी नीक कर्मचारियों की सेवा अवधि बढ़ाने के विषय पर भारत सरकार के आदेशों के अनुसार उनकी सेबा की अवधि में 6 मार्च, 1968 से एक वर्ष की वृद्धि की गई थी ।
4.	श्री वी० वी० देव	उप-सचिव ।
		उन्हें नारियल जटा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके– (एक) व्यापार संवर्धन कार्य तथा वैदेशिक व्यापार का ज्ञान ; (दो) वाणिज्यिक कार्य में विस्तृत अनुभव ; और (तीन) कई व्यापार वार्ताओं तथा व्यापार करारों के साथ सम्बन्धित होने के लिये पुनः नियुक्त किया गया था ।

Export of Ferrous Scrap

5063. **Shri Raghuvir Singh Shastri**; Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the export of ferrous scrap declined considerably during the year 1968 ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the steps taken to increase its export ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) :

(a) Yes, Sir.

(b) The demand for scrap in Japan, which is our main buyer, has recently shrunk considerably due to :—

(i) Increase in arisings of scrap in Japanese industries.

(ii) Use of L. D. process by Japan involving lesser use of scrap ; and

(iii) Expansion of blast furnace capacity in Japan leading to high consumption of pig and less of scrap.

(c) The Government are encouraging the Metal Scrap Trade Corporation through which all scrap exports are canalised to explore alternative markets for Indian scrap. In fact a delegation of this Corporation visited some South East Asian Countries in April, 1968 as a result of which new makrets have been located in Fo rmosa, South Korea etc. Some quantity of scrap has already been exported to these new markets.

कुछ वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध

5064. **श्री रा० की० अमीन** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ वस्तुओं का निर्माण करने के लिये लाइसेंस दिये जाने के तुरन्त बाद उन वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है ;

(ख) क्या देश के अन्दर बाजार में उन वस्तुओं की अप्राप्यता को ध्यान में रखते हुए इस नीति से कठिनाइयाँ हुई हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो उपभोक्ताओं की उक्त कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री चौधारी राम सेवक) :

(क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कपास का उत्पादन

5065. **श्री रा० की० अमीन** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कपास के उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकार का विचार कपड़ा मिल मालिकों और प्रगतिशील किसानों के कपास का उत्पादन और लम्बे रेशों वाली कपास के उत्पादन में वृद्धि के प्रयासों में सहयोग देने का है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इन उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु सरकार का विचार कपड़े पर उत्पादन-शुल्क से प्राप्त राजस्व में से एक विशेष धनराशि निर्धारित करने का है ; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) जी, नहीं । किन्तु, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत क्षेत्र पर कपास के उत्पादन के विकास के लिये अपने पैकेज कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के अतिरिक्त, इंडियन काटन मिल्स फेडरेशन को उसकी विकास कपास प्रायोजना के क्रियान्व्यन हेतु सभी सम्भव सहायता तथा सुविधाएँ देती हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

Fast Breeder Atomic Reactor

5066. **Shri Maharaj Singh Bharati**: Will the **Prime Minister** be pleased to state the progress made so far in the manufacture of unranium menocarbide fuel which will be required on commissioning of first fastbreeder reactor ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi):

Attention of the Honourable Member is invited to the reply given to Unstarred Question No. 3089 on August 7, 1968, wherein it was pointed out that it is not proposed to use mixed carbides for fuelling the first generation fast breeder reactor.

विदेशों में भारतीय दूतावासों में कर्मचारी

5067. **श्री गार्डिलिंगन गौड** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) भारत सरकार के दूतावासों / उच्चायोगों की संख्या कितनी है और इस समय उन दूतावासों / उच्चायोगों में राजदूतों / प्रथम सचिवों की संख्या कितनी है;

(ख) इन दूतावासों / उच्चायोगों में कार्य कर रहे अन्य राजपत्रित तथा अराजपत्रित कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ग) ऐसे राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो भारतीय नागरिक नहीं हैं ; और

(घ) वे राजपत्रित / अराजपत्रित कर्मचारी किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं जो भारतीय नागरिक नहीं है ;

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) :

(क) (1) राजदूतावास की संख्या — 56*

(2) राजदूतों की संख्या — 49*

(* 4 राजदूतावास ऐसे हैं जिनमें प्रत्यायित राजदूत पड़ोसी देशों में निवासी हैं और 3 राजदूतावासों में राजदूतों को नियुक्त का मामला विचाराधीन है ।)

(3) हाई कमीशनों की संख्या — 18

(4) राजदूतावासों में प्रथम सचिवों की संख्या — 61

(5) हाई कमीशनों में प्रथम सचिवों की संख्या — 23

(ख), (ग) और (घ) ब्योरा इकठ्ठा किया जा रहा है और सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

1962 के बाद स्थापित आयुध कारखाने

5068. श्री गार्डिलिंगन गौड : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962 के चीनी आक्रमण के पश्चात् अमेरिका/रूस/ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित आयुध कारखानों के नाम क्या हैं;

(ख) उन कारखानों के नाम क्या हैं जिन्होने अधिष्ठापित क्षमता पर उत्पादन आरम्भ कर दिया है और किन कारखानों ने अभी तक अधिष्ठापित क्षमता पर उत्पादन आरम्भ नहीं किया है;

(ग) क्या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान उनके लिये पर्याप्त विस्तार कार्यक्रम बनाये गये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र):

(क) 1962 में हुए चीनी आक्रमण के बाद अम्बझारी आयुध कारखाना तथा वारूगाँव आयुध कारखाना अमरीकी सहायता से तथा चांदा में एक आयुध कारखाना ब्रिटेन की सहायता से खोलने की योजना बनाई गई थी। अम्बझारी आयुध काखाने के लिये परियोजना प्रतिवेदन के बनने के बाद (जिसका भुगतान हमने किया था) 1965 में भारत-पाक विवाद के कारण पुनः अमरीकी सहायता बन्द हो गई। वारूगाँव आयुध कारखाने के लिये प्रमुख संयंत्र अमरीका से उसके सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत मँगाया गया था।

चांदा आयुध कारखाने के लिये ब्रिटेन से सहायता के रूप में मिलने वाले संयंत्र की भारत–पाक विवाद के कारण उपलब्ध नहीं हो पाये अतः उसके पश्चात् हमने आवश्यक संयंत्र तथा मशीनरी ब्रिटेन से खरीद ली। ये सभी कारखाने हमने स्वयं ही लगाए हैं अथवा लगाए जा रहे हैं।

(ख) वारूगाँव आयुध कारखाने में उत्पादन आरम्भ हो गया है। अम्बझारी तथा चांदा आयुध कारखानों में 1970 से 1973 के अन्तर्गत व्यवस्थित रूप से नियमित उत्पादन आरम्भ हो जायेगा तथा तब तक इन कारखानों में कुछ वस्तुओं का सीमित उत्पादन किना जायगा।

(ग) आयुध कारखानों के विभिन्न विस्तार कार्यक्रमों का अध्यन किया जा रहा है तथा स्वीकृत होने के बाद उन्हें उचित समय पर चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर दिया जाएगा।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Arrest of Hostile Nagas in Burma

5070. **Shri Hukam Chand Kachwai : Shri Nathu Ram Ahirwar :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that any emissary of hostile Nagas was arrested in Burma sometime in the month of December, 1968 or Jauuary, 1969 ;

(b) if so, whether Government have asked the Burmese Government to hand him over to the Indian Government ; and

(c) Burmese Government's reaction thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) :

(a) Government have made enquires but have not come across any definite information of the nature indicated in the question.

(b) and (c) Do not arise :

छावनी बोर्ड के कर्मचारियों के लिये नियम

5071. **श्री काशी नाथ पाण्डेय** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छावनी बोर्ड के कर्मचारियों और उनके आश्रितों की नियुक्ति, पदोन्नति और चिकित्सा-उपचार के लिये आवश्यक नियम नहीं बनाये हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :

(क) और (ख) छावनी बोर्ड कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति और चिकित्सा उपचार के सम्बन्ध में नियमों का प्रारूप, उनके सम्बन्ध में आपत्तियाँ, सुझाव आमन्त्रित करने के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किये गए हैं। कुछ आपत्तियाँ प्राप्त हुई हैं और नीरीक्षणाधीन हैं। आशा है नियमों की अन्तिम रूपरेखा शीघ्र ही तैयार हो जाएगी।

समुद्री उत्पादों तथा समुद्री खाद्य पदार्थों का निर्यात

5072. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के उन समुद्री उत्पादों तथा समुद्री खाद्य पदार्थों के क्या नाम हैं जिनको निरन्तर निर्यात किया जा सकता है तथा उनसे कितनी वार्षिक आय हो सकती है ;

(ख) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान तथा अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के व्यापार संवर्द्धन प्रभाग द्वारा समुद्री उत्पादों का एक संयुक्त सर्वेक्षण करने का जो प्रस्ताव था क्या वह सर्वेक्षण इसी बीच कर लिया गया है ;

(ग) यदि हाँ, तो सर्वेक्षण की मुख्य उपपत्तियां क्या हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) प्राउन, लाबस्टर्स तना मेढकों की टांगें निहित निर्यात सम्भाव्यता वाले समुद्री खाद्य उत्पाद हैं। चालू स्वर पर, समस्त समुद्री खाद्य उत्पादों से लगभग 20 करोड़ रुपये की कुल वार्षिक आय होने की आशा है।

(ख) से (घ) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान तथा संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा समुद्री खाद्य उत्पादों के संयुक्त सर्वेक्षण के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

चैकोस्लोवाकिया के साथ व्यापार-करार

5073. **श्री जे० कृ० दासचौधरी :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चैकोस्लोवाकिया सरकार के साथ एक व्यापक पाँच वर्षीय व्यापार करार को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस करार का व्योरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) और (ख) जनवरी, 1969 में भारत तथा चैकोस्लोवाकिया की सरकारों के बीच हुई बातचीत के फलस्वरूप एक संलेख पर हस्ताक्षर हो गये हैं जिससे उस समय विद्यमान व्यापार तथा भुगताग-करार की वैधता की समयावधि को बढ़ा दिया गया है। उक्त करार पर 7-11-63 को हस्ताक्षर हुए थे और वह 31-12-1969 तक वैध था। वर्ष 1969 में दोनों देशों में आदान-प्रदान किये जाने वाले माल की सूची भी अन्तिम रूप में तैयार हो चुकी है।

पश्चिमी पाकिस्तान से जम्मू तथा कश्मीर को अल्पसंख्यकों का प्रवजन

5074. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :** **श्री मणिभाई जे० पटेल :**

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान में सत्तारूढ़ जनता द्वारा अल्पसंख्यकों पर अत्यचार किये जाने के कारण गत वर्ष कुछ परिवार पश्चिमी पाकिस्तान से जम्मू तथा काश्मीर चले आये थे; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इसके विरुद्ध कोई विरोध प्रगट किया है और पश्चिमी पाकिस्तान सरकार की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :

(क) जी हाँ।

(ख) भारत सरकार ने पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों की दशा के सम्बन्ध में वहाँ की सरकार से बार-बार विरोध-प्रदर्शन किया है और उन्हें याद दिलाया है कि इस सम्बन्ध में उनके क्या दायित्व हैं।

निर्यातकों को कच्चे माल का सम्भरण

5075. श्री व० कृ० दासचौधरी : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्यातक अन्तर्राष्ट्रीय दर पर इस्पात के लिये कच्चा माल प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) क्या निर्यातकों को इस वर्ष से प्लास्टिक आदि के लिये कच्चा माल भी सप्लाई किया जायेगा; और

(ग) यदि हाँ, तो किये गये प्रबन्धों का व्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक):

(क) जी, हाँ। निर्यात उत्पादन के लिये निर्यातकों को अन्तराष्ट्रीय भावों पर इस्पात मिल रहा है।

(ख) जी, हाँ। निर्यात उत्पादन के लिये अन्तर्राष्ट्रीय भावों पर प्लास्टिक के कुछ कच्चे माल की पूर्ति की एक योजना एक वर्ष से भी अधिक से चल रही है।

(ग) इस्पात के मामले में, निर्यात के लिये इंजीनियरी वस्तुएँ बनाने के लिये शुरू में उसकी पूर्ति सामान्य दरों पर की जाती है, परन्तु निर्यात हो जाने के बाद इस्पात उद्योग की संयुक्त संयंत्र समिति के माध्यम से सामान्य तथा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के अन्तर की राशि को वापस लौटा दिया जाता है।

Pheonix Mills Ltd. Bombay

5076. **Shri Sharda Nand** : Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) the date on which the Pheonix Mills Limited, Bombay had applied for licence and the date on which it started functioning ;

(b) the terms laid down for its running and the nature of items produced by it ; and

(c) the quantum of its production since inception ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak):

(a) The Phoenix Mills Ltd., Bombay was an existing unit when the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 came into force and it applied for registration 19th August, 1952.

(b) The unit was registered under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 for the production of cotton textiles. No special terms and conditions were laid down in the Registration Certificate and the mills are manufacturing cotton textiles.

(c) The figures of cotton yarn and cloth production by this mill during the last few years are given below :

Year	(Millions) Yarn (Kg.)	Cloth (Metre)
1963	3.3	19.5
1964	3.9	19.9
1965	4.4	18.2
1966	4.2	16.8
1967	4.0	16.1
1968	4.0	17.3

New Shorrock Spinning and Manufacturing Co., Ltd. Bombay

5077. **Shri Sharda Nand** : Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) the names of Industries and items of manufacture for which the New Shorrock Spinning and Manufacturing Company Ltd., Bombay had applied for issue of licences ;

(b) the dates on which the licences were issued to the said company and dates on which those industries started functioning ;

(c) whether the said company manufactured certain items other than those for which permission was granted under the licences ;

(d) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) :

(a) Ms. New Shorrock Spinning and Manufacturing Co. Ltd., Bombay were having two composite mills manufacturing cotton textiles at Nadiad and Ahmedabad in Gujarat State when the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 came into force.

(b) Both these units of the Company were granted Registration Certificates as under:

Nadiad Unit :	No. R/10(a) /278 / R/23(1) /255 dated 31-5-1954.
Ahmedabad Unit :	No. R/10(a)/277 / R/23(1)/254 dated 31-5-1954.

Both the units starred functioning long before the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 came into force.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

एच० एस० 748 विमान

5078. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में प्रति वर्ष कितने एच० एस० 748 विमान बनने लगेंगे; और

(ख) ऐसे प्रत्येक विमान की कीमत क्या होगी ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ललित नारायण मिश्र) :

(क) इस समय एच० ए० एल० 6 एच० एस०-748 विमान प्रतिवर्ष उत्पादन कर रहा है। 1970-71 से उत्पादन प्रगतिशीलता से बढ़ा कर 9 विमान प्रतिवर्ष कर देना प्रायोजित है।

(ख) अस्थायी तौर पर प्रति विमान के लिए आई० ए० सी० द्वारा देय कीमत 82.53 लाख रुपये नियत की गई है।

समुद्र तल के स्वामित्व के बारे में अंतर्राष्ट्रीय कानून संबंधी भारतीय समिति का सम्मेलन

5079. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय कानून संबन्धी भारतीय समिति (इंडियन सोसाइटी ऑफ इन्टरनेशनल लॉ) के हाल ही में हुए सम्मेलन में समुद्र-तल के स्वामित्व के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया गया था ;

(ख) क्या वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के कानूनी सलाहकार ने भी उक्त सम्मेलन के विचार-विमर्श में भाग लिया था ; और

(ग) यदि हाँ, तो सम्मेलन में इस विषय पर क्या मुख्य निष्कर्ष निकले ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) :

(क) नई दिल्ली में 12 जनवरी, 1969 को अन्तर्राष्ट्रीय विधि की भारतीय सोसाइटी के वार्षिक सम्मेलन में सागर-तल और महासगर-तल के शासन के कानूनी प्रश्नों पर विचार-विमर्श किया गया था।

(ख) जी हाँ।

(ग) कोई खास निष्कर्ष तो नहीं निकला था लेकिन आम राय यही प्रतीत हुई थी कि यह विषय महत्वपूर्ण है और भविष्य में इस क्षेत्र में जो कदम उठाए जाएँ वे अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के हितों को ध्यान में रखते हुए उठाए जाने चाहिए, विशेषकर विकासशील देशों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए।

दिल्ली के महापौर तथा मुख्य कार्यकारी पार्षद को गणतन्त्र दिवस समारोह मे पीछे स्थान दिया जाना

5080. श्री यज्ञदत्त शर्मा : श्री विभूति मिश्र :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष गणतन्त्र दिवस समारोह में दिल्ली के महापौर को पाँचवीं पंक्ति में स्थान दिया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपर्युक्त समारोह में मुख्य कार्यकारी पार्षद को राज्य के मुख्य मन्त्री का दर्जा न दे कर पीछे के स्थान में बैठाया गया था ;

(ग) क्या सरकार को इस बात का पता है कि ब्रिटेन तथा अन्य विकसित देशों में ऐसे समारोहों पर महापौर को प्रमुख स्थान दिया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या वर्तमान स्थिति पर पुनर्विचार करने का सरकार का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) और (ख) गणतन्त्र दिवस परेड और बीटिंग रिट्रीट समारोह देखने के लिए आमन्त्रित विभूतियों को बिठाने के प्रबन्ध प्रायः अग्रता सारणी में उनकी अपनी-अपनी स्थिति के अनुसार किए जाते हैं। चीफ एक्जीक्यूटिव कौन्सलर दिल्ली अग्रता सारणी के अनुच्छेद 22 में आते हैं कि जिसमें संघीय क्षेत्रों के मुख्य मंत्री अपने-अपने क्षेत्रों में भी आते हैं। इन समारोहों में दिल्ली के मेयर को अनुच्छेद 26 के पश्चात् स्थान प्राप्त है और अनुच्छेद 27 से पहले इस आधार पर चीफ एक्जीक्यूटिव कौन्सलर और उनकी पत्नी के लिए परेड और बीटिंग रिट्रीट में सुरक्षित की गई कुर्सियाँ क्रमशः पाँचवीं और छटी पंक्ति में थीं और मेयर दिल्ली और उनकी पत्नी के लिए क्रमशः सातवीं और आठवीं पंक्ति में।

(ग) और (घ) सरकार को यू० के० और अन्य देशों में समारोह उत्सवों में की गई बिठाने की व्यवस्था का ज्ञान नहीं है। तदपि मामले का निरीक्षण किया जा रहा है।

विदेश व्यापार में राजकीय व्यापार निगम का योगदान

5081. **श्री क० मि० मधुकर :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में देश के विदेश व्यापार में राजकीय व्यापार निगम के योगदान को और बढ़ाने के प्रश्न पर सरकार ने विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) और (ख) देश के विदेशी व्यापार में राज्य व्यापार निगम के योगदान को बढ़ाने के प्रश्न पर सरकार निरन्तर ध्यान दे रही है। सरकार ने, अन्य बातों के अतिरिक्त, राज्य व्यापार निगम के कार्य की समीक्षा करने हेतु एक समिति की स्थापना की है ताकि निगम को अधिक मजबूत बनाया जाय और उसे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की क्रियान्वति के लिये सौंपे जाने वाले विशेष कार्यों को कारगर ढंग से पूरा करने योग्य बनाया जाये।

एकमात्र आदिम जातियों के सैनिकों की बटालियन बनाना

5082. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार का सेना की ऐसी बटालियन तथा रेजीमेन्ट बनाने का प्रस्ताव है जिसमें केवल आदिम जातियों के लोग ही होंगे ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की विशेषता क्या है; और

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :

(क) और (ख) अप्रैल, 1968 में मध्य प्रदेश विधान सभा में एक सदस्य द्वारा दिया गया सुझाव विचारार्थ भेजा था कि अगर एक बुन्देला रेजिमेन्ट खड़ी की जाए तो यह डाकुओं की समस्या सुलझाने में काफी हद तक सहायक होगी।

(ग) जब कि बुन्देले अन्य भारतीय राष्ट्रिकों की तरह भारतीय सेना में भर्ती होने के अधिकारी हैं, अगर वह निर्धारित शारिरिक तथा शिक्षा मानदण्डों के अनुरूप हों, बुन्देला रेजिमेन्ट नाम की कोई रेजिमेन्ट खड़ी करना, सेना में जाति भेद–क्रमशः मिटाने की सरकार की नीति के संगत न होगा। मध्य प्रदेश सरकार को ऐसा सूचित कर दिया गया था।

विजयंत टैंक

5083 श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विजयन्त टैंकों में धातु की चेन के निर्माण में कठिनाई अनुभव की जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस सम्बन्ध में विदेशी सहयोग प्राप्त करने के लिए कदम उठाये गये हैं और इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

प्रतिरक्षा उत्पादन मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र):

(क) सम्भवतः प्रश्न का निर्देश ट्रैंक लिंक्स से है। विजयंत टैंकों में काम आने वाली ट्रैंक लिंक मेंगेनीज-स्पात की ढली हुई जटिल वस्तुएँ हैं जो गुन्जाइश (टौलेरेंस्ज) को बन्द करने में काम आती हैं। दो भारतीय फर्मों ने इन ट्रैंक लिंकों का स्वदेशी उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है किन्तु अभी तक इन फर्मों से इन ट्रैंक लिंकों की उतनी सप्लाई नहीं की जा रही है, जितनी आवश्यकता है।

(ख) इन वस्तुओं के उत्पादन के लिए किसी भी विदेशी सहयोग के बारे में विचार करने की आवश्यकता नहीं समझी गई है।

(ग) इनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिये आवश्यक संतुलित संयंत्र प्राप्त करने के लिये इन दोनों फर्मों को आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है। इन फर्मों में ट्रैंक लिंकों की भारी सप्लाई के लिये लम्बी अवधि के प्रबन्ध करने का भी प्रस्ताव है।

गणतन्त्र दिवस के समारोह में भाग लेने वाले लोक नर्तकों द्वारा की गई शिकायत

5084. श्री उमानाथ : श्री गणेश घोष :
श्रीमती सुशीला गोपालन : श्री सत्य नारायण सिंह :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में गणतन्त्र दिवस में भाग लेने वाले लोक नर्तकों से कोई शिकायत प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने शिकायतों की जाँच करायी है;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ङ) यदि नहीं तो इसका क्या कारण है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :

(क) से (ङ) 18 जनवरी, 1969 को एक पत्र प्राप्त हुआ था जो कुछ लोक-नर्तकों द्वारा लिखा बताया गया था । इस पत्र में तालकटोरा शिविर में घटिया और अपर्याप्त भोजन, किचन में सफाई के निम्न स्तर और रक्षा मंत्रालय के कई अधिकारियों के विरुद्ध संदिग्ध आरोप शामिल थे । प्रयास किया गया था, परन्तु लिखने वालों का पता लग पाना सम्भव न हुआ । स्पष्ट है कि पत्र बनावटी नाम से लिखा गया था । उस पत्र की प्राप्ति के शीघ्र ही बाद रक्षा सचिव 21 जनवरी, 1969 को अचानक बाद दोपहर के जा पहुँचे । उन्होंने भोजन के गुणस्वरूप की स्वयं जाँच की, तथा किचन की सफाई के स्तर की भी । उन्होंने कई दलों के अनेक लोक-नर्तकों से भी पूछताछ की । उनकी जाँच से पता चला कि आरोप निराधार थे। यह भी स्पष्ट था कि पत्र में लगाए गए अन्य आरोपों का भी कोई आधार न था ।

केरल में नारियल जटा तथा नारियल जटा से बनी वस्तुओं के लिये निर्यात-कार्यालय

5085. **श्री अनिरुद्धन :** **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री के० एम० आब्राहम : **श्री पी० पी० एस्थोस :**

क्या वैदेशिक-व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल जटा तथा नारियल जटा से बनी वस्तुओं के विक्रय को बढ़ावा देने के लिये केरल में एक निर्यात-कार्यालय स्थापित करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसे कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) उस का व्योरा क्या है ?

वैदेशिक-व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) :

(क) नारियल जटा तथा नारियल जटा उत्पादों की बिक्री के संवर्धन के लिये एक निर्यात सदन की स्थापना करने का केन्द्रीय सरकार का विचार नहीं है । निर्यात सदनों की स्थापना सामान्यतः निर्यातक स्वयं करते हैं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

नेफा में 1962 में हुई पराजय के संबन्ध में हैंडरसन ब्रुक्स का जाँच प्रतिवेदन

5086. **श्री हेमराज :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नेफा में 1962 में हुई पराजय के सम्बन्ध में हैंडरसन ब्रुक्स का जाँच प्रतिवेदन प्रकाशित करने का है क्योंकि उस घटना को हुए बहुत वर्ष हो गये हैं और उससे सम्बन्धित व्यक्ति सेवानिवृत्त हो चुके हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) तथा (ख) नेफा में सेना-संक्रिया कार्यों पर हैंडरसन ब्रुक्स के प्रतिवेदन के मुख्य निष्कर्षों का सार प्रतिरक्षा मंत्री के 2 सितम्बर, 1963 के विवरण में दिया गया था। उस प्रतिवेदन को सदन के समक्ष प्रस्तुत न करने के कारणों की व्याख्या–विवरण की कण्डिका 5 और 6 में दिये गये थे और कई बार उसके बाद भी बताए गये थे।

एडवर्ड टैक्सटाइल मिल्स

5087. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या वैदेशिक-व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई की एडवर्ड टैक्सटाइल मिल को अपने हाथ में लेने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ;

(ख) मिल को किन शर्तों के अन्तर्गत अपने हाथ में लिया जा रहा है ; और

(ग) क्या मिल के सम्बन्ध में कर्मचारियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जायेगा ?

वैदेशिक-व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) जी हाँ। महाराष्ट्र सरकार ने मिल को, अवकाश तथा लाइसेंस आधार पर, बेरोजगारी राहत योजना के अन्तर्गत चलाने के लिए अपने हाथ में ले लिया है।

(ख) जिन मुख्य शर्तों पर राज्य सरकार ने मिल को अपने हाथ में लिया है वे ये हैं : (1) सरकारी परिसमापक को लाइसेंस फीस के रूप में 6 लाख रु० प्रति वर्ष दिये जायेंगे ; (2) लाइसेंस की अवधि के लिए लाइसेंसे के अंतर्गत स्थान के सम्बन्ध में सभी दरों, करों, कर-निर्धारण आदि का भुगतान ; (3) करों आदि के किसी बकाया राशि का भुगतान न होना ; (4) नये संयंत्र तथा मशीनरी की, यदि आवश्यक हो, स्थापना तथा लाइसेंस की अवधि के समाप्त होने पर उनका हटाया जाना ; और (5) पिछले प्रबन्ध द्वारा काम में लगाए गए कर्मचारियों की छंटनी अथवा अन्य किसी मुआवजे की आदायगी नहीं की जानी है।

(ग) जी नहीं।

समुद्र–जन्य खाद्य पदार्थों का जहाजों में लदान

5088. **श्री रा० कृ० सिंह:** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समुद्र-जन्य खाद्य पदार्थों की लगभग 60,000 पेटियाँ, जिनकी कीमत लगभग 6 करोड़ रुपये है, मंगलौर, माल्ज और कोचीन बन्दरगाहों के शीतागारों में कई महीनों से जहाजों में लदान के लिये पड़ी हैं :

(ख) क्या यह भी सच है कि उनका जहाजों में लदान न किये जाने से व्यापारियों को कठिनाई हो रही है ; और

(ग) यदि हां, तो समुद्र-जन्य खाद्य पदार्थों के जहाजों में शीघ्रता से लदान करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पुर्ति मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) से (ग) कोचीन तथा मंगलौर पत्तनों पर कुछ रीफर कार्गो जमा हो गया था। फरवरी, 1969 के महीने में जहाजों की समुचित संख्या में व्यवस्था कर दी गयी थी और इन पत्तनों पर जमा माल की निकासी हो गयी ।

कताई तथा बुनाई क्षेत्र की अधिष्ठापित क्षमता का विस्तार

5089. श्री चिति बाबू : क्या वैदेशकि व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में नाइलोन यार्न के बढ़े हुए उत्पादन की खपत करने के लिये कताई तथा बुनाई क्षेत्रों की अधिष्ठापित क्षमता को बढ़ाने तथा उसके आधुनिकीकरण के लिये क्या योजनाएँ बनाई गई हैं ; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में नाईलोन तथा पोलिस्टर यार्न की कितनी परियोजनाएँ चालू करने की योजना है और चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक नाइलोन तथा पोलिस्टर यार्न का कुल उत्पादन कितना होने की सम्भावना है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) कृत्रिम रेशम क्षेत्र की विद्यमान बुनाई तथा निटिंग क्षमता चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में नायलोन धागे के उत्पादन में होने वाली संभावित वृद्धि की खपत करने में सक्षम है । फिर भी सरकार अपने पास उपलब्ध सीमित साधनों के भीतर रहते हुए विद्यमान क्षमता की आधुनिकीकरण के लिए हर प्रकार के प्रयत्न कर रही है ।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

पटसन उद्योग

5090. श्री हरदयाल देवगुण : श्री बेणी शंकर शर्मा :
श्री रणजीत सिंह : श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बलराज मधोक :

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटसन उद्योग में स्वतंत्रता के बाद से बार-बार संकट पैदा होता रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उद्योग को सुदृढ़ बनाने के लिये कोई विस्तृत योजना बनाई गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) पटसन उद्योग की प्रमुख समस्याएँ ये हैं: (1) कतिपय मौसमों में रेशे की कमी, और (2) बोरों तथा हैस्यिन (कालीन अस्तर को छोड़ कर) के निर्यातों में कमी।

(ख) देश में पटसन तथा मेस्टा की अपेक्षित किस्मों तथा मात्राओं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सभी संभव प्रयत्न किए जा रहे हैं। पटसन उद्योग को पाकिस्तान से प्रतियोगिता करने तथा हमारे निर्यातों को बढ़ाने में समर्थ बनाने के लिए कारगर उपाय किए जा रहे हैं। इन उपायों से उद्योग का आधार सुदृढ़ हो जाने की आशा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दक्षिणी क्षेत्र में सूती कपड़ा मिलों का बन्द होना

5092. श्री पी० राममूर्ति : श्री ई० के० नायनार :
श्री उमानाथ : श्री के० रमानी :

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966 से वर्ष 1969 के दौरान दक्षिणी क्षेत्र में बन्द हुई सूती कपड़ा मिलों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन मिलों को पुनः खोलने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक):

(क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

दक्षिणी क्षेत्र (आन्ध्र प्रदेश, केरल, मैसूर, तमिलनाडू और पांडेचेरी) में 1966 से 1969 (जनवरी) तक 109 सूती कपड़ा मिलें बन्द हुई। इनमें से 82 मिलों ने पुनः काम करना शुरु कर दिया है और 27 मिल अभी तक बन्द पड़ी हैं। वित्तीय और कार्यकारी पूँजी की कठिनाइयाँ और स्टाक का जमा हो जाना इन मिलों के बन्द होने के मुख्य कारण थे।

जहाँ तक शेष बंद पड़ी 27 मिलों को पुनः चालू करने के लिये सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की सम्बन्ध है, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत 17 मिलों के कार्यकरण की जाँच करने के लिये जाँच समितियाँ पहिले ही नियुक्त कर दी गई हैं। दो मिलों के उनके समापन सम्बन्धी मामले उच्च न्यायालयों में निर्णयाधीन हैं। शेष मिलों के मामलों की सम्बन्धित राज्य सरकारों की सलाह से जाँच की जा रही है। समूचे सूती कपड़ा उद्योग की सुदृढ़ व्यवस्था के लिये किये गये अनेक उपायों के अलावा दक्षिण भारतीय राज्यों में मिलों की सहायता के लिये निम्न विशेष राहत उपाय किये गये हैं :

(1) सहकारी समितियों द्वारा हथकरघा कपड़े की बिक्री पर सामान्य 5 प्रतिशत छूट के अलावा 5 प्रतिशत विशेष छूट मंजूर की गई है।

(2) अपैक्स सहकारी समितियों को धागे की खरीद और उसको जमा करने के लिये ऋण देने के लिये मद्रास और आन्ध्र प्रदेश सरकारों को क्रमश: 50 लाख और 15 लाख रुपये के ऋण दिये गये हैं।

(3) दक्षिण भारतीय मिल मालिक एसोसियेशन और तमिलनाड् मिल मालिक एसोसियेशन द्वारा धागे के स्टाक को रखने सम्बन्धी योजना के संचालन के लिये अपेक्षित 20 प्रतिशत सीमान्त राशि की गारन्टी देने का निर्णय किया गया है ताकि वे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 5 करोड़ रुपये तक ऋण प्राप्त कर सके।

(4) कोन-चीज-यार्न के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये भाड़े के अन्तर के रूप में प्रति 10 पौंड 2 रुपये की विशेष अतिरिक्त सहायता की अनुमति दी गई है।

विदर्भ में कपास के स्टाक का जमा हो जाना

5093. श्री के० रमानी : श्री पी० राममूर्ति :
श्री उमानाथ : श्री नम्बियार :

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदर्भ में कपास का बहुत अधिक स्टाक जमा हो गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो स्टाक में इस समय कितनी गांठें पड़ी हैं ; और

(ग) इस स्टाक के जमा होने के क्या कारण हैं तथा स्थिति को सुधारने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) :

(क) सरकार को विदर्भ क्षेत्र में कपास के स्टाक के असाधारण मात्रा में जमा हो जाने की जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

चीन के पास रासायनिक तथा जीवाणु-युद्ध के हथियारों के बारे में प्रतिवेदन

5094. श्री हरदयाल देवगुण : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्था में सह-अनुसन्धानर्ता, ब्रिगेडियर राठी साहनी ने एक प्रतिवेदन में कहा है कि सम्भवतः चीन के पास रासायनिक तथा जीवाणु-युद्ध के हथियार हैं जो पाकिस्तान को उपलब्ध किये जा सकते हैं ;

(ख) क्या रासायनिक तथा जीवाणु-युद्ध सामग्री से सस्ती पड़ती है ;

(ग) क्या इन हथियारों का विकास करने के लिये भारत के पास आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस बारे में कोई प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :

(क) रक्षा अध्ययनों और विश्लेषणों के लिए तैयार किए गए एक लेख में ब्रिगेडियर राठी साहनी ने कहा है कि रसायनिक और रोगाणु आयुधों के प्रयोग के आक्रमणात्मक तथा प्रतिरक्षात्मक दोनों पहलुओं के निरीक्षण की आवश्यकता है । इस संदर्भ में उन्होंने यह भी कहा है कि इस तथ्य को कि चीन के पास पहले से यह आयुध हैं, और अगर इस बात को कार्यसाधक समझे तो वह उन्हें पाकिस्तान के लिए प्राप्य कर सकता है, नजरन्दाज नहीं करना चाहिए ।

(ख) दोनों प्रकार के आयुधों की सामरिक उपयोग्यताएं भिन्न हैं, और इसलिए उन की लागतों की तुलना करना यथार्थवादिता नहीं है । मानवों, पशुओं और फसलों की जो विनष्टि की जा सकती है उसकी महानता को देखते ही केवल नाभिकीय आयुधों की तुलना में रसायनिक और रोगाणु आयुधों का उत्पादन सस्ता रहेगा ।

(ग) तथा (घ) देश में वैज्ञानिक योग्यता प्राप्य होने पर भी भारत सरकार की नीति रसायनिक तथा रोगाणु आयुधों का निमार्ण करने की नहीं है, चाहे कुछ देश उनका निमार्ण कर भी रहे हों । यह स्थिति 19 जून, 1967 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2894 के उत्तर में भी बताई गई थी ।

प्राकृतिक रबड़ की कीमतें

5095. श्री वासुदेवन नायर : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्राकृतिक रबड़ की कीमत के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रशुल्क आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस प्रतिवेदन पर कोई निर्णय लिया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

रबड़ का उत्पादन तथा उसकी खपत

5096. श्री वासुदेवन नायर : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1969-70 में रबड़ के उत्पादन और उसकी खपत का कोई अनुमान लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1969-70 में के लिये रबड़ बोर्ड द्वारा लगाये गये अनुमान की तुलना में सरकार का अनुपात कितना कम अथवा अधिक है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) सरकार तथा रबड़ बोर्ड दोनों के अनुसार वर्ष 1969-70 में प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट रबड़ के उत्पादन तथा खपत का अनुमान निम्नलिखित है :—

उत्पादन

प्राकृति	81,000 मे० टन
संश्लिष्ट	30,000 मे० टन

खपत

प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट रबड़	1,27,000 मे० टन

Trade with Socialist Countries

5097. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that our trade with Socialist Countries is progressively increasing ;

(b) whether it is also a fact that trade links with some of the Socialist countries could not be established so far ;

(c) if so, the names of such countries and the reasons therefor ; and

(d) the action proposed to be taken to strengthen such links with these Countries ;

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak):

(a) to (d) Progressive growth in India's trade with Socialist Countries is reflected in the increase in the total turnover of trade between India and the socialist countries of Eastern Europe from Rs.8.6 crores in 1953 to Rs.440 crores in 1967. Trade with most of the Socialist Countries is governed by bilateral trade and payments agreements. Periodically bilateral consultations help in identifying growth points on both sides and thus promote the growth of trade further. However, with some Socialist Countries, trade has not developed for various reasons.

Recognition of East Germany

5098. **Shri Ramavatar Shastri :** **Shri D. C. Sharma :**
Shri Jugal Mondal :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some Members of Parliament, M.L.As. of Himachal Pradesh and Members of the Delhi Metropolitan Council and Delhi Municipal Corporation have demanded East Germany to be recognised through a joint letter written to the Prime Minister,

(b) if so, the names of signatories thereof and the names of political parties to which they belong ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) :

(a) and (b) It has not been possible to locate any such letter either in the Prime Minister's Secretariat or in the Ministry of External Affairs.

(c) Government's policy on ths question has already been stated on the floor of the House from time to time. Attention is invited in this connection to the reply given in Lok Sabha Unstarred Question No. 3198 on 4-12-1968.

विशेषित चाय पाठ्यक्रम

5100. **श्री हेम राज :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री 10 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3892 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम कृषि कालेज, जोरहाट में विशेष चाय पाठ्यक्रम के लिये अन्य राज्यों के लोगों के लिये जो 7 स्थान आरक्षित किये गये थे वे किन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिये हैं ; और

(ख) कितने विद्यार्थी दाखिल किये गये ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री० चौधरी राम सेवक) :

(क) और (ख) आसाम कृषि कालेज, जोरहाट में वशेषीकृत चाय पाठ्यक्रम में आसाम को छोड़ कर, राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों से आने वाले बाहरी व्यक्तियों के लिए आरक्षित सात स्थानों में से तीन स्थान भरे गये थे। दाखिल किये गये तीन व्यक्तियों में से वास्तव में केवल 2 व्यक्ति ही पाठ्यक्रम में शामिल हुए। उनमें से एक पश्चिम बंगाल का है। दूसरे विद्यार्थी के उद्भव वाले राज्य का पता लगाया जा रहा है ।

केरल में भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड का तीसरा कारखाना

5101. **श्रीमती सुशीला गोपालन : श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री पी० पी० एस्थोस : श्री प० गोपालन :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड बंगलौर का एक तीसरा कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या कारखाने की योजना तैयार करने का कार्य पूर्णतया भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड को सौंपा गया है ;

(ग) क्या केरल सरकार ने कारखाने के लिये अपेक्षित भूमि मुफ्त देने तथा पानी, विद्युत् और दक्ष श्रमिकों इत्यादि की अन्य सुविधायें देने की पेशकश की है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री ललित नारायण मिश्र) :

(क) इशारा शायद, मार्यक्रोवेव और रडार साज-सामान के निर्माण के लिए भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि० की एक दूसरी प्रस्तावित यूनिट की ओर है। इसके स्थान के लिये अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया ।

(ख) प्रायेजन भारत इलेक्ट्रानिक्स लि० को सौंप दिया गया है ।

(ग) केरल सरकार ने निशुल्क भूमि देने की पेशकश की थी, और यह भी कहा था कि कुशल श्रम भी प्राप्य होगा । उन्होंने स्थान पर आवश्यक शक्ति और जल सुविधाएँ भी प्राप्य करना स्वीकार कर लिया था, और सब्सिडी सहित भवन निर्माण योजना के अन्तर्गत, कार्मिकों के लिये आवश्यक संख्या में भवनों का निर्माण करने का प्रबन्ध करना भी । दस अन्य राज्य सरकारों ने फैक्टरी को अपने राज्यों में संस्थापित किए जाने के लिये प्रार्थना की है ।

(घ) अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

राजकीय व्यापार निगम द्वारा खोले गये प्रदर्शन-कक्ष

5102. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के व्यापार को बढ़ावा देने के लिये राजकीय व्यापार निगम ने विदेशों में वर्ष 1968 और 1969 में कितने प्रदर्शन-कक्ष खोले हैं ;

(ख) क्या इन प्रदर्शन–कक्षों में नियुक्त किये गये कर्मचारियों को व्यापार का पर्याप्त ज्ञान है ;

(ग) वर्तमान प्रदर्शन-कक्षों में इस समय कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और प्रत्येक कर्मचारी के व्यापार सम्बन्धी अनुभव का व्यौरा क्या है ; और

(घ) उन्हें कैसे चुना गया था ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) से (घ) वर्ष 1968 और 1969 में राज्य व्यापार निगम ने विदेशों में कोई प्रदर्शन-कक्ष नहीं खोले हैं । किन्तु, विदेशों में निगम के 12 शाखा-कार्यालय हैं जहां उसी स्थान पर व्यवसायिक बातचीत की जाती है और सौदे तय किए जाते हैं । ये विदेशी कार्यालय विभिन्न देशों में भारतीय निर्यातकों को आयातों के सम्बन्ध में जानकारी भी भेजते हैं । राज्य व्यापार निगम द्वारा इन कार्यालयों के अमलों का चयन उनके विगत अनुभव तथा ऐसे कार्यों के लिए उनकी उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुये किया जाता है । राज्य व्यापार निगम के सभी 12 विदेशी कार्यालयों में कर्मचारियों (अंशकालिक तथा स्थानीय कर्मचारियों सहित) की कुल संख्या 56 है । निगम इस समय विदेशी कार्यालयों के कार्य की समीक्षा कर रहा है ।

इंडोनेशिया के साथ आर्थिक सहयोग

5103. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :　　　　श्री रा० बरुआ :
　　　श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत का विचार इण्डोनेशिया में आर्थिक क्षेत्र में

पारस्परिक सहयोग के क्षेत्र तथा अवसर का मूल्यांकन करने के लिये वहाँ विशेषज्ञों का एक दल भेजने का है; और

(ख) क्या इस के गठन को अन्तिम रूप दे दिया गया है और यदि हाँ, तो इस दल के कब तक भेजे जाने की सम्भावना है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :

(क) और (ख) हालाँकि यह सत्य है कि इन्डोनेशिया सरकार ने, अपनी पंचवर्षीय विकास योजना में भारत के सहयोग का स्वागत किया है, किन्तु ऐसे सहयोग की ओर ठोस कदम उठाने पर दोनों देशों के बीच विचार-विमर्श हो रहा है ।

चीन के विस्तारवाद का मुकाबला करने के लिये एशियाई सेना

5104. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में भारत सरकार तथा इण्डोनेशिया के विदेश मन्त्री के बीच चीन से सम्भावित खतरे के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया गया था;

(ख) क्या चीन के विस्तारवाद का मुकाबला करने के लिए एक एशियाई सेना का गठन करने के प्रश्न पर भी विचार किया गया था ; और

(ग) यदि हाँ, तो बातचीत का क्या निष्कर्ष निकाला ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :

(क) से (ग) इन्डोनेशिया के विदेश मन्त्री की यात्रा की समाप्ति पर जारी की गई सम्मिलित विज्ञप्ति की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है । [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 592/69] इसमें यह बताया गया है कि उनके साथ बातचीत में किन-किन प्रश्नों पर विचार-विमर्श हुआ और क्या-क्या निष्कर्ष निकले ।

सिडनी में स्थायी व्यापार कार्यालय

5105. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिडनी में शीघ्र ही एक स्थायी व्यापार कार्यालय स्थापित किया जायेगा;

(ख) यदि हाँ, तो व्यापार कार्यालय के क्या कार्य होंगे और क्या यह वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय अथवा वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय के अधीन कार्य करेगा ; और

(ग) वर्ष 1969 में ऐसे कितने व्यापार कार्यालय स्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) और (ख) सिडनी में भारत का एक व्यापार कार्यालय 1941 से है। इसे अप्रैल, 1968 में उप-उच्चायोग बना दिया गया था। यह विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मन्त्रालय के

अधीन कार्य कर रहा है । सामान्य वाणिज्यिक कार्यों के अतिरिक्त यह कार्यालय कतिपय राज-नैतिक तथा कौन्सली कार्य भी करता है ।

(ग) हमने लीमा (पेरू) तथा केराकस (वेनेज्यूला) में दो नये कार्यालय खोलने का विनिश्चय किया है और आशा है कि ये कार्यालय कुछ ही महीनों की अवधि में कार्य करना आरम्भ कर देंगे ।

Elections to Cantonment Boards

5106. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that elections to the Cantonment Boards in the country are held after every three years ;

(b) whether it a fact that the Cantonment Boards have passed resolutions asking Government to fix the date of election to the Cantonment Boards also after a period of five years as is being done in the case of elections to Lok Sabha, Legislative Assemblies, Corporations and Municipalities ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) :

(a) Under section 15 of the Cantonments Act, 1924, the normal term of office of a member is three years.

(b) and (c) Proposals to extend the term of office of Cantonment Board from three to five years have been received from a few of the Cantonment Boards and the matter is under consideration.

Powerlooms in Madhya Pradesh

5107. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) the number of power-looms allotted to Madhya Pradesh in the Fourth Five Year Plan ;

(b) when such allotment was made ;

(c) the procedure laid down for issuing Texmarks ;

(d) the number of applications received by Government through Madhya Pradesh Govornment for grant of Texmarks ;

(e) whether complaints from the individuals who applied for licences for powerlooms, stating that their application for texmarks were not accepted have been received by Government ; and

(f) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) :

(a) 4,700.

(b) 2nd June, 1966.

(c) A statement is laid on the Table of the House.

(d) 1,034.

(e) No, Sir.

(f) Does not arise.

STATEMENT

The procedure laid down for issuing Texmarks is given below :

(1) All applications for installation of powerlooms are to be made to the State Textile Authorities.

(2) If the State Government decides to allot powerlooms to the party concerned, the latter is asked to submit an application for grant of a tax-permit. He is also asked to deposit Rs. 100 per powerloom either in the Treasury or in the Reserve Bank of India as fee for the powerloom.

(3) The application together with a Treasury Challan is forwarded by the State Textile Authorities with their recommendations to the Regional Offices of the Textile Commissioner.

(4) The Regional Offfice of the Textile Commissicner will issue the Texmark permit on receipt of the application. In case any licence under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, is required the party will be asked to obtain such licence.

(5) The party is also asked to obtain a licence from the Central Excise Authorities within one month from the date of issue of the texmark.

(6) If the party fails to produce the licence from the Excise authorities within the stipulated period, the texpermit is liable to be cancelled.

Rehabilitation of Ex-Servicemen in M. P.

5108. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether any scheme has been prepared this year for the rehabilitation of ex-Servicemen by providing them agriculturable land in Madhya Pradesh and if so, the details thereof; and

(b) the total number of applications received from them for allotment of land during the period from the Ist April to the 31st December, 1968 ?

The Minister of Defence (Shri M. R. Krishna) :

(a) and (b) The information has been called for from the State Government and will be laid on the Table of the House in due course.

श्री कांति देसाई से सम्बद्ध फर्मों को लाइसेंस जारी करना

5109. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या विदेशी व्यापार तथा ग्रापूर्ति मंत्री 18 फरवरी, 1969 के ग्रतारांकित प्रश्न संख्या 178 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन फर्मों ग्रौर समवायों के साथ श्री कान्ति देसाई ग्रथवा उनकी पत्नी का सम्बन्ध रहा है, ग्रथवा है, उनको शीघ्र लाइसेंस जारी करने के लिये उनके मन्त्रालय को कितनी बार स्मृति-पत्र ग्रथवा सिफारिशें प्राप्त हुई हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

जिन फर्म (फर्मों) तथा प्रतिष्ठान (नों) के साथ श्री कान्ति देसाई ग्रथवा उनकी पत्नी का सम्बन्ध है ग्रथवा रहा है, उनका विशिष्ट उल्लेख न होने की स्थिति में, ग्रपेक्षि जानकारी देना सम्भव नहीं होगा ।

जापान को बौक्साइट का निर्यात

5110. श्री रा० बरुग्रा : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने गोग्रा से 15 वर्ष की ग्रवधि के लिए बौक्साइट खरीदने के लिए कोई करार किया है ; ग्रौर

(ख) क्या बौक्साइट में 56 प्रतिशत मात्रा एल्युमिनियम है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) :

(क) तथा (ख) सरकार का ध्यान एक समाचार की ग्रोर गया है जिसके ग्रनुसार एक भारतीय फर्म ने भारी संख्या में ग्रौर लम्बी ग्रवधि के लिए एक जापानी फर्म को बौक्साइट विक्रय का प्रस्ताव किया है इससे ग्रधिक सूचना सरकार को उपलब्ध नहीं।

कच्चाटीबू में त्यौहार के लिये परमिट जारी करना

5112. श्री सु० कु० तापड़िया : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीलंका सरकार ने कच्चाटीबू में हाल के एक त्योहार तथा धार्मिक मेले के सम्बन्ध में वहाँ पर श्रीलंका के तीर्थयात्रियों का प्रवेश विनियमित करने के लिये परमिट जारी किये हैं ;

(ख) क्या भारत सरकार ने भी भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए भी उक्त प्रयोजन हेतु इसी प्रकार के परमिट जारी किये हैं ग्रौर यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या कच्चाटीबू में ईसाई त्योहार मनाने के लिये सरकार द्वारा कोई सुविधायें दी जा रही हैं ; ग्रौर

(घ) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है ग्रौर यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में श्रीलंका के साथ हुई वार्ता में कितनी प्रगति हुई है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :

(क) जी, नहीं ; लेकिन श्रीलंका की सरकार ने श्रीलंका के तीर्थयात्रियों के लिए इस वर्ष स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र जारी किये थे जिसका एक उद्देश्य ग्रवैध ग्राव्रजन को रोकना भी था। श्रीलंका की सरकार पिछले वर्षों में ऐसा करती रही है।

(ख) जी, नहीं । भारत सरकार ने ऐसा करना ग्रावश्यक नहीं समझा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) दोनों देशों की सरकारें इस बात पर राजी हुई की पर्व-त्योहार के सम्बन्ध में ऐसा कोई कदम न उठाया जाए जिससे पिछली रीति में व्यतिक्रम ग्रा जाए।

ऊन का आयात

5113. श्री जुगल मंडल : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री 3 दिसम्बर, 1968 के ग्रतारांकित प्रश्न संख्या 3052 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1962-63 में प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये ऊन के आयात के बारे में इस बीच जाँच के निष्कर्षों की पूरी जाँच कर ली है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) और (ख) मुख्य सतर्कता आयुक्त की सलाह पर यह विनिश्चय किया गया है कि :—

(1) वस्त्र आयुक्त के कार्यालय के एक अधिकारी के पास अनुपात से अधिक परिसंपत्तियाँ पाये जाने पर विधि न्यायलय में मुकदमा चलाया जाए ;

(2) एक अन्य आरोप पर उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की जाए ; और

(3) उस कार्यालय के एक अन्य अधिकारी को चेतावनी दी जाए।

लौह-अयस्क की खरीदारी में कमी

5114. श्री क० प्र० सिंह देव : श्री सुशीला नैयर :
श्री ए० श्रीधरन : श्री द० अमात :
श्री स० कुन्दू :

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खनिज तथा धातु व्यापार निगम के इस नवीनतम निर्णय से अवगत है कि वह बाँसपानी-बारबिल-बरजमदा क्षेत्र से जितना लौह-अयस्क पहले उठाता था, अब उससे आधा माल उठायेगा ;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि निगम के आदेश से खान-मालिकों ने लौह-अयस्क के उत्पादन की वार्षिक क्षमता 50 लाख टन तक बढ़ाने के लिये प्रयत्न किये थे और उनका 1969 तक इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेने का अनुमान था ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निगम के माल उठाने में 50% की कमी करने के निर्णय से उड़ीसा के खनन उद्योग को बहुत अधिक मन्दी का सामना करना पड़ेगा जिससे खनन उद्योग के श्रमिकों में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैल जायेगी ; और

(घ) यदि हाँ, तो उक्त उद्योग को संकट से बचाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) से (घ) सीमित मात्रा में निर्यात क्रयादेश तथा रूरकेला इस्पात संयंत्र से कम इंडेंट प्राप्त होने के कारण खनिज तथा धातु व्यापार निगम के बाँसपानी-बारबिल-बरजमदा क्षेत्र

खान मालिकों से लोह् अयस्क की खरीद कम करनी पड़ी । किन्तु, रूरकेला इस्पात संयंत्र ने अप्रैल-जून, 1969 की तिमाही के लिये अब कतिपय अतिरिक्त माँग की है और पहले आवश्यक समझी गई कटौती को पर्याप्त रूप में कम कर दिया गया है । खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा लगाये गये अनुमान के अनुसार केवल आठ खान-मालिकों की उत्पादन क्षमता, जो कुल मिला कर लगभग 23,000 मे टन है, का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा । स्थिति की जून, 1969 में फिर समीक्षा की जायेगी जबकि जुलाई-सितम्बर की तिमाही के लिये रूरकेला की आवश्यकता का पता लगेगा ।

चलचित्रों का निर्यात

5115. श्री जुगल मंडल : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में निर्मित कितने चलचित्रों का इंग्लैण्ड, पश्चिम जर्मनी, फ्रांस तथा स्विट-जरलैण्ड को वर्ष 1968-69 में निर्यात किया गया;

(ख) उक्त अवधि में उन देशों को चलचित्र भेजने वाले चलचित्र-निर्माताओं के नाम तथा पते क्या हैं ;

(ग) क्या ये चलचित्र निर्माताओं द्वारा इंडियन मोशन पिक्चर्ज एक्सपो कारपोरेशन अथवा गैर-सरकारी अभिकरणों के माध्यम से भेजे गये हैं और यदि गैर-सरकारी अभिकरणों के माध्यम से भेजे गये हैं तो उन अभिकरणों के नाम क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) फिल्मों के निर्यात आँकड़े महानिदेशक, वाणिज्यिक आसूचना तथा साँख्यिकी, कलकत्ता द्वारा मीटर तथा मूल्य में रखे जाते हैं । ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी, फ्राँस तथा स्विट्जर-लैण्ड को निर्यातों का विवरण संलग्न है ।

(ख) यह जानकारी नहीं रखी जाती है ।

(ग) इस वर्ष भारतीय चलचित्र निर्यात निगम ने ब्रिटेन को 'बूँद जो बन गई मोती' तथा 'मझली दीदी' नामक दो फिल्मों का निर्यात किया है ।

विवरण

वर्ष 1968-69 (नवम्बर, 68) में धुली अथवा बिना धुली सिनेमा फिल्मों के निर्यात आँकड़े दर्शाने वाला विवरण ।

देश	(परिणाम हजार मीटर में)	(मूल्य हजार रु० में)
ब्रिटेन	538	4285
पश्चिम जर्मनी	5	148
फ्रांस	27	51
स्विट्जरलैण्ड	6	9

रूस तथा अरब देशों में भारतीय चलचित्रों का प्रदर्शन

5116. श्री जुगल मंडल : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में निर्मित कितने चलचित्रों को पिछले नौ महीनों में रूस, संयुक्त राज्य अमरीका, तथा अरब देशों में प्रदर्शित किया गया है; और

(ख) उक्त अवधि में उन देशों को चलचित्र भेजने वाले निर्माताओं के नाम तथा पते क्या हैं;

(ग) उक्त अविध में उक्त देशों से सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले चलचित्रों के नाम क्या हैं और इनके निर्माता कौन-कौन हैं; और

(घ) क्या इन देशों में प्रदर्शित किन्ही चलचित्रों की अन्तर्राष्ट्रीय कर-छूट मिली है अथवा रोक लगाई है और यदि हाँ, तो उन चलचित्रों के नाम क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) से (घ) जानकारी उपलब्ध नहीं हैं। चलचित्रों के निर्यात आँकड़े वाणिज्यिक आसूचना तथा साँख्यिकी महानिदेशक, कलकत्ता द्वारा मीटर तथा मूल्य में रखे जा रहे हैं। अप्रैल, 1968 से नवम्बर, 1968 की अवधि में सोवियत संघ, सं० रा० अमरीका तथा अरब देशों को सिनेमा के खिचे हुए चलचित्रों (घुले हुए अथवा बिना धुले हुए) के निर्यात आंकड़ों की (मात्रा तथा मूल्य में) दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

देश	(मात्रा हजार मीटर में)	(मूल्य हजार रुपये में)
सोवियत संघ	54	I17
सं० रा० अमरीका	70	249
अरब देश	1197	3682

रूस को रेल माल-डिब्बों का निर्यात

5117. श्री लोबो प्रभु : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री 25 फरवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1157 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूस ने अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिये माल-डिब्बों की प्राप्ति के लिये चल रही वार्ता में किस मूल्म पर माल-डिब्बे खरीदने की पेशकश की है ;

(ख) इस प्रकार के माल-डिब्बों के निर्माण पर कितनी लागत आयेगी ; और

(ग) चूँकि यह बताया गया है कि 1966 से अक्टूबर, 1968 तक रूस को हमारा निर्यात हमारे आयात से 61 करोड़ रुपये का अधिक हुआ है क्या इस पर कोई ब्याज लिया गया है ; और रूस द्वारा इसका भुगतान करने के लिये क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) अभी तक सोवियत रूस द्वारा किसी निश्चित मूल्य की पेशकश नहीं की गई है।

(ख) इस प्रकार के डिब्बे, जिसका उत्पादन भारत में अभी तक नहीं किया गया है, की उत्पादन लागत, विभिन्न निर्माण संयंत्रों में उत्पादन के समय, सामग्री, श्रम आदि सम्बन्धी विभिन्न बातों पर निर्भर होगी।

(ग) सोवियत रूस से हमारे निर्यातों की अपेक्षा उस देश को हमारे निर्यातों के अधिक होने का कारण मुख्यतः यह है कि विभिन्न सोवियत ऋणों की किश्तों तथा ब्याज का नकद भुगतान कर दिया गया, और इसका यह अर्थ नहीं है कि वह देश भारत का ऋणी है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा विदेशी कारों की बिक्री

5118. श्री स० अ० अगडी : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजदूतावासों की कारों को, जब वे उनको बदलना चाहें, राज्य व्यापार निगम द्वारा उन गाड़ियों को उक्त मूल्य पर खरीद लिया जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो 1966-67, 1967-68 में और 1968-69 में भारत में स्थित राजदूतावासों तथा उच्चायुक्तों से कितनी मोटर गाड़ियाँ प्राप्त हुईं;

(ग) इस अवधि में वर्षवार उनके लिये कितनी धनराशि दी गई तथा उनकी बिक्री से कितनी धनराशि प्राप्त हुई;

(घ) क्या यह सच है कि अभी हाल ही में 82 मोटरगाड़ियों के लिये टैण्डर मांगे गये थे और टैण्डर देने की अन्तिम तारीख 17 फरवरी, 1969 थी; और

(ङ) यदि हाँ, तो प्रत्येक मोटरगाड़ी के लिये कितनी कीमत दी गई और उनकी बिक्री से कितनी-कितनी धनराशि प्राप्त हुई ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) राज्य व्यापार निगम विदेशी राजनयिक मिशनों / राजनयिकों द्वारा राज्य व्यापार निगम को बेची गई कारों का लगात बीमाभाड़ा सहित पूरा मूल्य उन्हें चुकाता है। इसके अतिरिक्त राज्य व्यापार निगम ऐसे मामलों में सीमाशुल्क प्राधिकारियों को सीमाशुल्क भी चुकाता है जबकि कारें भारत में उनके आयात की तारीख से तीन वर्ष की अवधि में खरीदी गई हों।

(ख) और (ग) विदेशी मिशनों, राजनयिकों तथा अधिकारियों से खरीदी गई गाड़ियों की संख्या, चुकाया गया मूल्य, बेची गई गाड़ियों की संख्या और बिक्री मूल्य नीचे दिया गया है :—

	मूल्य लाख रुपये में अनुमानतः		
	1966-67	1967-68	1968-69 (फरवरी, 69 के अंत तक)
खरीदी गई गाड़ियों की संख्या	376	445	550
चुकाया गया मूल्य	55 लाख रु०	70 लाख रु०	125 लाख रु०
बेची गई गाड़ियों की संख्या	376	362	674
बिक्री मूल्य	114 लाख रु०	99 लाख रु०	200 लाख रु०

(घ) जी हां ।

(ङ) यह जानकारी देना राज्य व्यापार निगम के व्यावसायिक हित में नहीं होगा ।

रूस को रेल माल-डिब्बों की सप्लाई

5119. श्री बेणी शंकर शर्मा : श्री दी० चं० शर्मा :

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मास्को में हाल ही में भारत और रूस के बीच व्यापार करार हुआ है जिसके अधीन रूसी विशिष्ट विवरण के अनुसार बनाये गये 16 माल-डिब्बे नमूने के रूप में रूस भेजे जायेंगे ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या मूल्य के बारे में निर्णय कर लिया गया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) वर्ष 1969 में भारत तथा सोवियत संघ के बीच माल के आयात-निर्यात से सम्बन्धित करार में सोवियत संघ को कुछ प्रोटोटाइप माल-डिब्बों की आपूर्ति की व्यवस्था है ।

(ख) खुले 8 पहिये वाले डबल बोगी गोंडोला माल-डिब्बों की सोवियत संघ द्वारा उपेक्षा की गई है ।

(ग) जी नहीं ।

योजना आयोग का समाज योजना विभाग (डिवीज़न)

5120. श्री प्र० रं० ठाकुर : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग में एक पृथक समाज योजना विभाग (डिवीज़न) है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसे कब बनाया गया था और इस संगठन का वर्तमान ढाँचा क्या है;

(ग) इस डिवीजम ने अब तक कौन-कौन सी विशेष परियोजनाएँ और किस किस्म की समाज योजनाएँ आरम्भ की हैं ;

(क) क्या उसने अब तक कोई सामाजिक नीति सम्बन्धी संकल्प तैयार किया है;

(ङ) क्या इस डिवीजन द्वारा अब तक समाज कल्याण के लिये कोई भावी योजनाएँ, विशेषत: पिछड़ी जातियों के सम्बन्ध में समाज कल्याण के लिये तैयार की गई हैं ; और

(च) यदि हाँ, तो क्या उनकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी; और

(छ) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :

(क) समाज योजना एकक, योजना आयोग के समन्वित योजना प्रभाग का एक पृथक एकक है ।

(ख) समाज योजना एकक 1950 से काम कर रहा है । इसका एक संयुक्त निदेशक है जिनकी सहायता के लिए पाँच अनुसन्धान अधिकारी और कुछ अन्वेषक तथा सहायक प्रशासनिक कर्मचारी हैं ।

(ग) यह एकक, समाज कल्याण तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के सम्बन्ध में योजना आयोग को पंचवर्षीय योजनाएँ तथा वार्षिक योजनाएँ तैयार करने में सहायता प्रदान करता है ।

(घ) सामाजिक नीति हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का अभिन्न अंग है । अत: सामाजिक नीति के बारे में इस एकक को संकल्प तैयार करने की आवश्यकता नहीं पड़ी ।

(ङ) से (छ) समाज कल्याण और विशेष रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण के सम्बन्ध में किसी प्रकार की भावी योजना तैयार नहीं की गई है, अत: उसकी प्रति सभा-पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता । परन्तु हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का सम्बन्ध, पिछड़े वर्गों सहित समाज के सभी वर्गों का जीवन-स्तर उठाने की दीर्घकालीन योजना से है । 'हमारी योजनाओं में पिछड़े वर्गों का कल्याण' मद के अन्तर्गत जो प्रावधान किया जाता है, उसका उद्देश्य केवल अन्य मदों, जिनसे अन्य लोगों के साथ पिछड़े वर्गों को भी लाभ होगा, के प्रावधानों में वृद्धि करना है ।

योजना आयोग का समाज योजना विभाग (डिवीजन)

5121. **श्री प्र० रं० ठाकुर :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग का समाज योजना विभाग अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए कल्याण योजनाएँ तैयार करने के लिए उत्तरदायी है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस विभाग ने किसी व्यापक समाज सुधार नीति का, विशेषत: हिन्दू समाज में जाति प्रथा तथा अस्पृश्यता के सम्बन्ध में, सुझाव दिया है ;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) इस डिवीजन में इस समय कुल कितने अधिकारी तथा कर्मचारी काम कर रहे हैं; और

(ङ) उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने कर्मचारी हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) जी, हाँ। यह योजना आयोग को, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बन्धित योजनाएँ तैयार करने में सहायता प्रदान करता है।

(ख) और (ग) समाज योजना एकक में पिछड़े वर्गों के सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए कई कार्यक्रम तैयार किए गए हैं और इन्हें योजनाओं में शामिल किया गया है। ये कार्यक्रम उनके आर्थिक और सामाजिक स्तर उठाने और अस्पृश्यता के निवारण में प्रत्यक्ष रूप अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सहायता देंगे।

(घ) समाज योजना एकक में इस समय काम कर रहे अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या 16 है।

(ङ) कोई नहीं।

Assault on the son of the Indian High Commissioner in London

5122. **Shri Ramavatar Sharma : Shrimati Ila Palchoudhuri :**

Shri V. Narsimha Rao :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it a fact that the son of India's High Commissioner in U. K. was beaten up in London sometime back ; and

(b) if so, the steps being taken by Government for the security of the staff of our Mission and their family-members ?

The Deputy Minister in the Ministry of Extrnal Affairs (Shri Surendra Pal Singh) :

(a) Yes, Sir.

(b) Security of the staff of our Mission and their family-members in U. K. is the responsibility of the Local Government.

Unemployed Ex-Servicemen in the Country

5123. **Shri Ram Avtar Sharma : Shri Ram Singh Ayarwal :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of unemployed ex-Servicemen in the country at present ; and

(b) the steps being taken by Government to make more employment apportunities available to them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna) :

(a) The number of unemployed ex-servicemen registered with the Employment Exchanges as on 31st December 1968 was 72,613.

(b) The Hon'ble Member's attention is invited to the reply given to part (b) of unstarred Question No. 9182 answered in the Lok Sabha on 1st May, 1968.

रबड़ के मूल्य

5124. श्री काशी नाथ पाण्डेय : क्या विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मन्त्री 12 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 388 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय रबड़ उत्पादक संघ, कोट्टयम से प्राप्त हुए अभ्यावेदन पर, जिसमें रबड़ उद्योग के प्रतिनिधि एककों में किये गये मूल्यों के अध्ययन के आधार पर न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने पर जोर दिया गया है, इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) और (ख) सरकार ने यह मामला टैरिफ आयोग को भेजा है और इस विषय पर उस प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है।

आर्थिक मन्त्रालयों का काम

5125. श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आर्थिक मन्त्रालयों के काम में कोई उचित समन्वय नहीं है; और

(ख) यदि हाँ तो उनमें समन्वय लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) और (ख) जी नहीं। उचित समन्वय के लिए उपयुक्त प्रबन्ध किए हुए हैं। फिर भी, उन्हें और अधिक सुधारने तथा दृढ़ करने के लिए सरकार निरन्तर प्रयत्नशील है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय

5126. श्री स० चं० सामन्त : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय में अधीक्षकों/सहायक निदेशकों/उप-निदेशकों/संयुक्त निदेशकों की नियुक्ति पदोन्नति–सीधी भर्ती तथा विभागीय पदोन्नति दोनों के ही माध्यम से–तथा स्थायी करने के सम्बन्ध में कोई नियम बनाये गये हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उनकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायगी;

(ग) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण में ऐसे कितने अधीक्षक तथा सहायता निदेशक हैं जो पाँच वर्ष से अधिक समय से सेवा कर रहे हैं और जिन्हें अभी तक स्थायी नहीं बनाया गया है ; और

(घ) उन्हें स्थायी बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रधान मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी) :

(क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय में अधीक्षक के पदों के लिए विभागीय नियम प्रकाशित किये गये हैं, सांख्यिकी विभाग अधिसूचना संख्या 2(i)/63-सिब्बंदी 11 दिनांक 17 जुलाई, 1964 देखें। इन पदों पर स्थायीकरण दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि की सफलता पूर्वक समाप्ति तथा उक्त पदक्रम (ग्रेड) में स्थायी पदों की उपलब्धि पर निर्भर करता है। सहायक निदेशक तथा उप–निदेशक के पद पर भारतीय सांख्यिकीय सेवा के अधिकारी रखे जाते हैं, और इन पदों पर भरती, स्थायीकरण आदि भारतीय सांख्यिकीय सेवा सम्बन्धी नियमों से नियंत्रित हैं जो भारतीय राज-पत्र में प्रकाशित हुए थे, गृह–मंत्रालय अधिसूचना संख्या

8/3/61–सिबबदी (डी) दिनांक 21 नवम्बर, 1961 देखें। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय में संयुक्त निदेशक का पद नहीं है।

(ख) भाग (क) के उत्तर में संदर्भित नियमों को भारतीय राज-पत्र में पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है।

(ग) पांच सहायक निदेशकों तथा 49 अधीक्षकों ने पांच वर्ष से अधिक सेवा की है। दो सहायक निदेशकों तथा 33 अधीक्षकों का स्थायीकरण अभी होने को है।

(घ) अधीक्षकों के स्थायीकरण का प्रश्न विचाराधीन है। सहायक निदेशकों को भारतीय सांख्यिकीय सेवा में स्थायी रिक्त पदों की उपलब्धि के अनुसार स्थायी किया जायेगा।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय का उप–निदेशक

5127. श्री स० चं० सामन्त: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय में एक उप-निदेशक को फरवरी–मार्च, 1969 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विभाग के मुख्य निदेशक का कार्य–भार वहन करने की अनुमति दी गई थी, यदि हाँ, तो कितनी अवधि के लिये;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई हिदायतें जारी की हैं कि कार्यवाहक अधिकारी के रूप में नियुक्त कोई अधिकारी प्रशासनिक, वित्तीय तथा अन्य शक्तियों का कहाँ तक प्रयोग कर सकता है, यदि हाँ तो क्या उनकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी;

(ग) क्या इस बात का पता लगाने के लिये कि क्या इस अधिकारी ने मुख्य निदेशक के स्थान पर कार्यवाहक अधिकारी के रूप में मुख्य निदेशक की किसी शक्ति का आवश्यकता से अधिक अथवा गलत ढंग से प्रयोग नहीं किया, कोई जाँच की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

प्रधान मन्त्री, अणु–शक्ति मन्त्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) जी हाँ। छः महीने की अवधि के लिए।

(ख) जी हाँ। अनुदेशों (हिदायतों) की एक प्रति संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 593/69]

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

धमरा पत्तन (उड़ीसा) में नौवहन प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव

5128. श्री स० कुन्दू : श्री डी० डी० जेना :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में चाँदबाली–धमरा पत्तन में एक नौवहन प्रशिक्षण केन्द्र तथा नौसैनिक नाव निर्माण कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उपरोक्त एककों को वहाँ स्थापित करने के लिये इस पत्तन की क्षमता के बारे में सरकार ने जाँच की हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसा करने का है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह)

(क) जी नहीं।

(ख) इस समय चान्दबाली-घमरा पत्तन की कोई माँग नहीं हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(घ) जी नहीं ।

योजना आयोग द्वारा तमिल नाडू में योजनाओं की क्रियान्विति

5129. श्री मयावन : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तमिल नाडू में योजना आयोग द्वारा विभिन्न योजनाओं की क्रियान्विति के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) राज्य द्वारा भेजी गई योजनाओं को किस आधार पर क्रियान्वित किया जाता है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :

(क) और (ख) तमिल नाडू सरकार ने अपनी चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप योजना आयोग को प्रस्तुत किया है। योजना आयोग द्वारा किसी प्रकार की भी योजना स्कीमें सीधी कार्यान्वित नहीं की जाती। विशिष्ट स्कीमें राज्य सरकार द्वारा चौथी योजना के दौरान तैयार कर कार्यान्वित की जायेंगी ।

भारत के मार्ग से नेपाल को होने वाला निर्यात

5130. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 से 1968-69 की अवधि में प्रतिवर्ष कितने मूल्य की वस्तुएँ भारत के मार्ग द्वारा नेपाल भेजी गईं ; और

(ख) इन सौदों से सम्बन्धित फर्मों के नाम क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) वाणिज्य आसूचना तथा सांख्यिकी महानिदेशक से उपलब्ध जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 1964-65, 1965-66, 1966-67, 1967-68 और अप्रैल से सितम्बर, 1968 तक के छः महीनों में नेपाल को भारत में से होकर क्रमशः 571 लाख रु० 532 लाख रु०, 823 लाख रु०, 1398 लाख रु० और 682 लाख रु० (अस्थाई) के कुल मूल्य का माल गया ।

(ख) कलकत्ता पत्तन से हो कर नेपाल को जाने वाली वस्तुओं के भिजवाने आदि की उन प्रबन्ध अभिकर्ताओं द्वारा व्यवस्था की जाती है जिन्हें इस प्रयोजन के लिये संबंद्ध नेपाली आयातकों द्वारा नियुक्त किया गया हो। उक्त वर्षों में जिन अभिकर्ताओं ने परेषणों की व्यवस्था की उनके नामों को बताना संभव नहीं है।

Storage of Chaff in Military Farm at Meerut

5131. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it a fact that the chaff in the Military farm in Meerut is kept in an open space and there is no separate godown for it as a result of which hundreds of maunds of chaff is spoiled by rains ; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) :

(a) and (b) The chaff is stacked on constructed plinth sites. The stacks though open to the sky are protected by thatching with coarse grasses or with mud mortar lepai. This provides adequate protection. It would not be correct to say that hundreds of mandus of chaff is spoiled by rains.

नेपाल में विद्यार्थियों का भारत–विरोधी प्रदर्शन

5132 श्री रा० कृ० सिंह : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल में काठमाण्डू के निकट पाटन स्थान के विद्यार्थियों ने 8 मार्च, 1969 को भारत-विरोधी प्रदर्शन किया था ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या भारत सरकार ने नेपाल सरकार के साथ मामला उठाया है ; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वैदेशिक कार्य-मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :

(क) और (ख) यह एक बहुत ही छोटा प्रदर्शन था, जिसमें 25 विद्यार्थियों ने भाग लिया, और चूँकि नेपाल सरकार ने इसे बढ़ने से रोकने के लिए पर्याप्त उपाय कर लिए थे, अतः नेपाल के अधिकारियों के साथ यह मामला उठाना उचित नहीं समझा गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत–ईरान संयुक्त उपक्रमों के बारे में सन्देह

5133. श्री रा० कृ० सिंह : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि ईरान ने भारत-ईरान संयुक्त उपक्रमों की सम्भावनाओं के बारे में सन्देह प्रकट किये हैं :

(ख) यदि हाँ, तो किन कारणों से ऐसी भावना पैदा हुई है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य–मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह):

(क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

Grant of Loans To Ex-Servicemen

5134. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the purposes for which and the basis on which loans are granted to ex-servicemen;

(b) whether tractors and water-pumps are provided to ex-servicemen for agriculture, and if so, the basis therefor ; and

(c) the particulars of implements provided and the amount of loans granted during the past three years, categorywise from a Jawan to an Officer ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R Krishna) :

(a) Apart from the normal loan schemes of the State Governments which are applicable to ex-servicemen also they are eligible for loans from the Special Fund for Reconstruction and Rehabilitation of ex-servicemen for starting industries or business undertakings either individually or as members of a co-operative society.

(b) From 1967, a percentage of the tractors imported by the State Trading Corporation is reserved for sale to serving and ex-servicemen for agricultural purposes. There is no such reservation for water-pumps. Tractors are allotted on a "first come first served" basis to such personnel who have a minimum of 5 acres of land, but do not already posses an imported tractor and who have sufficient resources to pay for the tractor in one lump sum.

(c) The first quota of 283 tractors received from State Trading Coporation in 1967-68 has been distributed to serving and ex-service personnel. A second quota of 692 tractors has been received in 1968-69. A laon of Rs.30 lakhs has been given to the Madras Sappers Ex-Servicemen's Rehabilitation Association, Bangalore, from the Central Unit of the Special Fund for Re-construction and Rehabilitation of Ex-Servicemen. Category-wise details of the allotment of tractors or of sanction of loans by State Governments or State Units of the Special Fund are not available.

Ex-Servicemen Registered with Re-settlement Section

5135. **Shri Ram Singh Ayarwal** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state the Number of ex-servicemen who have got their names registered in the Re-settlement section during the last two years and the number out of them who have been provided with employment ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna) :

Ex-servicemen seeking employment are normally expected to register in the Employment Exchange. Even so, 6,171 ex-service personnel approached the Directorate-General of Re-settlement during the last two years and 2,839 were employed during the same period with the help of the Directorate-General of Re-settlement.

श्री एस० एस० खेड़ा द्वारा लिखी गई 'इन्डियाज डिफेन्स प्राब्लम्स' नामक पुस्तक

5136. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान श्री एस० ए० खेड़ा द्वारा लिखित 'इन्डियाज डिफेन्स प्राब्लम्स' नामक पुस्तक की ओर दिलाया गया है जिसमें लेखक ने लिखा है कि भारत की तैयारी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े बिना प्रतिरक्षा व्यय में 200 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की कमी की जा सकती है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) और (ख) श्री खेड़ा ने अपनी पुस्तक में अनुमान लगाया है कि प्रतिरक्षा व्यय में प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपये बचाये जा सकते थे. यह ठीक नहीं है।

श्री खेड़ा ने अपनी पुस्तक में यह साधिकार बताया है कि प्रतिरक्षा पर होने वाले खर्च में वस्तु सूची-नियंत्रण की नई प्रणाली लागू करने से, उत्पादन साधनों का सुचारू रूप से संचालन करने तथा उपकरण एवं पुर्जों का कम आयात करने से 10 प्रतिशत व्यय कम किया जा सकता है । उन्होंने यह भी बताया है कि सारी सशस्त्र सेना में प्रबन्ध तथा व्यवस्था में थोड़ा सुधार करने से सम्भवतः रक्षा-बजट में 20 प्रतिशत की बचत हो सकती है। वस्तु सूची-नियन्त्रण की वर्तमान प्रणाली, उत्पादन प्रतिष्ठानों तथा प्रतिरक्षा सेवाओं में सुधार करने पर प्रयोग कई वर्ष पूर्व आरम्भ कर दिया गया था। इससे खर्च में आर्थिक लाभ हो गया था तथा अधिक गति से उत्पादन आरम्भ कर दिया गया था। इस प्रकार की प्रक्रियाओं का और अधिक तथा निरन्तर रूप से सुधार किया जा रहा है ।

ब्रिटिश सरकार की परामर्श योजना सम्बन्धी दस्तावेज

5137. श्री शिवचन्द्र झा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्रिटिश सरकार के परामर्श योजना सम्बन्धी हाल के दस्तावेज का अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो योजना के खुद अपने सिद्धान्तों को देखते हुए उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

प्रधान मन्त्री अणु-शक्ति मन्त्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :

(क) यदि माननीय सदस्य का तात्पर्य ब्रिटिश सरकार के अर्थ विभाग के 'द टास्क अहेड' शीर्षक वाले दस्तावेज से है तो सरकार को उस दस्तावेज की जानकारी है।

(ख) दस्तावेज में योजना के उन पहलुओं का हवाला दिया गया है जिनसे हम परिचित हैं।

बिहार में परमाणु संयंत्र की स्थापना

5138. श्री शिवचन्द्र झा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना की अवधि में बिहार में एक परमाणु संयंत्र की स्थापना करने पर सरकार विचार कर रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या करण हैं ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) .

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) देश के कोयले के क्षेत्र में बिहार का सर्वोच्च स्थान होने के नाते तापीय संयन्त्रों

उत्पादित बिजली, इस समय आणविक शक्ति से जो बिजली बनाने का विचार है वह बिजली इससे सस्ती रहेगी ।

इसराइल के साथ व्यापार-करार

5139. श्री कृ० मा० कौशिक : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इसराइल भारत के साथ व्यापार सम्बन्ध स्थापित करने के लिये उत्सुक है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या कोई समझौता किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं कि सरकार ने उसके साथ कोई समझौता नहीं किया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) से (ग) हमारे साथ व्यापार-सम्बन्ध स्थापित करने के लिये इजराइल की उत्सुकता बारे में प्रेस-समाचारों की ओर सरकार का ध्यान समय-समय पर आकर्षित किया गया है। यद्यपि उस क्षेत्र के साथ व्यापार करने के लिये गैर-सरकारी पक्षों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है तथापि विभिन्न कारणों से उस देश के साथ किसी व्यापार पर हस्ताक्षर करने का हमारा विचार नहीं है ।

Government Policy towards Industrialists engaged in Export Trade

5140. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether Government follow a policy of discrimination between the industrialists who are engaged in the export trade directly and those who export their goods through the industrialists exporting directly ;

(b) if not, the justification for the demand of Shri A. L. Mudaliar, Chairman of Imkemex India Limited that Government should remove the disparity between the Industrialists who are engaged directly in export trade and those who are exporting goods indirectly ; and

(c) Government's reaction to the demand of Shri Mudaliar ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) :

(a) No, Sir ; no discrimination is made between industrialists who export directly and those who export through Export Houses.

(b) The observations of Shri A. L. Mudaliar seem to be based on a misunderstanding.

(c) Since it is the policy of Government to encourage the development of merchandising Export Houses as specialists in the field of interational trade, Government have already announced that manufacturers utilising the services of Export Houses for marketing their products abroad, will be eligible for all the facilities that they can expect on direct exports in their own name.

नौसेना का पहला हेलीकाप्टर स्क्वाड्रन

5141. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय नौसेना का पहला हेलीकाप्टर स्क्वाड्रन बन गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या हेलीकाप्टर देश में निर्मित हैं या विदेशों से खरीदे गये हैं;

(ग) यदि अन्य देशों से खरीदे गये हैं तो उन देशों के नाम क्या हैं ;

(घ) उन पर कितनी धन राशि खर्च की गई है ; और

(ङ) सरकार का कितने हेलीकाप्टर स्क्वाड्रन बनाने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) जी हाँ।

(ख) और (ग) फ्रांस से आयात दो के सिवाय सभी हेलीकाप्टर देशीय उत्पादन से प्राप्त किए गए हैं।

(घ) और (ङ) यह सूचना देना लोक हित में नहीं होगा।

भारत में नौसैनिक स्कूल

5142. श्री किरुतिनन :क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहाँ नौसैनिक स्कूल कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या पूर्व तट की रक्षा के उद्देश्य से सरकार थोंडी या धनुषकोडी में एक नौसैनिक स्कूल खोलेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) भारतीय नौसैनिक प्रशिक्षण संस्थान बम्बई, कोचीन, कोयम्बतूर, जामनगर, लोनावाला तथा विशाखापटनम में स्थित हैं ।

(ख) और (ग) थोंडी या धनुषकोडी में कोई नौसैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव नहीं है। प्रशिक्षण संस्थानों से समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों की किसी भी रूप में रक्षा नहीं होती, क्योंकि इसके लिए अन्य प्रबन्ध हैं।

Russian Fishing Boats for Pakistan

5143. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the Soviet Union has supplied some so-called fishing boats to Pakistan ;

(b) whether it is also a fact that these boats are manned by Russians and one of them named Peublo can be used for espionage ; and

(c) if so, Government's reaction thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh):

(a) According to available information four Soviet vessels intended for fisheries research arrived in Karachi in December, 1968.

(b) These vessels carry Russian crew and scientists. Government is not aware whether one of them is named Peublo and can be used for espionage.

(c) Does not arise.

रूसी ट्रैक्टरों के लिये टायरों और ट्यूबों का आयात

5144. **श्री शशि भूषण :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में रूसी ट्रैक्टरों के लिए 12×38 नाप के टायरों और ट्यूबों की बहुत समय से बहुत अधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या जनवरी, 1969 के आरम्भ में ही समाचारपत्रों में समाचार प्रकाशित हुआ था कि उनके आयात के लिये हाल में अनुमति दे दी गई है और अभिकर्ताओं को उनके आयात के लिये प्रति मास लाइसेंस दिये जायेंगे ; और

(ग) यदि हां, तो 12×38 के नाप के किस किस्म के और कितने मूल्य के टायरों और ट्यूबों के आयात के लिये लाइसेन्स किन-किन पार्टियों को दिये गये हैं और वे किन-किन देशों से आयात किये जायेंगे ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) सोवियत संघ से 3,23,280 रुपये के मूल्य के 12×38 नाप के 600 अदद टायरों तथा ट्यूबों के आयात के लिये मैसर्स एग्रो-इन्डस्ट्रीज़ आफ हरियाणा, पंजाब, उ० प्र० तथा मैसर्स गाजियाबाद इंजीनियरिंग कं० लि०, नई दिल्ली को आयात लाइसेन्स दिये गये हैं ।

अत्यन्त बारीक कपड़ा तैयार करने वाली मिलें

5145. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि अत्यन्त बारीक कपड़ा तैयार करने वाली कुछ मिलों के लिये अधिक मँहगी आयातित रुई का उपयोग खर्चीला सिद्ध हो रहा है और वे अपना कोटा छोड़ने के लिये बाध्य हैं और इसके फलस्वरूप अति महीन कपड़े के बारे में स्थिति उत्तरोत्तर बिगड़ रही है ;

(ख) क्या सरकार ने इस स्थिति की जाँच की है और यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) अति महीन कपड़ा मिलों की सहायता के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) से (ग) आम तौर पर कोई भी मिल केवल अत्यन्त बारीक कपड़े का ही उत्पादन नहीं करती है। देश में 8 मिश्रित मिलें हैं जिनके कुल उत्पादन का 50% अथवा अधिक उत्पादन अत्यन्त बारीक वस्त्र का है। सरकार ने 9 जनवरी, 1969 के 'इकोनामिक टाइम्स' में प्रकाशित उस लेख को देखा है जिसमें ऐसी मिलों को उनकी आयातित रुई की आवश्यकता को प्राप्त करने में तथा उनके द्वारा उत्पादित वस्त्र की बिक्री में गिरावट आने के कारण हो रहीं कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है सूती वस्त्र उद्योग को राहत देने के लिये सरकार द्वारा किये गये कतिपय उपायों की घोषणा 1969-70 के बजट में की गई थी।

बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब के सम्बन्ध में चौथी योजना परिव्यय

5146. श्री हिम्मतसिंहका : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब में बनी नई प्रतिनिधि सरकारों ने या उनमें से किसी एक ने उनके राज्यों के सम्बन्ध में चौथी योजना का परिव्यय बढ़ाने पर जोर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो परिव्यय में संशोधन करने से सम्बन्धित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन प्रस्तावों में से प्रत्येक के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रियाएँ हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) से (ग) नई बनी सरकारों सहित केन्द्र तथा राज्यों के बीच पत्र-व्यवहार हुआ है। राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक के बाद राज्य योजना परिव्ययों को अन्तिम रूप दिया जायेगा।

Export of Jute Manufactures

5147. **Shri Himatsingka** : Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether it a fact that Pakistan which had been the world's price Setter for sackings for the last few years is also likely to begin to set the prices for hessians and is coming up as a potential competitor in carpet backings ;

(b) if so, whether the jute industry has urged upon Government to give some meaningful fiscal reliefs to the Indian jute industry in addition to the abolition of export duties, particularly in view of the sharp increase in the cost of production by way of rise in the cost of labour, electricity ad stores, etc ;

(c) whether in this connection it has been suggested that the jute industry should be included in the 5th schedule of the Income- Tax Act ; and

(d) if so, Government's reaction to these demands of the jute industry ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sevak) :

(a) Competition from Pakistan is developing in the hessian sector also. There is no immediate threat to exports of carpet backing from India.

(b) and (c) Yes, Sir.

(d) Relief in export duties has been announced in the budget proposals. Clause 23 of the Finance Bill, 1969 seeks *inter alia* to include the jute textile industry in the Fifth Schedule to the Income-tax Act, 1961 with effect from the Ist April, 1970. Government are also giving loan assistance to jute mills for diversification of production, through the Industrial Finance Corporation.

Atomic Power Station in Markundi Manikpur (Uttar Pradesh)

5148. **Shri Janeshwar Yadav** : Will the **Prime** Minister be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a survey had been conducted to set up an Atomic Power Station in Markundi Manikpur in District Banda (Uttar Pradesh) or whether any proposal to this effect had been made by the District authorities ; and

(b) if so, the outcome of that survey and Government's reaction thereto ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) :

(a) No survey for setting up an atomic power station has been conducted in Markundi Manikpur in Banda District of U.P., nor has any proposal in this regard been received by the Department of Atomic Energy from the District Authorities.

(b) Does not arise.

सीमाओं पर भारती सेना के जमाव के बारे में पाकिस्तान द्वारा लगाया गया आरोप

5149. **श्री हेम बरुआ** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने भारत पर भारत और पाकिस्तान की पूर्वी सीमा पर सेना जमा करने का आरोप लगाया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में तथ्य क्या हैं और पाकिस्तान ने किस प्रकार के आरोप लगाये हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह):

(क) तथा (ख) सरकार ने, पाकिस्तान सरकार के अधिकारिक प्रवक्ता के 19 मार्च, 1969 को रावलपिंडी में लगाये गये उन आरोपों को समाचार-पत्रों में पढ़ा है, जिसमें कहा गया है कि पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर निश्चित रूप से भारी संख्या में भारतीय सेना का जमाव है। भारतीय सेनाओं का ऐसा कोई जमाव नहीं है और यदि यह आरोप पाकिस्तान के सरकारी प्रवक्ता ने लगाया है तो यह स्पष्टतः उनकी सरकार का, इस समय पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान को सेनाएँ भेजने का औचित्य सिद्ध करने का प्रयत्न है।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के बच कर भाग निकलने के
बारे में नई जानकारी

5150. श्री समर गुह : श्री वेणीशंकर शर्मा :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जापान द्वारा समर्पण किये जाने की पूर्व संध्या को सिंगापुर से नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के बच कर भाग निकलने के बारे में 6 मार्च, 1969 के एक कलकत्ता दैनिक समाचार-पत्र जुगान्तर में छपे एक सनसनीखेज समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या उस समाचार के अनुसार पश्चिमी बंगाल सरकार के पुलिस विभाग में इस समय काम कर रहे एक सेवा-निवृत्त सैनिक ने अपनी वैयक्तिक जानकारी के आधार पर यह रहस्योद्घाटन किया है कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस विमान द्वारा फारमोसा में तेहोके के लिए रवाना नहीं हुए थे बल्कि वे दो जापानियों के साथ एक पनडुब्बी में अज्ञात स्थान को चले गये थे;

(ग) क्या सरकार के उस अधिकारी से सम्पर्क स्थापित किया है और उसके नाम से कलकत्ता दैनिक में छपे समाचार की सत्यता के बारे में उससे पूछताछ की है; और

(घ) यदि हाँ, तो समाचार में तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और यदि नहीं, तो क्या सरकार इस मामले में तत्काल जाँच करा कर तत्सम्बन्धी पूर्ण जानकारी सभा को देगी ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :

(क) और (ख) जी हाँ। सरकार ने 4 मार्च, 1969 के 'जुगान्तर' में प्रकाशित रिपोर्ट देखी है।

(ग) और (घ) आवश्यक पूछताछ की जा रही है और जब इसके निष्कर्ष प्राप्त हो जाएंगे तो सदन को इनसे अवगत करा दिया जाएगा ।

दक्षिण-पूर्व एशिया के आर्थिक मन्त्रियों के सम्मेलन में भारत को शामिल
करने से इन्कार किया जाना

5151. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल 1969 में बेंगकाक में होने वाले प्रस्तावित दक्षिण-पूर्व एशिया के आर्थिक मंत्रियों के सम्मेलन में भारत को शामिल करने से इन्कार कर दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो भारत को किस आधार पर शामिल किये जाने से इन्कार किया गया है ;

(ग) क्या किसी अन्य देश को भी इस सम्मेलन में शामिल किये जाने से इन्कार किया गया है ;

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) :

(क) से (घ) भारत दक्षिण-पूर्व एशियाई आर्थिक सहयोग मन्त्री सम्मेलन का सदस्य

नहीं है। अतः प्रवेश न मिलने का प्रश्न नहीं उठता। 1968 में सिंगापुर में जो सम्मेलन हुआ था, उसमें भारत को प्रेक्षक के रूप में आमंत्रित गिया गया था। किन्तु इस महीने बैंगकाक में जो सम्मेलन होने वाला है, उसके लिए अभी तक भारत को कोई आमंत्रण प्राप्त नहीं हुआ है।

हीरों का निर्यात

5152. श्री महन्त दिग्विजय नाथ : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों में हीरे के निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो हीरों के निर्यात से कुल कितने मूल्य की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) हीरों के खरीद करने वाले मुख्य देशों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या हीरों का निर्यात देश की माँगों को पूरा करने के बाद किया जाता है; और

(ङ) क्या उन हीरों का निर्यात बिना तराशे किया जाता है अथवा तराश कर?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) जी हाँ।

(ख) वर्ष 1966-67, 1967-68 तथा 1968-69 (अप्रैल' 68 से नवम्बर' 68 तक) में हीरों के निम्नलिखित निर्यात हुए :—

वर्ष	मूल्य लाख पयों में	
1966-67	1124	(अवमूल्यन के पश्चात्)
1967-68	1572	,,
1968-69 (नवम्बर' 68 तक)	1843	,,

(ग) हीरों के निर्यात के लिये भारत के प्रमुख बाजार बेल्जियम, हांगकोंग, कुवैत, लेबनान, मलयेशिया, स्विट्जरलैण्ड, ब्रिटेन तथा सं० रा० अमरीका हैं।

(घ) चूंकि हीरे उपभोग की आवश्यक मद नहीं माने जाते अतः हीरों की निर्यात-नीति में स्वदेशी माँग का ध्यान नहीं रखा जाता।

(ङ) तराशे तथा चमकाये हुए हीरों का निर्यात किया जाता है अतः अपरिष्कृत हीरों की आपूर्ति कम होने तथा निर्यात माँग को आयातों द्वारा पूरा करने के कारण उनके निर्यात को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता।

———

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पुरी के शंकराचार्य का वक्तव्य और उनके द्वारा राष्ट्रगान का कथित अपमान

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : श्रीमन् मैं आपके लोक सभा सचिवालय के

बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। कल मुझे आपके सचिवालय के एक कर्मचारी ने बताया था कि मेरा यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ है। परन्तु आज सवेरे इसको कार्य-सूची में देख कर मुझे आश्चर्य हुआ।

अध्यक्ष महोदय : बड़ी अच्छी बात है। मेरे पास पाँच और सदस्य आये थे। इसलिए इसको स्वीकार कर लिया गया है। आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश कीजिये।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : श्रीमन्, मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

"29 मार्च, 1969 को पटना में विश्व हिन्दू सम्मेलन के अधिवेशन में पुरी के शंकराचार्य का कथित वक्तव्य तथा उनके द्वारा राष्ट्र गान का कथित अपमान"

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : श्रीमन्, राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुरी के श्री शंकराचार्य को पटना में 29 मार्च, 1969 को अन्तर्राष्ट्रीय विश्व हिन्दू सम्मेलन में कहा है कि अस्पृश्यता का पालन करना गलत नहीं है। इसके अतिरिक्त राष्ट्र-गान के गाये जाते समय वह सम्मेलन से उठ कर चले गये।

श्री क० लकप्पा : (तुमकुट) : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उनको गिरफ्तार कर लिया गया है?

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : यह जघन्य अपराध है। उन्हें तुरन्त जेल में पहुँचाया जाना चाहिये।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसे रूढ़िवादी तथा पुरातन-पंथी विचार व्यक्त किये गये हैं। एक जिम्मेदार नागरिक से ऐसी आशा नहीं की जा सकती। ऐसा वक्तव्य संविधान के मूल सिद्धान्तों का उल्लंघन है। मुझे विश्वास है कि सभा श्री शंकराचार्य के इस वक्तव्य तथा उनके द्वारा किये गये राष्ट्रगान के अपमान के लिए उनकी निन्दा करेगी।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : विश्व हिन्दू सम्मेलन में पटना जाते हुए डा० कर्ण सिंह ने मुझे बताया था कि वह वहाँ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ऐसे सम्मेलनों में प्रतिक्रियावादी लोग प्रायः ही प्रधानता पा लेते हैं तथा भारतीय और हिन्दू समाज को नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। मुझे शंकराचार्य जी से ऐसी आशा नहीं थी।

हमारा इतिहास साक्षी है कि ऐसे धर्मगुरू गरीबों, बेबसों और दुखियों को परेशान करते रहे हैं तथा देश में छुआ-छूत के नाम पर एक जघन्य अपराध करते रहे हैं। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि छुआ-छूत के बारे में हमारे संविधान के निदेशतत्व केवल कागज पर ही लिखे हुए हैं तथा उनका यथोचित रूप में पालन नहीं होता है और यह छुआ-छूत की कुप्रथा चली जा रही है। हमें चाहिये कि जिन लोगों को इस वक्तव्य से आघात पहुँचा है उन्हें हम केवल बातों से सन्तुष्ट नहीं कर सकते। क्या मन्त्री महोदय श्री शंकराचार्य पर मुकदमा चलाने के बारे में बिहार सरकार से बात-चीत करेंगे? इसके अतिरिक्त क्या वह तुरन्त ही

ऐसा कानून बनायेंगे कि छुआछूत का सार्वजनिक अथवा निजी रूप में प्रचार करने के कार्य को हस्तक्षेपीय अपराध माना जाये तथा अपराधी को जनता के मध्य कोड़े लगाये जायें ताकि श्री शंकराचार्य तथा उन जैसे धर्म के ठेकेदार "वर्णव्यवस्था" आदि का प्रचार न कर सकें।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं सभा में व्यक्त रोषपूर्ण भावना से पूरी तरह सहमत हूँ तथा इस सम्बन्ध में बिहार सरकार से बात-चीत करूँगा। इस बारे में दण्ड देने का कानून संसद् पहले ही पास कर चुकी है। कोड़े मारने की बात एक सुझाव है।

Shri Suraj Bhan (Ambala) : Mr. Speaker, Sir recently some bady in Tamil Nadu burnt the Constitution of India and today, Shri Shankracharya is burning the pages of our Constitution by sprinkling the poison of untouchability in the Hindu religion. I want to know what action has been taken against him ?

Secondly, I want to point out not only the Untouchability Act but he has volated Sections 151 and 153 of the I. P. C. also. Besides that Shri Shankracharya has done great harm not only to the prestige of the country but also to the Hindu religion.

It is a good thing that all the political parties have condemned untouchability and have shown their sense of sympathy and equality for the Harijans and Adivasis, yet eighty percent of them follow what is said by these "Mathadhishes. Do the Government propose to introduce a legislation which might help in prosecuting such Mathadhishes etc. who create a sense of hatred against our Harijans and Adivasis.

As regards his quoting the Shastras, I too can quote Swami Dayanand and Swami Vivekanand in this behalf. They have not accepted that such foolish things existed in any Shastra.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं माननीय सदस्य से पूरी तरह सहमत हूँ परन्तु शास्त्रों के बारे में मुझे अधिकृत जानकारी नहीं है।

श्री बी० शंकरानंद (चिकोडी) : सर्वप्रथम तो मैं डा० कर्ण सिंह को बधाई देता हूँ कि उस सम्मेलन में उन्होंने इतनी निर्भीकता से अपने विचार व्यक्त किये। गृह-मन्त्री भी काफी साहसी व्यक्ति हैं। वह इस शंकराचार्य को भी जेल में डालने से न हिचकिचायें। सरकार तो सारी कानूनी बातों को जानती ही होगी। संविधान के अनुच्छेद 17 के बारे में वह खूब जानते हैं जिसमें लिखा है कि छुआछूत का किसी भी रूप से प्रचार करना या उसे मानना अपराध है। अतः इस सम्बन्ध में समुचित कानूनी व्यवस्था है। हमें आशा है कि सरकार इस बारे में दृढ़ता से कार्य करेगी तथा बेहूदा प्रचार को रोकेगी।

वर्ष 1960 में एक हिन्दू धर्म-धर्मादा आयोग स्थापित किया गया था। उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है जिसमें कहा गया है कि ये शंकराचार्य लोग अपने सगे, बन्धु-बान्धवों में से ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं जिनको धर्म की कोई जानकारी नहीं होती। आयोग ने इस सम्बन्ध में धर्म का प्रशिक्षण देने का सुझाव दिया है तथा कहा है कि सरकार द्वारा ही उनकी नियुक्ति की जानी चाहिये। परन्तु पिछली बार गृह-कार्य मन्त्री ने ऐसी नियुक्ति करने से इन्कार कर दिया था।

श्री शंकराचार्य की भरपूर निन्दा की जानी चाहिये तथा कानून द्वारा उन्हें दण्ड दिया जाना चाहिये अन्यथा उग्र लोग स्वयं ही कानून अपने हाथ में ले लेंगे । श्री अम्बडेकर ने भी ऐसे धर्म-लेखों को यह कह कर जला दिया था कि ये लेख ही आदमी-आदमी के बीच असमानता की भावना पैदा करते हैं । अतः क्या सरकार हरिजनों के हितों के लिये बिहार सरकार से बात-चीत करेगी जिससे शंकराचार्य को कारागार में डाला जा सके । अन्यथा देश के लोग ही उन्हें घसीट कर फांसी चढ़ा देंगे ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुका हूँ । मैं इस बारे में बिहार सरकार से बात चीत करूँगा ।

Shri Tulshidas Jadhav (Baramati) : Sir, I want to read the extracts from the speech of Shri Shankracharya which he has given in the world Hindu Conference in Patna on the 29th March, 1969.

"The Jagadguru stoutly defended untouchability on the ground that it was a personal right. He said, a man had the right to consider himself an untouchable and keep away from others.

This, in his opinion, was not unlawful because it could not be construed as practising untouchability in relation to others. He was prepared to minister to the needs of a Harijan but he reserved the right to take a bath after fulfilling the task".

And you have also heard the reaction thereon in this august House. Then, here is the reply given by Shri Shankracharya ; I quote the Hindustan Times :

"Hinduism accepts untouchabity and considers some people to be born untouchables, Jagaduru Shankaracharya of Goverdhan Peeth, Puri said here yesterday and as such, be added, in his capacity as Shankarcharya ' I cannot possibly go back upon what the Shastras hold.

The Jagdguru who was talking to Pressmen said that nobody could take away his right to stand by the Hindu scriptures on the issue of untouchability.

He said he was a law-abiding citizen and he would not violate the law of untouchability. But he said : "I have every right to honour my religion as well as the law. This is my stand and the Government can take any action it likes. If it wants it can hang me".

And then I quote the 17th Article of the Constitution: "Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offence punishable in accordance with law".

I also to want to say that Shri Golvalkar, who is also known as Guru..(**Interruptions**)

Shri Jagannath Rao Jashi : (Bhopal) : Shri Golvalkar does not believe in untouchbility. You cannot link his name with Shri Shankracharya. It is wrong....(**Interruptions**)

अध्यक्ष महोदय : कृपा कर के आपस में बात-चीत मत कीजिये । आप सब बैठ जाइये । यहाँ पर चर्चा श्री शंकराचार्य के वक्तव्य के बारे में हो रही है । श्री गोलवल्कर आदि के वक्तव्यों के बारे में नहीं । सभी लोगों की विचारधारायें अलग-अलग हो सकती हैं । यहाँ इस समय उनके बारे में बात-चीत नहीं हो सकती ।

Shri Tulshidas Jadhav : Sir, I obey you.I want to say that Shri Shankracharya is poisoning the society and the result is that the Harijans in U.P.,Bihar,Madhya Pradesh,Andhra, Maharashtra etc. are being harrassed and victimised. I request the Home Minister to take strict legal action against such persons who are poisoning our society by propogating such things. Shri Shankracharya should be arrested and prosecuted.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूँ। शंकराचार्य के वक्तव्य से देश में गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है। किन्तु कोई कदम उठाने से पहले मुझे कानूनी व्यवस्था देखनी होगी।

श्री अनिरुद्धन : क्या वर्तमान कानूनी व्यवस्था अपर्याप्त है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने यह मामला बिहार सरकार से सख्ती से उठाया है।

Shri Shinkre (Panjim) : None of the real Gurus and luminaries have ever pleaded untouchability as based on religion.

The concept of untouchability is a blot on humanity. It cannot be said to be a concept based on prudence and practicability.The statement made by Shankaracharya of Puri is quite contradictory to the tenets propounded by savants like Vivekanand, Gandhiji and freedom fighter Savarkarji. It is not the first time when such a statement has been made. The Sankaracharya of Shardapeeth had also made the similar statement in 1929, which was condemned by Shri Savarkarji. The Government should probe into the causes of making such statements. In the present situation of social turmoil and unrest such types of disruptive statements and the exponents of untouchability cannot be said to protect country and the religion. Sankaracharya of Puri should be treated as a traitor of our motherland. He should be prosecuted. Not only this, public opinion has to be created against this concept of untouchability.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस मामले में हमारे विचार एकदम स्पष्ट हैं। सरकार अस्पृश्यता को कलंक मानती है। अतः हमने इस कलंक को मिटाने का दृढ़ निश्चय किया है। इन कलंकों को मिठाने के लिए हमने कानून भी बनाया है। इसमें केवल शंकराचार्य का ही क्षय नहीं है अपितु समस्त पुरानी पद्धति ही सदोष है जिसका तिरस्कार करना है।

श्री अंबाजागन (तिरुचेंगोड) : शंकराचार्य के वक्तव्य का लगभग सभी दलों ने एक मत से खण्डन किया है अतः इस मामले पर पूरा वाद-विवाद होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : केलव शंकराचार्य के वक्तव्य पर ही नहीं अपितु सामान्य अस्पृश्यता पर वाद-विवाद के लिए मुझसे लिखित रूप से भी कहा गया है दो दिन में समाज कल्याण विभाग की माँगों पर वाद-विवाद करना है। ....(अन्तर्बाधाएँ)....

Shri Rabi Ray (Puri) : Full and separate debate is required on this matter.

अध्यक्ष महोदय : यदि इस मामले पर पूरा वाद-विवाद होगा तो माँगों के लिए समय कम रह जायेगा। कल तेलंगाना के प्रश्न पर भी पूरा वाद-विवाद चला था किन्तु उसके लिए कार्य-मंत्रणा समिति ने निर्णय दिया था। वैसे हर सप्ताह इस समिति की बैठक होती ही है। अलग वाद-विवाद के लिए कार्य-मन्त्रणा समिति ही निर्णय देती है।

श्री पीलू मोडी (गोधरा) : इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

निर्यात निरीक्षण परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : मैं परीक्षित लेखा के साथ वर्ष 1967-68 के सम्बन्ध में निर्यात निरीक्षण परिषद् के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

उन्सठवाँ प्रतिवेदन

श्री मी० रु० मसानी : मैं मन्त्रिमन्डल सचिवालय (भारतीय सांख्यिकी संस्थान) से सम्बन्धित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (असैनिक) के बारे में लोक लेखा समिति का उन्सठवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

निदेश 115 के अन्तर्गत सदस्य का वक्तव्य तथा उस पर मंत्री का उत्तर

Statement by Member under Direction 115 and Minister's reply thereto.

Shri Madhu Limaye : Sir, the reply to my unstarred question No. 3715, dated 19th March, 1969 made by the Minister of Foreign Trade and Supply was wrong. I request the hon, Minister should correct this mistake and regret before the House. The anticipated loss of Rs. 1.27 crores to the Government and the Food Corporation of India *etc.* in connection with the purchase of B. Twill bags should be averted by taking immediate steps.

I had asked the Government whether they had any inclination to withdraw the price control from the B. Twill bags but they replied that there was no such proposal before the Government while, as a matter of fact, the hon Minister was thinking over the same proposal.

The hon. Minister also denied the fact that he was informed about the hoarding of B. Twill Bags by Groups of Birla and K. P. Goyanka Jute Mills, in expectation of large profit. I submitted the detailed information regarding the hoarded bags with these Mills to the Government on 10th March, 1969 and requested that all the 50,000 B. Twill bags in possession of these Mills should be purchased by the Government on controlled price.

It was incorrectly stated by the hon. Minister that he was not aware of the illegal markketting of B. Twill bags and that of any proposal for enquiring into this matter. On the 3rd March I wrote to the hon. Finance Minister and demanded that he should issue instructions to the Director, Revenue Intelligence to find out the actual price of these bags during the last three-four months and to know whether the proper taxation has been imposed on the income earned by these businessmen. I am not convinced of the reasons for which Government are not purchasing the B. Twill bags by force to meet their requirements.

The production of B. Twill bags was deliberately stopped by the Mill owners with the intention that the price of these bags should go up.

I suggest that the Government should not take up the purchase of D. W. Flower bags and other kind of bags which are not under control.

अध्यक्ष महोदय : यह 4-5 पृष्ठ का लम्बा विवरण दिखाई देता है। अतः इसे सभा-पटल पर रख दिया जाय।

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं सभा-पटल पर विवरण रखता हूँ।

विवरण

वर्ष 1968–69 में जूट की पैदावार असाधारण रूप मे कम हुई थी। अक्तूबर 1968 में सरकार ने निर्णय किया कि पटसन से बनने वाली वस्तुओं के उत्पादन और अपरिष्कृत जूट की उपलब्ध मात्रा में पारस्परिक समन्जन होना चाहिए। उपलब्ध जूट का मिलों में समान वितरण करना भी आवश्यक समझा गया जिससे कि उत्पादन बना रहे तथा निर्यात भी होता रहे। निर्यात में अधिकतम वृद्धि को ध्यान में रख कर जूट से बनी घरेलू वस्तुओं के उपभोग पर प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय किया गया था। अन्य उपायों के साथ मिलों के मालिकों से यह भी कहा गया था कि वे गलीचों के नीचे लगाए जाने वाले कपड़े का अधिक मात्रा में उत्पादन करें क्योंकि यह पूर्णरूप से निर्यात ही के काम आता है। मूलतः घरेलू उपभोग में आने वाली वस्तुओं के उत्पादन को रोकने के लिए अक्तूबर, 1969 के दूसरे सप्ताह में कच्चे जूट की कीमत का ध्यान में रखते हुये बी० ट्विल बैगों का अधिकतम मूल्य 200 रुपये प्रति 100 बोरों के हिसाब से निश्चित किया गया था। तत्पश्चात् कच्चे जूट के मूल्यों में आश्चर्यजनक वृद्धि हो गई। पटसन से बनी घरेलू वस्तुओं के उत्पादन पर प्रतिबंध बनाए रखने की आवश्यकता रही किन्तु कच्चे पटसन के मूल्यों के अनुसार बी० ट्विल बैगों के मूल्य में संशोधन नहीं किया गया।

2. फरवरी, 1969 में खाद्य विभाग ने माँग की कि खाद्य निगम के उपयोग के लिए बी० ट्विल बोरों की वसूली को अधिक समय तक टाला नहीं जा सकता तथा कहा कि उसकी आवश्यकता को तत्काल पूरा करने के लिए कुछ प्रबन्ध होना चाहिए। पूर्ति और निबटान महानिदेशालय ने बी० ट्विल बैग खरीदने का प्रयत्न भी किया किन्तु इन्हें बेचने की किसी ने इच्छा व्यक्त नहीं की। अतः 28 फरवरी, 1969 को हुई अन्तर–मन्त्रालय की बैठक में स्थिति पर पुनर्विचार किया गया। इसमें खाद्य विभाग वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक में निर्णय किया गया कि बी० ट्विल बैगों से मूल्य नियंत्रण को हटाया न जाय तथा उनमें मूल्यों में वृद्धि भी नहीं की जाय। खाद्य निगम की आवश्यकताओं को किन्हीं अन्य उपायों से पूरा किया जाय किन्तु इन बोरों का मूल्य भी नियंत्रित ही रहे। इसके बाद उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बैठक में विचार-विमर्श

किया गया जिसके परिणामस्वरूप नियंत्रित मूल्य पर डी० जी० एस० एण्ड डी० की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये बहुत से उद्योगों ने इच्छा व्यक्त की। उनकी पेशकश पर विचार किया जा रहा है तथा शीघ्र ही आदेश दिए जाएँगे। उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श के अन्तर्गत ऐसी कोई शंका उत्पन्न नहीं हुई थी कि नियंत्रण मूल्य में माल की प्राप्ति करने में कठिनाई हो सकती है। माल के अधिग्रहण के कार्य पर विचार नहीं किया गया था।

3. जहाँ तक अतारांकित प्रश्न संख्या 3715, जो कि 19 मार्च, 1969 को आया था, का प्रश्न है, मैं वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री द्वारा दिए गए उत्तर का पूर्ण उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेता हूँ। मैं पुनः निवेदन करता हूँ कि सभी दृष्टिकोणों से वह उत्तर सही है।

4. मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूँ कि यह निर्णय 28 फरवरी, 1969 को किया था कि बी० ट्विल बोरों पर से नियंत्रण नहीं हटाया जायगा। माननीय सदस्य का यह कहना न्यायसंगत नहीं है कि यह निर्णय वित्त मन्त्रालय के कहने पर और उनके उस पत्र के आधार पर किया गया था जो उन्होंने 3 मार्च, 1969 के माननीय उप-प्रधान मन्त्री को भेजा था।

5. बी० ट्विल बोरों को नियंत्रित मूल्य से अधिक मूल्य पर खरीदने की कभी भी इच्छुक नहीं रही हैं। अतः उनकी खरीद के कारण 1·87 करोड़ रुपये के घाटे का प्रश्न ही नहीं उठता। माननीय सदस्य ने कल्पना के आधार पर ही यह आँकड़े प्रस्तुत किए हैं।

6. श्री मधुलिमये ने 3 मार्च, 1969 को मुझे एक अल्प-सूचना प्रश्न भेजा था। इस प्रश्न में उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या सरकार को पता है कि बिड़ला, के० पी० गोयनका तथा अन्य गुटों ने बी० ट्विल बैगों की भारी मात्रा में जमाखोरी कर रखी है। वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय को इस बात की कोई सूचना नहीं है तथा इस मन्त्रालय को इस तथ्य का भी पता नहीं था। माननीय सदस्य ने 3 मार्च, 1969 को माननीय उप-प्रधान मन्त्री को पत्र लिखा, परन्तु इस मन्त्रालय को सूचनार्थ भी अपने पत्र की कोई प्रति नहीं भेजी थी, यद्यपि यह मामला इसी मन्त्रालय से सम्बद्ध था। उन्होंने अपने पत्र में सम्भवतः यह भी लिखा था कि बिड़ला तथा अन्य उत्पादकों ने बी० ट्विल बोरों को हथिया लिया है तथा उन्हें बेनामी कर दिया है। उन्होंने इस आशा में ऐसा किया है कि उनसे नियंत्रण हटा लिया जायेगा। माननीय उप-प्रधान मंत्री को लिखे 10 मार्च, 1969 के उनके पत्र में उन्होंने उल्लेख किया है कि इन मिलों के पास लगभग 55,000 बेनामी या अन्य गाँठें हैं। इस पत्र की प्रति भी उन्होंने मुझे नहीं भेजी। अतः इन पत्रों के आधार पर 19.3.1969 को सभा में दिये गए उत्तर को असत्य नहीं कहा जा सकता।

7. श्री मधुलिमये ने नियंत्रित मूल्य से अधिक मूल्यों पर बी० ट्विल बोरों की खरीद का उल्लेख किया है तथा उन्होंने माँग की है कि इस बात का पता लगाने के लिए

जांच कराई जाय कि क्या अतिरिक्त आय का उचित निर्धारण किया गया है या नहीं तथा उस पर उचित कर लगाया गया है अथवा नहीं। यह मामला वित्त मंत्रालय से सम्बद्ध है तथा निश्चित ही वित्त मन्त्रालय ने इसकी जांच की होगी।

8. मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि श्री मधु लिमये के आरोप निराधार हैं। सरकार ने बी० ट्विल बोरों से नियंत्रण न हटाने का निर्णय यह प्रश्न उठाये जाने के पूर्व ही कर लिया था। पूर्ति और निपटान महानिदेशालय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बी० ट्विल बोरों के नियंत्रित मूल्य से अधिक मूल्य चुकाने के बारे में विचार करने का कभी अवसर ही नहीं आया था। उद्योगों ने यह इच्छा व्यक्त की थी कि वे सरकार के साथ सहयोग करना चाहते हैं तथा उसकी बी० ट्विल बोरों की आवश्यकता को नियन्त्रित मूल्य के अन्तर्गत ही पूरा करने को तैयार हैं। यह भी आशा थी कि इनका प्रबंध जल्दी ही हो जाएगा। अतः इन परिस्थितियों को देखते हुए श्री मधु लिमये द्वारा दिया गया वक्तव्य निराधार है।

नियम 110 के खण्ड (ग) के एक भाग के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव

MOTION Re: SUSPENSION OF PART OF CLAUSE (C) OF RULE 110

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि लोक सभा प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 110 के खण्ड (ग) का जहाँ तक उस खण्ड के अनुसार संविधान (बाईसवां संशोधन) विधेयक, 1968 के स्थान पर रखे जाने वाले विधेयक में अतिरिक्त उपबन्धों का सम्मिलित किया जाना अपेक्षित हैं, उक्त संविधान (बाईसवां संशोधन) विधेयक, 1968, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, के वापस लिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित किया जाये।"

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : The hon. Minister wants to suspend the part of clause (c) of Rule 110 under section 388. I want to mention that it requires the consent of the Speaker. After the consent of the speaker has been obtained the rule can be suspended if it is adopted by the House.

अध्यक्ष महोदय : कार्य-मंत्रणा समिति में इन सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया था। मुझे बताया गया था कि श्री जवाहर लाल नेहरू के समय में संविधान (संशोधन) विधेयक को पुनः पुरःस्थापित करने के लिये विशेष सत्र बुलाया गया था। किन्तु यह सुझाव अत्यावश्कता को ध्यान में रखते हुए दिया गया। बार-बार ऐसा नहीं किया जा सकता। कार्य-मंत्रणा समिति में यह निर्णय किया गया था कि आसाम के पर्वतीय जिलों के महत्व को ध्यान में रखते हुए इसके लिए विशेष रूप से अनुमति देनी चाहिए। मैंने इसीलिए इन पर विशिष्ट अनुमति दे दी है। इस पर अधिक समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है।

/ **Shri Prakash Vir Shastri** (Hapur) : We are not aware of the urgency presented by the Business Adivsory Committee before you . That urgency should also be made known to the House. If the rules of House are suspended repeatedly in this manner, the importance of the House will be diminished one day or the other.

अध्यक्ष महोदय : ग्राप इसे ग्रस्वीकार कर सकते हैं । ग्रन्ततोगत्वा, इसे स्वीकार करने का ग्रधिकार तो सभा को है। सभा में इसे रखने की ग्रनुमति देने का ग्रर्थ यह तो नहीं है कि इसे स्वीकार कर लिया गया । सभा की ग्रनुमति के लिये यह प्रस्ताव लाया गया है । सभा को इसे स्वीकार करना या ग्रस्वीकार करने का पूर्ण ग्रधिकार है ।

Shri Prakash Vir Shastri : I only want to know the reasons for which the convention referred to by you and the traditions laid down by late Jawahar Lal Nehru are being flouted.

Shri Kanwar Lal Gupta : I have an objection in relation to the permission accorded by you....

अध्यक्ष महोदय : ग्रध्यक्ष की ग्रनुमति से यह सभा के समक्ष प्रस्तुत है । ग्राप इस पर ग्रापत्ति नहीं कर सकते । कार्य-मन्त्रणा समिति के परामर्श से यह सब कुछ किया गया है । यदि इस पर कोई ग्रापत्ति की जायेगी तो मेरे लिये यह गम्भीर बात होगी ।

Shri Kanwar Lal Gupta : I am the last person to question your ruling. But I have the right to make a request to you.

I want to submit that if there is any urgency in connection with this Bill, a special sesson should be called to deal with it. But I think there is no urgency in the matter. Apart from this this Bill will give an impetus to the subversive activities in the country and will cultivate the seeds of disintegration. The Government could not mobilize the majority and for that the Government should be penalized.

It is a serious matter involving the amendments in the Constitution and, therefore, the unanimity of the other House is necessary on this issue. But our party wants to oppose this Bill strongly with the view that it would be a challenge to the unity of the country.

I want to submit to you, that you should kindly not give your consent on any Bill before achieving the unanimity of the House because it would become a wrong precedent and the Government might misuse that precedence.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों की भावनाग्रों का ग्रादर करते हुए हमने नए विधेयक के लाने का पूरा समर्थन किया था ग्रौर यह ग्राशा की थी कि यह विधेयक उस दिन ही पारित हो जाता किन्तु जैसा कि हमें ग्राशा थी कि सरकार इस विधेयक के निष्फल होने के बाद ग्रपना खेद व्यक्त करेगी, वैसा नहीं किया गया ।

Shri Prakash Vir Shastri : Sir, you are supposed to defend the veneration of the House and, therefore, according to an old precedent this Bill should not be introduced in this session. Besides, the hon. Home Minister or the Business Advisory Committee have not disclosed any urgency pertaining to this Bill before the House and therefore this tendency should not be encouraged.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I am in favour of the pasage of this Bill but I do not support the action taken by the hon. Minister.He could have taken recourse to section 109 and according to that he should have moved to adjourn the discussion when it was announced that the clause 2 had fallen through. It has been provided under Rule 110 that while introducing this Bill duly amended, there is no need to suspend this rule.

You want to give autonomy to Assam and for that you should call a meeting of the Cabinet, discuss the matter with the leaders of the opposition parties and add a new rule in the Bill. There will be no need to abolish rule 110 and also frequent amendments in the Constitution. Integrity in the States will remain.

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : में इस सदन में संविधान में वह संशोधन इतना शीघ्र लाने के लिए विधेयक का विरोध करता हूँ जो अस्वीकार हो चुका है । इस विशेष मामले में मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय हित के लिए विस्तृत विवेचन की आवश्यकता है । इस विषय के गुणों की ओर जाने का अब समय नहीं हैं । कार्य-मन्त्रणा समिति में इस मामले को सर्व सम्मत्ति से स्वीकार किया ।

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई मध्य) : धारा 388 का अपना महत्व है तथा इसकी एक परम्परा भी है जिसका पालन किया गया है । यदि धारा 109 तथा 110 का पाठ किया जाये तो सरकार इन दोनों धाराओं का एक साथ लाभ नहीं उठा सकेगी, क्योंकि धारा 110 से स्पष्ट है कि यदि इस विधेयक को वापस ले लिया जाये तो क्या किया जाना चाहिये । इसलिए इस धारा को निलम्बित कर देना चाहिये ।

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : मुझे इस बात पर खेद है कि माननीय सदस्यों को असुविधा हुई है तथा मैं इस बात का ध्यान रखूँगी कि भविष्य में ऐसी बात न होने पाये ।

अयध्क्ष महोदय : प्रश्न यह है कि ;

"कि–लोक सभा प्रकिया तथा कार्य–संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 110 के खण्ड (ग) का जहाँ तक उस खण्ड के अनुसार संविधान (बाईसवां संशोधन विधेयक, 1968 के स्थान पर रखे जाने वाले विधेयक में अतिरिक्त उपबन्धों का सम्मिलित किया जाना अपेक्षित है, उक्त संविधान (बाईसवां संशोधन) विधेयक, 1968, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, के वापस लिए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

संविधान (बाईसवाँ–सशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (TWENTY-SECOND AMENDMENT) Bill

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं संविधान (बाईसवाँ–संशोधन) विधेयक, 1968 को संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, जो लोक–सभा में लम्बित है, को वापस लेने के लिए सदन से अनुमति का प्रस्ताव करता हूँ ।

89

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि संविधान (बाईसवां-संशोधन) विधेयक, 1968 को, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, जो लोक सभा में लम्बित है, वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : श्रीमानजी, मैं विधेयक को वापस लेता हूँ।

सामान्य बजट–अनुदान की माँगें (जारी)

GENERAL BUDGET—DEMANDS FOR GRANTS-(Contd).

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और समवाय-कार्य मंत्रालय

Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs

अध्यक्ष महोदय : औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और कम्पनी कार्य मन्त्रालय की माँग संख्या 58 से 61 तथा 121 पर अब सदन में चर्चा तथा मतदान होगा और इस कार्य के लिये 6 घण्टे का समय नियत है।

सदन में उपस्थित माननीय सदस्यगण अपने कटौती प्रस्ताव अनुक्रमांक सहित 2.15 बजे तक दे दें। हम कल 2.30 म० प० बजे तक इन माँगों पर चर्चा तथा मतदान करेंगे तथा इसके पश्चात् विदेश-कार्य मन्त्रालय की माँगों पर विचार करेंगे।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

माँग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
58	औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और समवाय मन्त्रालय	72,43,000
59	उद्योग	4,05,92,000
60	नमक	53,58,000
61	औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और समवाय मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय	12,41,29,000
121	औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और समवाय मन्त्रालय का पूँजी परिव्यय	3,86,98,000

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch to meet again at 14.00 hours.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at Fourteen of the Clock :

[श्री तिरूमल राव पीठासीन हुए
Shri Thirumala Rao in the Chair]

Shri George Fernandes : I had written a letter to Mr. Speaker wherein I had requested him to let me know either from the Minister of Parliamentary Affairs or the Prime Minister whether the 4th Five Year Plan has been implemented as the month of April has since started because ; the Prime Minister had promised that the fourth Five Year Plan would be implemented since Ist April. Therefore I request you to persuade either the Prime Minister or the Hon. Minister of Parliamentary Affairs to throw some light on this issue or I may be permitted to ruise this issuc under rule 377.

सभापति महोदय : क्या संसद्-कार्य मन्त्री श्री फरनेन्डीज के प्रश्न पर प्रकाश डालेंगे अथवा सूचना एकत्रित करने के लिए सरकार को भेजेंगे ?

संसद्-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरमैया) : मैं उठाये गये विषय की सराहना करता हूँ। परन्तु अपेक्षित उत्तर देने के लिए मुझे सम्बद्ध धाराओं के अन्तर्गत नोटिस दिया जाए क्योंकि इसके लिए मुझे जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। इसके साथ-साथ मेरा अनु-रोध है कि ऐसे मामलों के लिये हमें कोई एक प्रक्रिया का पालन करना चाहिये जिससे इस प्रकार के देशव्यापी महत्वपूर्ण मामलों की महत्ता कम न होने पाये।

श्री स० कुण्डू : यह सारे देश का मामला है तथा मन्त्री महोदय का कहना है कि उन्हें इसका उत्तर देने के लिये यथेष्ट समय नहीं दिया गया। अतः यही अच्छा होगा कि इस मामले की सही स्थिति को जानने के लिए इसे सरकार के पास भेज दिया जाये तथा प्रधान मन्त्री जी इस बात का विवरण दें कि चौथी पंचवर्षीय योजना की अब स्थिति क्या है ?

सभापति महोदय : मैं यह बात भली प्रकार जानता हूँ। श्री जार्ज फरनान्डेज ने मुझे अभी बताया है कि उन्होंने अध्यक्ष महोदय के नाम एक पत्र भेजा था जिसका मुझे पता नहीं है। अतः इसे अध्यक्ष महोदय जानते हैं। अध्यक्ष महोदय अभी आने ही वाले हैं, तब तक माननीय सदस्य शान्त रहें।

श्री स० मो० बनर्जी : धारा 376 (2) के अन्तर्गत मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है जिसे सदन के समक्ष कार्य के सम्बन्ध में उठाया है। इस कार्य को सदन में मैं पहले ही पढ़ कर सुना चुका हूँ। औद्योगिक विकास, तथा समवाय-कार्य मन्त्रालय ने कानपुर में ब्रिटिश

इण्डिया कारपोरेशन को, अपने अधीन करने का बहुत पहले निर्णय कर लिया था, परन्तु क्योंकि सर्वश्री कूपर एलन कम्पनी ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन के अन्तर्गत आती है, और इसीलिए हमें यहाँ पर आश्वासन दिया गया था कि इस कम्पनी को भी सरकार अपने अधीन करेगी। इसके मालिक इस विभाग को बन्द करने जा रहे हैं जिससे कि इस महीने की 10 तारीख से चार हजार कर्मचारी बेकार हो जायेंगे।

सभापति महोदय : मैं अब इस व्यवस्था के प्रश्न पर चर्चा की अनुमति नहीं दूँगा। अतः उन्हें अब इसके गुणों पर नहीं जाना चाहिए, यह बहुत है कि इन्होंने इस प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया है। यह प्रश्न माँगों से सम्बद्ध है, जिनकी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। अतः कोई भी माननीय सदस्य अपने वक्तव्य के दौरान इस मामले का व्यौरा उठा सकता है। इसलिए मैं विनिर्णय देता हूँ कि कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है और अब वाद-विवाद आरम्भ होगा।

श्री स० कुण्दू : श्री पाटोदिया के भाषण से पूर्व एक मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए......

सभापति महोदय : कटौती प्रस्ताव सभा-पटल पर सवा दो बजे मध्यान्ह आते हैं और तब स्वीकृत कटौती प्रस्तावों को पढ़ कर सुनाऊँगा।

श्री स० कुण्दू : कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने में मुझे विलम्ब हो गया है और इसके लिये आपकी अनुमति आवश्यक है। अतः आपकी अनुमति से मैं इन्हें प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

सभापति महोदय : इस बात की ओर मेरा ध्यान दिलाया गया है इसलिए मैं इस पर विचार करूँगा।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालोर) : कृषि के पश्चात् रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा एकमात्र साधन उद्योग है। उद्योग में यदि हम तीन-चार वर्ष पुरानी स्थिति से वर्तमान स्थिति को मिला कर देखें तो विदित होता है कि वर्तमान स्थिति अधिक चिन्ताजनक है। देश में औद्योगिक तथा आर्थिक विकास और गतिविधियों की जाँच करने का औद्योगिक रोजगार ही ठीक एक प्रकार का बेरोमीटर है। यदि हम पिछले तीन वर्षों के आँकड़ों पर दृष्टि डालें तो हमें पता चलेगा कि गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योग में रोजगार में भारी मात्रा में गिरावट आई है, जो मार्च 1966 में 68.1 एक लाख थी, मार्च 1967 में 66.8 लाख तथा मार्च 1968 में और घट कर 65.2 लाख रह गई। अतः औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार संख्या पिछले दो वर्षों में 3 लाख घट गई। यदि हम देश की बढ़ती हुई जन-संख्या से इसे मिलायें तो स्थिति और अधिक गम्भीर हो जाती है। देश में बेरोजगार लोगों की संख्या एक करोड़ से भी अधिक हो गई है। 50,000 से भी अधिक इन्जीनियर तथा कई हजार शिक्षित व्यक्ति दीनता का जीवन बिता रहे हैं। क्या संसार के अन्य देशों में भी इसी प्रकार की घटनाएँ होती हैं ?

मैं आपकी जानकारी के लिए कुछ एशियाई देशों की 1962 से 1967 तक कुल राष्ट्रीय उत्पाद में प्रति व्यक्ति की दर से वृद्धि की तुलना करना चाहता हूँ। जापान में यह वृद्धि 8.7 प्रतिशत, फार्मोसा में 7.6 प्रतिशत, दक्षिण कोरिया में 7.6 प्रतिशत, थाईदेश में 4.7 प्रतिशत, तुर्की में... प्रतिशत पाकिस्तान में 3.2 प्रतिशत, मलयेशिया में 3 प्रतिशत हुई जबकि भारत में यह कुल 1.3 प्रतिशत हुई ही है।

जापान ने हाल ही में घोषणा की है कि 1988 में उसकी प्रति व्यक्ति आय विश्व में सबसे अधिक होगी। मन्त्री महोदय को भारत के बारे में भी इस प्रकार की भविष्यवाणी करनी चाहिये। सरकार द्वारा अपनाई गई विभिन्न औद्योगिक तथा आर्थिक नीतियों का ही यह फल है कि भारत में वृद्धि की प्रति व्यक्ति दर सबसे कम है

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, बंगलौर के इस समय भारत में पाँच कारखाने हैं। प्रत्येक कारखाना वर्ष में 1,000 मशीनी औजार बना सकता है। इस प्रकार पाँचों कारखाने पाँच हजार मशीन टूल्स प्रतिवर्ष बना सकते हैं। इनमें कुल 25 करोड़ की पूँजी लगाई गई है। परन्तु 1966-67 में इन एककों ने 2,665 मशीनों का उत्पादन किया जो कि उनकी निर्धारित उत्पादन क्षमता का लगभग 50 प्रतिशत है। परन्तु इस उत्पादन में भी कमी हो रही है और आशा है कि 1968-69 में केवल 1,500 मशीनों का ही उत्पादन होगा। इतना कम उत्पादन होने के बावजूद भी उनके पास मशीनों का एक बड़ा भण्डार जमा हो गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की क्षमता में अनावाश्यक रूप से ही वृद्धि की गई। सरकार जानती हैं कि इस उपक्रम के बंगलौर के दो एकक ही देश की कुल आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं।

इन कारखानों में इस समय 12,706 कर्मचारी काम करते हैं। इनमें से लगभग 1,673 प्रबन्धकगण तथा सुपरवाइजरी स्टाफ के व्यक्ति हैं। यद्यपि 1966-1967 से इन एककों के उत्पादन में कमी हो रही है तथापि इनके व्यय में कोई कटौती नहीं की गई है। ऐसा केवल हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में ही नहीं बल्कि लगभग सभी सरकारी उपक्रमों का हाल ऐसा ही है। सरकारी उपक्रमों को इस वर्ष लगभग 35 करोड़ रुपये की हानि हुई है। पता नहीं यह हानि और कितने वर्ष चलेगी ?

इन बातों के अतिरिक्त इन उपक्रमों को राजनीतिज्ञों के हाथों में एक टूल बना दिया गया है। लोगों द्वारा रद्द किए गये राजनीतिज्ञों को इनमें लगा दिया जाता है। इनमें नियमित रूप से दुर्विनियोग, चोरी होती है। आवश्यकता से अधिक कर्मचारी भर्ती किए गए हैं। सरकार को इन उपक्रमों के कार्य-संचालन में सुधार करना चाहिये अन्यथा इनसे लोगों का विश्वास समाप्त हो जायेगा। सरकारी क्षेत्र की प्रतिष्ठा पहले ही इतनी कम है कि यदि इनके अंशों को बाजार में बेचा जाये तो ये 30 प्रतिशत कम मूल्य पर भी नहीं बिकेंगे। अतः इनकी प्रतिष्ठा को और गिरने से बचाया जाना चाहिये।

गैर-सरकारी क्षेत्र के विकास में जानबूझ कर बाधा डाली गई है। इसके बारे में मैं मोटर-कार उद्योग का उदाहरण देना चाहता हूँ। इस पर शायद सबसे अधिक कर लगाया गया

है । अतः निर्माता को अपनी पूँजी का पूरा लाभ नहीं मिलता । एक कार, लगभग 6,700 रुपये के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्क्ष कर लगाये जाते हैं । सड़क परिवहन के बारे में एक सर्वेक्षण कराया गया था जिससे पता लगता है कि भारत में विश्व के अन्य देशों की तुलना में सड़क-परिवहन उद्योग पर सबसे अधिक कर लगाया जाता है। अतः इस प्रकार इस उद्योग के विकास में बाधा पड़ी है ।

इस देश में लगभग 12-13 वर्ष पूर्व प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर मूल्य निर्धारित करने की एक पद्धति बनाई गयी थी। निर्माताओं के अभ्यावेदन पर 1956 में प्रशुल्क आयोग का गठन किया गया था । 1956 में प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों के आधार पर एक विशेष मार्क की कार का मूल्य 10146 रुपये नियत किया गया था । अब उस कार का मूल्य 13,799 रुपये है । इस प्रकार 12 वर्ष में 3,653 रुपये का अन्तर पड़ गया है । इसमें 1392 रुपये सीमा-शुल्क और उत्पादन शुल्क में 381 रुपये की वृद्धि हुई है । अव-मूल्यन से 1,121 रुपये बढ़ गये हैं। टायरों और ट्यूबों के मूल्य में वृद्धि से 148 रुपये का अन्तर पड़ गया है । अतः इससे यह सिद्ध हो जाता हैं कि यह 3,653 रुपये की राशि करों के रूप में दी गई है । निर्माण के प्रत्येक पद के मूल्य में वृद्धि हो गयी है, निर्माताओं द्वारा बार-बार अभ्यावेदन करने के बावजूद भी सरकार उनके, मूल्य में वृद्धि नहीं दे रही है। यद्यपि मोटर कार उद्योग एक विनियन्त्रित मद है तथापि सरकार ने इसके मूल्य में वृद्धि करने की अनुमति नहीं दी है । 1956 से 1968 के बारह वर्षों में वेतन और मजदूरी में लगभग 150 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, कारों के निर्माण में प्रयोग होने वाले कच्चे माल के मूल्य में लगभग 200 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । वित्त पर दिये जाने वाले व्याज में भी $5\frac{1}{2}$ प्रतिशत से $9\frac{1}{2}$ प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

एक अवस्था में योजना आयोग ने एक भविष्यवाणी की थी कि तीसरी योजना के अन्त में देश में 60,000 ट्रकों की आवश्यकता होगी । इस भविष्यवाणी के आधार पर ट्रक निर्माताओं ने अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा ली परन्तु माँग इससे आधी भी नहीं है । इस प्रकार लगाई पूँजी बेकार पड़ी है और उसको कोई लाभ नहीं हो रहा है। 1956 में एक मोटर-कार कम्पनी में कुल 3.94 करोड़ रुपये की पूँजी लगी हुई थी। 1968 में इसी कम्पनी पर 60 करोड़ रुपये की पूँजी लगी हुई थी। परन्तु इसका कोई लाभ नहीं हो रहा क्योंकि देश में ट्रकों की माँग नहीं है । इसी प्रकार लगभग सभी मोटर-कार कम्पनियों पर लगाई गई पूँजा से बहुत कम लाभ हो रहा है। बारह वर्ष के पश्चात् अब हमें बताया गया है कि प्रशुल्क आयोग नियुक्त किया गया है और उसके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है। प्रतिवेदन कुछ भी हो परन्तु यदि रखने की बात यह है कि कारों की लागत में वृद्धि हो गई है अतः उनको बेचना अब इतना सम्भव नहीं है । विभिन्न कर लगा कर सरकार इनके मूल्य में और भी वृद्धि करती जा रही है । इससे उपभोक्ता पर अधिक बोझ पड़ता है।

अब समय आ गया है जब कि इस उद्योग को उचित आधारों पर खड़ा किया जाना चाहिये । पूँजी पर पर्याप्त लाभ मिलना चाहिए। पर्याप्त मूल्य-ह्रास आवश्यक है अन्यथा अनेक

समवाय बन्द हो जायेंगे। उनकी वित्तीय स्थिति ऐसी है कि वे लाभांश नहीं दे सकते। ऋणों का भुगतान नहीं कर सकते। बम्बई में एक फर्म विशेष को इन वर्षों में लगभग 3 करोड़ रुपये की हानि हो चुकी है।

दोनों सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में तार बनाने के कारखाने हैं। इस समय गैर-सरकारी क्षेत्र के तार बनाने के कारखाने अपनी अधिष्ठापित क्षमता से 25 प्रतिशत क्षमता पर काम कर रहे हैं। इनकी 75 प्रतिशत क्षमता बेकार पड़ी है। यह ठीक है कि निर्यात बढ़ रहा है परन्तु बहुत धीरे-धीरे। योजना आयोग की झूठी भविष्यवाणियों के आधार पर अनेक कम्पनियों ने अपनी उत्पादन-क्षमता बढ़ा ली थी। इसी कारण उनकी यह स्थिति हुई है।

विकल्प यह है कि बेकार पड़ी क्षमता का विभिन्न प्रकार के उत्पादों के लिए प्रयोग किया जाये। उदाहरणतया भारत में पेपर केबल्स का निर्माण केवल हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड द्वारा ही किया जाता है। एक अनुमान यह है कि यदि चौथी पंचवर्षीय योजना में कुल मिला कर 15 लाख नये टेलीफोन दिये जाते हैं तो उसके लिए 80,000 किलोमीटर तार की आवश्यकता होगी। परन्तु इस सरकारी क्षेत्र के इस उपक्रम की कुल उत्पादन क्षमता, इसका विस्तार किये जाने के पश्चात्, 48,000 किलोमीटर तार बनाने की होगी। अतः इस प्रकार अन्तर 32,000 किलोमीटर तार का रह जाएगा। इसके लिये तीन विकल्प हैं। एक तो यह कि इस तार का आयात किया जाये अथवा इस तार का निर्माण गैर-सरकारी क्षेत्र में किया जाए अथवा सरकारी क्षेत्र में तार उत्पादन के लिए एक अन्य नया कारखाना लगाया जाये। गैर-सरकारी क्षेत्र के लोगों ने सरकार को प्रस्ताव दिये हैं कि 1.5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूँजी से इस माँग को पूरा कर सकते हैं। अभ्यावेदनों के बावजूद सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र में इस तार के उत्पादन की अनुमति नहीं दी और अब हमें बताया गया है कि इस तार के उत्पादन के लिए सरकार सरकारी क्षेत्र में एक नया कारखाना स्थापित करने के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार कर रही है। नये कारखाने पर 10 से 15 करोड़ रुपये से कम लागत नहीं आयेगी और यदि ऐसा कर दिया जाता है तो कई वर्षों तक गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों की क्षमता बेकार पड़ी रहेगी। लोक लेखा समिति ने अपने 40वें प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से कहा है कि नया कारखाना लगाने से पूर्व गैर-सरकारी क्षेत्र की अधिष्ठापित क्षमता का पूरी तरह उपयोग किया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि सरकार भी इस बात पर ध्यान देगी।

देश में ट्रैक्टरों की निर्माण-लागत विश्व में सबसे अधिक है। पाकिस्तान की तुलना में भी यह दुगुनी है। देश में इस समय लगभग 50,000 ट्रैक्टरों की माँग है जबकि लगभग 15,000 ट्रैक्टरों का देश में निर्माण होता है। इनको आयात करने में आंशिक रूप से ही सफलता प्राप्त हुई है। अब प्रश्न केवल ट्रैक्टरों को देश में ही बनाने का है। इस मामले में दो विकल्प हैं। एक तो यह कि गैर-सरकारी क्षेत्र के वर्तमान कारखानों में उत्पादन बढ़ाया जाये अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में एक नया कारखाना स्थापित किया जाये। इस मामले में भी गैर-सरकारी

क्षेत्र के लोगों ने सरकार को निश्चित प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं कि थोड़ी सी अतिरिक्त पूँजी लगा कर वे इन ट्रैक्टरों का निर्माण कर सकते हैं। परन्तु सरकार इस मामले पर चुप है। सरकार ने इन कारखानों को पूरी क्षमता तक काम करने तथा अतिरिक्त ट्रैक्टरों के निर्माण करने की अनुमति नहीं दी है। सरकार की विलम्ब की नीति से प्रगति में बाधा पड़ी है। अतः इस प्रकार आर्थिक सुदृढ़ता को लाने में भी बाधा डाली है क्योंकि कारखानों की अधिकांश क्षमता बेकार पड़ी हुई है।

विलम्ब करने का क्या प्रभाव होता है इस बारे में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। वैदेशिक सहयोग सम्बन्धी करार में तीन बातें अन्तर्ग्रस्त हैं। औद्योगिक लाइसेंस, विदेशी सहयोग सम्बन्धी करार और आयात लाइसेंस। जब एक चीज पूर्ण होती है तो दूसरी की अवधि समाप्त हो जाती है। जब दूसरी बात को अन्तिम रूप दिया जाता है तो पहली की अवधि समाप्त हो जाती है। इस प्रकार तंग आकर विदेशी नियोजक अपना करार समाप्त कर देता है। इसका एक परिणाम यह भी हुआ है कि विदेशी निवेश के अब बहुत कम प्रस्ताव आते हैं। लोगों का विश्वास पूर्णतया खत्म हो गया है।

हाल ही में एक जापानी प्रतिनिधि मण्डल भारत आया था। उसका कहना है कि मलयेशिया में एक कारखाना शुरू करने में दो वर्ष लगते हैं जबकि भारत में कारखाना शुरु करने की अनुमति लेने में ही दो वर्ष लग जाते हैं। इससे पता चलता है कि किस प्रकार का नौकरशाही प्रशासन हमारे देश में काम कर रहा है। अनेक राज्य सरकारों द्वारा ये शिकायतें की गई हैं कि केन्द्र द्वारा लाइसेंस देने में विलम्ब किया जाता है। अभी कल मन्त्री महोदय ने कहा था कि वह विलम्ब नहीं करते परन्तु एक अनुमान के अनुसार मन्त्रालय में लगभग 1,500 से 2,000 आवेदन-पत्र ऐसे हैं जिन पर अभी निर्णय लिया जाना है।

कुछ सप्ताह पूर्व प्रधान मन्त्री ने कहा था कि सामाजिक न्याय के आधार पर नियन्त्रण और लाइसेंस उचित है। औद्योगिक और आर्थिक विकास के प्रति यह गुमराहकुन रवैया है। इस प्रकार हम गलती पर गलती करते चले जा रहे हैं।

जब कभी भी भारत में नियन्त्रण लागू किये गये हैं, माल की कमी हुई है, काला बाजार और मुनाफाखोरी में वृद्धि हुई है। जब कभी नियन्त्रण हटाया गया है, कमी के स्थिति में सुधार हुआ है और बाजार में उचित मूल्य पर माल उपलब्ध हुआ है। इसके बारे में सिमेंट, चीनी अथवा कपड़े के उदाहरण दिये जा सकते हैं। इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि इन नियन्त्रणों, परमिटों और लाइसेंसों से हमारे आर्थिक विकास में बाधा पड़ी है। इन परमिटों और लाइसेंसों को न हटाने का कारण यह है कि इसमें निहित स्वार्थ उत्पन्न हो चुके हैं। सभी प्रकार के लाभ प्राप्त करने के लिये इन लाइसेंसों और परमिटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सचिवों अथवा अन्य घनिष्ठ अधिकारियों को दोष देने का कोई लाभ नहीं है। इसमें बड़े-बड़े व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या सभी सरकारों और राज्यों पर लागू होता है ?

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : गत 7–8 वर्षों में की गई जाँचों से, जो मैंने कहा है, उसकी पुष्टि होती है । दूसरी बात मैं यह कहना चहता हूँ कि परमिटों और लाइसेंसों से सरकार को निषेधात्मक शक्ति मिल जाती है । यह शक्ति है : विलम्ब करने की, 'ना' कहने की, स्थगित करने की, व्यक्ति से प्रशासन को उच्च सिद्ध करने की । फिर भी सरकार नियंत्रण और लाइसेंस पद्धति को हटाने के प्रश्न पर विचार नहीं कर रही है । आर्थिक विकास और आर्थिक नीतियों के सम्बन्ध में मैं यह और कहना चाहता हूँ कि एकाधिकार और सम्पत्ति के पूँजीभूत होने के सम्बन्ध में हमने नकारात्मक प्रवृत्ति अपना रखी है । आज का युग अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्द्धा और प्रगतिशील दक्षता का युग है । हमें विश्व में रहना है और प्रतिस्पर्द्धा का सामना भी करना है । आज के विकास में विज्ञान और तकनीकी विकास को नहीं भुलाया जा सकता है । आज विश्व में बड़े-बड़े निगम स्थापित होते जा रहे हैं, जैसे जापान का फुजी और यवाता इस्पात के कारखाने । ये दोनों कारखाने उतना इस्पात तैयार करते हैं जितना पूरे ब्रिटेन में तैयार होता है । इसके विपरीत हम छोटे-छोटे कारखानों पर बल दे रहे हैं । जितना छोटा कारखाना होगा उसके उत्पादन पर उतना ही अधिक खर्च आयेगा और परिणामतः वह स्पर्द्धा में मुकाबला न कर सकेगा और हमारा निर्यात घट जायेगा ।

इस मंत्रालय के नियंत्रण से पाँच भारी इंजिनियरी के एकक हटा लिये गये हैं और यह अनुमान लगाया गया था कि इसके परिणामस्वरूप मंत्रालय का खर्च कम हो जायेगा । परन्तु इसके बावजूद मंत्रालय का खर्च बढ़ता जा रहा है । भारतीय मानक संस्थान पर 1967–68 में 45 लाख रुपये खर्च किये गये थे जबकि इस वर्ष उसका बजट 65 लाख रुपये का है । इसी प्रकार जोंयन्ट स्टाक कम्पनीज के रजिस्ट्रार के कार्यालय और कम्पनी लॉं एण्ड इनेवेस्टमैंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिये भी पहले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक खर्च की राशि नियत की गई है । अन्त में मेरा यह सुझाव है कि इस मन्त्रालय का नाम औद्योगिक विकास से बदल कर औद्योगिक अवरोध रखा जाना चाहिये, क्योंकि यह मन्त्रालय औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति में अवरोध ही उत्पन्न करता है ।

श्री लीलाधर कटकी (नवगाँव) : सभापति महोदय, मैं इस मन्त्रालय की माँगों का समर्थन करता हूँ । मन्त्रालय की जो अभूतपूर्व सफलता मिली है उसके लिये वह बधाई का पात्र है । गत दो वर्षों की मन्दी के बाद औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है । इसकी पुष्टि आर्थिक सर्वेक्षण 1968–69 के अनुच्छेद संख्या 26 और मन्त्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन से होती है । मन्त्रालय को न केवल बधाई मिलनी चाहिये, बल्कि उसे सहयोग और प्रोत्साहन भी मिलना चाहिये ताकि देश में औद्योगिक विकास की नींव मजबूत हो सके । श्री पाटोदिया ने जो विचार सभा के सामने प्रस्तुत किये हैं उनसे मैं सहमत नहीं हूँ । सरकारी उपक्रमों के कार्य-चालन में सुधार की पर्याप्त आवश्यकता है परन्तु इसी आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की उपेक्षा की जाये तथा गैर-सरकारी उद्योग को मनमाने ढंग से विकसित होने दिया जाये ।

आय-व्ययक सम्बन्धी पत्रों के साथ सरकारी उपक्रमों से सम्बन्धित एक ज्ञापन भी परिचालित किया गया था, उसमें यह संकेत भी दिया गया था कि सरकार उन त्रुटियों से अवगत है जो सरकारी उपक्रमों में विद्यमान हैं। यह बात भी सच है कि उनके सुधार के लिये उपयुक्त उपायों पर न तो विचार ही किया गया और न उन्हें ठीक से क्रियान्वित ही किया गया। इस ओर सभा को ध्यान देना चाहिये ताकि सरकारी उपक्रमों में सुधार हो और उनमें लाभ होना शुरू हो जाये। साथ ही मेरा यह निवेदन है कि लाभ के दृष्टिकोण से सरकारी और गैर-सरकारी उपक्रमों की तुलना न की जाये, क्योंकि गैर-सरकारी क्षेत्र में तो लाभ कमाना ही उद्देश्य होता है। हिन्दुस्तान स्टील को 38 लाख रुपये का घाटा हुआ है। ये आँकड़े निश्चय ही चिन्तनीय हैं। सरकारी उपक्रमों को कुल मिला कर 35 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है जबकि उनमें 3,500 करोड़ रुपये की पूँजी विनियोजित है। सरकारी क्षेत्र के कारखाने की भर्त्सना करने की बजाय हमें उनकी कार्य-पद्धति में सुधार करना चाहिए।

जहाँ तक नियंत्रण और लाइसेंस व्यवस्था का सम्बन्ध है, मेरे विचार से इसमें दोष रहने पर भी इसे त्यागा नहीं जा सकता। यह औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 के अनुरूप है। कुछ सस्दय कहते हैं कि यह तो अब पुराना पड़ चुका है। मैं इससे भी आगे बढ़ कर यह कहना चहता हूँ कि इसमें संशोधन किया जाना चाहिये, उसका लक्ष्य लोकतंत्रीय समाजवाद की स्थापना होना चाहिये। औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प में कोई दोष नहीं है। दोष उसके क्रियान्वयन में है। जिस गति से उसे क्रियान्वित किया जाना चाहिये था, वह गति उसे प्राप्त न हो सकी। मेरा यह अनुरोध है कि सरकार औद्योगिक नीति संकल्प के ठीक अनुरूप कार्य करे जिससे विषमता सम्बन्धी सब शिकायतें दूर हो जायें। औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति के नवें प्रतिवेदन में यह सुझाव दिया गया था कि एक औद्योगिक उद्योग स्थापित किया जाये। मेरा विचार है, ऐसा होना चाहिये। एक ऐसी समिति नियुक्त की जानी चाहिये जो औद्योगिक नीति संकल्प के क्रियान्वयन पर विचार करे।

पुनर्गठन के पश्चात् मन्त्रालय का सम्बन्ध सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों प्रकार के उपक्रमों से जुड़ गया है और उसके कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत बड़े और छोटे उद्योग और ग्रामीण तथा कुटीर सभी प्रकार के उद्योग आ गये हैं। मन्त्रालय का कार्य सभी प्रकार के उद्योगों में समन्वय स्थापित करना है। यदि उनमें उचित समन्वय स्थापित हो जाता तो गैर-सरकारी क्षेत्र को शिकायत का अवसर ही न मिलता। हमारा लक्ष्य देश में मिश्रित अर्थ-व्यवस्था का निर्माण करना है। अतः सब प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हमें इस दिशा में अग्रसर होते रहना है।

औद्योगिक नीति संकल्प में इस बात पर भी बल दिया गया है कि आर्थिक विकास के मामले में क्षेत्रीय विषमता को दूर किया जाये। इसके लिए उद्योगों का सन्तुलित वितरण किया जाना अनिवार्य है। इससे समाजवादी ढंग के समाज या समाजवाद की स्थापना का

मार्ग भी प्रशस्त होता है । इससे बेरोजगारी को समाप्त करने में भी सहायता मिलेगी, जो तकनीकी और इंजिनियरी के प्रशिक्षण-प्राप्त लोगों में व्याप्त है या पढ़े-लिखे लोगों में व्याप्त है। उद्योगों का क्षेत्रीय आधार पर समुचित रूप मे शीघ्र वितरण किया जाना चाहिए, ताकि इस सम्बन्ध में राज्यों से शिकायत प्राप्त होनी बन्द हो जाये ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उपयुक्त क्षमता के सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि सरकारी विभाग सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों से ही अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ खरीदें । गैर-सरकारी उपक्रमों से कड़ी प्रतिस्पर्द्धा के कारण भी उनकी कुछ क्षमता बेकार पड़ी रहती है । एक उपक्रम में परम्परागत उत्पादन के स्थान पर ऐसी वस्तुएँ बनाई जायें जिनकी मांग अधिक हो। इन्हीं कुछ उपायों से अप्रयुक्त क्षमता के प्रयोग की सम्भावना बढ़ सकती है । इस ओर योजना आयोग तथा उसके अध्यक्ष प्रधान मन्त्री को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये। अन्त में मैं मन्त्रालय का उन तीन योजनाओं की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ जो आसाम में स्थापित किये जाने के लिये विचाराधीन हैं । एक लुगदी और कागज उद्योग से दूसरी बोकाजां में सीमेंट फेक्टरी से और तीसरी गोहाटी में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह से सम्बद्ध है। इन योजनाओं में इस वर्ष निर्माण-कार्य शुरू किया जाना चाहिये ताकि चौथी योजना के काल में उनसे आसाम को लाभ हो सके। इन शब्दों के साथ मैं मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूँ।

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय की मागों के बारे में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
58	13	श्री पी० विश्वम्भरन	औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में क्षेत्रीय असमानताएँ दूर न करना ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
58	17	श्री के० रमानी	1967 में मुदलियार समिति की विदेशी सहयोग संबंधी सिफारिशों को लागू करना और इनका हमारी अर्थ-व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
58	18	श्री के० रमानी	सरकार से पर्याप्त सहायता न मिलने के कारण विभिन्न राज्यों में औद्योगिक बस्तियों का बन्द होना ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये

1	2	3	4	5
58	19	श्री के० रमानी	विभिन्न उद्योगों में अप्रयुक्त क्षमता का बढ़ना।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
58	20	श्री के० रमानी	उन क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों को उद्योग आदि स्थापित करने की आज्ञा देना जिन में भारतीय कंपनियाँ पहले ही चल रही हैं।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
58	21	श्री के० रमानी	देश में पूंजी एकत्र होने की प्रवृत्ति रोकने के लिये प्रयत्न न करना।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
58	22	श्री के० रमानी	कपड़ा मिलों और इंजीनिरिंग एककों को बन्द न होने देने के लिये तुरन्त कार्यवाही न करना।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
58	23	श्री के० रमानी	एकाधिकार अयोग के प्रतिवेदन पर कार्यवाही न करना	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
58	24	श्री के० रमानी	हसन आयोग के प्रतिवेदन पर कार्यवाही न करना।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
58	25	श्री के० रमानी	1966 में लाइसेंस देने की नीति उदार करना जिससे एकाधिकार-प्राप्त उद्योग-पतियों, जैसे टाटा और बिड़ला, को अधिक लाइसेंस मिले।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
58	26	श्री के० रमानी	विदेशी सहयोगियों को कतिपय प्रमुख उद्योगों पर अधिक नियंत्रण रखने की अनुमति देना।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
58	27	श्री के० रमानी	सरकारी वित्तीय संगठनों द्वारा बड़े-बड़े व्यापार-घरों को ऋण सम्बन्धी सुविधायें दे कर एकाधिकार का विकास।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये

1	3	3	4	5
58	28	श्री के० रमानी	सी० ए० सी० ओ० द्वारा सिमेंन्ट पर नियंत्रण हटाये जाने का समर्थन करने वाले राजनीतिक दलों को दिये गये धन की जाँच करने में विलम्ब ।	100 रुपये
58	29	श्री के० रमानी	सरकारी अधिकारियों तथा बड़े-बड़े व्यापार-घरों के बीच निकट सम्बन्ध ।	100 रुपये
58	30	श्री के० रमानी	संसद् में आश्वासन देने के बावजूद राजनीतिक दलों को कम्पनियों द्वारा दिये जाने वालों चन्दे पर रोक लगाने के लिये विधान प्रस्तुत करने में असफलता ।	100 रुपये
59	31	श्री पी० विश्वम्भरन	औद्योगिक क्षेत्र में एका-धिकार की बढ़ोत्तरी को रोकने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
59	32	श्री के० रमानी	1956 के औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प को उसकी वास्तविक भावना में कार्यान्वित न किया जाना ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
59	33	श्री के० रमानी	उद्योगों का असन्तुलित विकास जिसके फलस्वरूप कुछ राज्य आर्थिक रूप से पिछड़ गये हैं ।	राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये
59	34	श्री के० रमानी	लघु उद्योगों के विकास के लिये राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा भुगतान करने के लिये धन का अभाव ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
59	35	श्री के० रमानी	कोयम्बटूर-जिले में छोटे इंजीनियरी एककों को समु-	100 रुपये

1	2	3	4	5
			चित संरक्षण प्रदान करने में असफलता ।	
59	36	श्री के० रमानी	उत्पादन निर्बाध रूप से चालू रखने के लिये तामिलनाडु सरकार के अधीन लघु उद्योगों को सहायता देने में असफलता ।	100 रुपये
59	37	श्री के० रमानी	जहाँ गैर-सरकारी कम्पनियाँ मजदूरों को बड़े पैमाने पर शोषण करने के लिये कार्य-भार मनमाने ढंग से निश्चित कर देती हैं, वहाँ राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् की सेवाओं का उपयोग करने में असफलता ।	100 रुपये
59	38	श्री के० रमानी	सीमेन्ट पर नियंत्रण हटाये जाने के बाद सीमेन्ट के मूल्यों में वृद्धि ।	100 रुपये
59	39	श्री के० रमानी	तम्बाकू से बनी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने में असफलता ।	100 रुपये
59	40	श्री के० रमानी	भारत में सिगरेट उत्पादन पर तीन बड़ी कम्पनियों का नियंत्रण ।	100 रुपये
60	41	श्री पी० विश्वम्भरन	नमक-कर समाप्त करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
61	42	श्री के० रमानी	समवाय-विधि का उल्लंघन करने वाली कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में असफलता ।	100 रुपये
61	43	श्री के० रमानी	खादी और ग्रामोद्योग आयोग में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार तथा फिजूलखर्ची ।	100 रुपये

1	2	3	4	5
61	44	श्री के० रमानी	बार-बार मांग करने पर भी बिरला कम्पनियों के मामलों की जांच करने के लिये एक विशेष आयोग नियुक्त करने में असफलता ।	100 रुपये
121	45	श्री पी० विश्वम्भरन	केरल में पालघाट पर सूक्ष्म उपकरणों का कारखाना स्थापित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
121	48	श्री के० रमानी	नीलगिरी में हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैनुफैक्चरिंग कम्पनी में एक्स-रे की फिल्मों का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
58	49	श्री स० मो० बनर्जी	सरकार द्वारा कानपुर स्थित कूपर एलन एण्ड कम्पनी को अपने नियंत्रणाधीन लेने में असफलता ।	100 रुपये
58	50	श्री स० मो० बनर्जी	विभिन्न व्यापार सार्थों द्वारा की जाने वाली अनियमितताओं की जाँच करने के लिए आयोग स्थापित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
58	51	श्री स० मो० बनर्जी	उद्योग-गृहों द्वारा राजनैतिक दलों को चन्दा दिये जाने पर प्रतिबन्ध लगाने में सरकार की असफलता ।	100 रुपये
58	52	श्री स० मो० बनर्जी	ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
58	53	श्री रमावतार शास्त्री	पटना तथा वाराणसी के बीच के क्षेत्र का औद्योगीकरण करने की आवश्यकता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये

1	2	3	4	5
58	54	श्री रामावतार शास्त्री	सरकारी क्षेत्र में उद्योग-धंधों का विस्तार करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
58	55	श्री रामावतार शास्त्री	देश का सम्यक औद्योगिक विकास करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
58	56	श्री रामावतार शास्त्री	उद्योग-धन्धों के मामलों में देश को आत्मनिर्भर बनाने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
58	57	श्री रामावतार शास्त्री	बुनियादी उद्योग—धंधों के विकास को और तीव्र करने की आवश्यकता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
58	58	श्री रामावतार शास्त्री	उत्तर बिहार का औद्योगीकरण करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
58	59	श्री रामावतार शास्त्री	देश के औद्योगिक विकास की कच्छप गति ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
58	60	श्री रामावतार शास्त्री	उद्योग-धंधों में इजारेदारी की वृद्धि को रोकने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
58	61	श्री रामावतार शास्त्री	कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा देने की नीति का अंत करने में विफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
58	62	श्री रामावतार शास्त्री	देश में इजारेदारी के विकास को रोकने के लिए हजारी समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति में विफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
58	63	श्री रामावतार शास्त्री	आन्तरिक व्यापार पर इजारेदारों के शिकंजे को तोड़ने की आवश्यकता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
58	64	श्री रामावतार शास्त्री	आन्तरिक व्यापार के विकास पर विशेष ध्यान देने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये

1	2	3	4	5
58	65	श्री रामावतार शास्त्री	उद्योग-धंधे खोलने के नाम पर अवांछित व्यक्तियों एवं कंपनियों को कर्ज देना ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
58	66	श्री रामावतार शास्त्री	उद्योगपतियों के लिए मुनाफे की एक निश्चित नीति निर्धारित करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
58	67	श्री रामावतार शास्त्री	छोटे उद्योगों की बड़े उद्योगपतियों की प्रतिस्पर्धा से रक्षा करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
58	68	श्री रामावतार शास्त्री	उद्योगपतियों को मुनाफा के नाम पर जनता को लूटने की इजाजत देना ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
58	69	श्री रामावतार शास्त्री	बड़े उद्योग-धंधों का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
58	70	श्री रामावतार शास्त्री	बुनियादी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
58	71	श्री रामावतार शास्त्री	विदेशी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
121	77	श्री जे० एम० लोबो प्रभु	राष्ट्रीय लघु उद्योग आयोग द्वारा लेखा उचित रूप से न रखना, विशेषकर बेकार समय तथा भण्डार की क्षमता के बारे में ।	100 रुपये
121	78	श्री जे० एम० लोबो प्रभु	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, लिमिटेड में लक्ष्य पूर्ति न होना, उत्पादन व्यय का बढ़ना, अप्रयुक्त क्षमता में वृद्धि, श्रमिक-दक्षता में कमी होना ।	100 रुपये

1	2	3	4	5
121	79	श्री जे० एम० लोबो प्रभु	पढ़े-लिखे बेरोजगार व्यक्तियों, औद्योगिक सहकारिताओं के राष्ट्रीय संघ, राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् भारत का सीमेंट निगम, इन्सट्रूमेंटेशन लिमिटेड तथा कागज निगम की योजनाओं की असफलता ।	100 रुपये
59	80	श्री रामावतार शास्त्री	हिन्दुस्तान वेहिकिल्स लि०, फुलवारी शरीफ (बिहार) को चालू करने में असफलता ।	100 रुपये
59	81	श्री रामावतार शास्त्री	बिहार काटन मिल्स लि०, फुलवारी शरीफ के विस्तार के लिये आर्थिक मदद की आवश्यकता ।	100 रुपये
59	82	श्री रामावतार शास्त्री	गया काटन मिल्स को सरकार के अधीन ले कर चालू करने में असफलता ।	100 रुपये
59	83	श्री रामावतार शास्त्री	बिहार में रेलगाड़ी के डिब्बों के निर्माण के लिये कारखाना खोलने की आवश्यकता ।	100 रुपये
59	84	श्री रामावतार शास्त्री	बिहार में कंपनियों पर बकाया कर्ज को वसूलने में असफलता ।	100 रुपये
59	85	श्री रामावतार शास्त्री	बिहार में अभ्रक उद्योग के विकास पर सम्यक ध्यान देने में असफलता ।	100 रुपये
59	86	श्री रामावतार शास्त्री	उत्तर प्रदेश के बाँदा जिलान्तर्गत कर्बी मानिकपुर क्षेत्र में सीमेंट फैक्टरी खोलने की आवश्यकता ।	100 रुपये

1	2	3	4	5
59	87	श्री रामावतार शास्त्री	उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के मारकुण्डी-कर्वी मानिकपुर क्षेत्र में आणविक् शक्ति की मदद से उद्योग–धंधों की स्थापना करने मे विफलता।	100 रुपये
59	88	श्री रामावतार शास्त्री	उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के बरगढ़ क्षेत्र में कांच बनाने का कारखाना खोलने की आवश्यकता।	100 रुपये
59	89	श्री रामावतार शास्त्री	उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के मानिकपुर क्षेत्र में अलमुनियम का कारखाना खोलने की आवश्यकता।	100 रुपये
59	90	श्री रामावतार शास्त्री	उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कर्वी-मानिकपुर क्षेत्र में बांस से कागज बनाने का कारखाना खोलने की आवश्यकता।	100 रुपये
59	91	श्री रामावतार शास्त्री	बांदा जिले में पत्थर की गिट्टी तोड़ने का उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता।	100 रुपये
59	92	श्री रामावतार शास्त्री	बिहार में तांबा उद्योग के विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता।	100 रुपये
59	93	श्री रामावतार शास्त्री	सरकारी क्षेत्र में बुनियादी उद्योगों की स्थापना करने में असफलता।	100रुपये
59	94	श्री रामावतार शास्त्री	छोटे उद्योगों के विकास के लिये सुनिश्चित योजना का अभाव।	100 रुपये

1	2	3	4	5
61	95	श्री रामावतार शास्त्री	भारत सरकार के आर्थिक परामर्शदाता के प्रतिष्ठान-व्यय में कमी करने में असफलता ।	100 रुपये
61	96	श्री रामावतार शास्त्री	संयुक्त पूँजी वाली कंपनियों के रजिस्ट्रार के कार्यालय के भ्रष्टाचार को रोकने में असफलता ।	100 रुपये
61	97	श्री रामावतार शास्त्री	मापतोल की दाशमिक प्रणाली को देश भर में लागू करने में असफलता ।	100 रुपये
61	98	श्री रामावतार शास्त्री	खादी ग्रामोद्योग के विकास के नाम पर होने वाले अपव्यय को रोकने में असफलता ।	100 रुपये
61	99	श्री रामावतार शास्त्री	खादी और ग्रामोद्योग संस्थान में भ्रष्टाचार का बोलबाला।	100 रुपये
61	100	श्री रामावतार शास्त्री	खादी ग्रामोद्योग आयोग की अनुपयोगिता ।	100 रुपये
61	101	श्री रामावतार शास्त्री	बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने में असफलता ।	100 रुपये
58	104	श्री भोगेन्द्र झा	सरकारी क्षेत्र में भारी ऊद्योगों के कार्य में तेजी न लाना ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये ।
58	105	श्री भोगेन्द्र झा	मध्य और कम आय वाले वर्गों को सहकारिता के आधार पर लघु तथा बिचले उद्योग स्थापित करने के लिये प्रोत्साहन तथा प्रभावी सहायता न देना ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये

1	2	3	4	5
58	106	श्री भोगेन्द्र झा	बिड़ला समूह के कारखानों के विरुद्ध आरोपों के लिये जाँच बिठाने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
58	107	श्री भोगेन्द्र झा	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को परोक्ष और प्रत्यक्ष प्रभाव और गैर-सरकार एकाधिकार के चंगुल से निकालने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
58	108	श्री भोगेन्द्र झा	अशोका पेपर मिल्स लिमिटेड, दरभंगा, बिहार को अपने हाथ में लेने और उसे पुनः चालू करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
58	109	श्री भोगेन्द्र झा	अशोका पेपर मिल्स लिमिटेड को आसाम स्थानान्तरित करने की आज्ञा देने के प्रयत्न।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
58	111	श्री भोगेन्द्र झा	उत्तर बिहार का औद्योगीकरण करने की आवश्यकता।	100 रुपये
58	116	श्री राम सिंह आयरवाल	उद्योगपतियों द्वारा अर्जित लाभ को निर्धारित करने के सम्बन्ध में एक निश्चित नीति अपनाने तथा इस पहलू पर समुचित विचार करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
58	117	श्री राम सिंह आयरवाल	लघु उद्योगो को बड़े उद्योगों के साथ प्रतियोगिता करने से बचाने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये।
58	118	श्री राम सिंह आयरवाल	लाइसेंस नीति में संशोधन न करना।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये।

1	2	3	4	5
58	119	श्री राम सिंह आयरवाल	औद्योगिक विकास को ओर तेज न करना।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
58	120	श्री राम सिंह आयरवाल	मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय औद्योगिक विकास के अनुपात के बराबर लाने के लिये विशेष ध्यान न देना।	100 रुपये
58	121	श्री राम सिंह आयरवाल	मध्य प्रदेश के सागर जिले में प्लाईवुड, हार्डवुड तथा लकड़ी के पुर्जों के निर्माण के लिये उद्योग स्थापित न करना।	100 रुपये
59	122	श्री राम सिंह आयरवाल	उद्योगों का असंतुलन विकास जिसके कारण मध्य प्रदेश आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गया है।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
59	123	श्री राम सिंह आयरवाल	लघु तथा कुटीर उद्योगों का विकास करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
59	124	श्री राम सिंह आयरवाल	औद्योगिक विकास के संबन्ध में मध्य प्रदेश के आदिवासी तथा पिछड़े क्षेत्रों की ओर ध्यान न देना।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
59	125	श्री राम सिंह आयरवाल	बीड़ी उद्योग के एकाधिकार को समाप्त करने तथा इस क्षेत्र में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से दूसरा उद्योग स्थापित करने या उसकी स्थापना के लिये सहायता देने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
59	126	श्री राम सिंह आयरवाल	तम्बाकू से बनी चीजें तैयार करने में लगे हुए उद्योगों की जाँच न करना।	100 रुपये

1	2	3	4	5
61	127	श्री राम सिंह आयरवाल	बिरला कम्पनियों के कार्यों की जांच करने के लिये एक विशेष आयोग स्थापित न करना ।	100 रुपये
121	128	श्री राम सिंह आयरवाल	मध्य प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सीमेंट का कारखाना तथा छोटे पैमाने के उद्योग स्थपित न करना ।	100 रुपये
121	129	श्री राम सिंह आयरवाल	मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में वहां पर उपलब्ध खनिज सम्पति का उपयोग करने के लिए उद्योग स्थापित न करना ।	100 रुपये
58	130	श्री जनार्दन जगन्नाथ शिंकरे	गोवा की औद्योगिक क्षमताओं का समुचित अध्ययन करने में तथा गोवा के औद्योगिक विकास के लिये व्यापक योजना तैयार करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
58	131	श्री जनार्दन जगन्नाथ शिंकरे	गोवा में उद्योगों के विकास में बाधा डालने वाली कठिनाइयों का अध्ययन करने के लिये तथा उस राज्यक्षेत्र की औद्योगिक क्षमताओं का समुचित उपयोग करने के लिये उपायों का सुझाव देने के लिये एक आयोग नियुक्त करने की आवश्यकता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
58	136	श्री रामावतार शास्त्री	देश में टायरों और ट्यूबों की कमी को दूर करने में असफलता ।	100 रुपये
58	137	श्री रामावतार शास्त्री	टायरों और ट्यूबों की कीमतें कम करने में असफलता ।	100 रुपये

1	2	3	4	1
58	138	श्री रामावतार शास्त्री	अखबारी कागज की कमी को दूर करने के लिये पर्याप्त संख्या में अखबारी कागज के कारखानें स्थापित करने में असफलता ।	100 रुपये
58	139	श्री रामावतार शास्त्री	गाँवों के औद्योगीकरण की नीति को क्रियान्वित करने में असफलता ।	100 रुपये
58	140	श्री रामावतार शास्त्री	लाइसेंस जारी करने में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना ।	100 रुपये
59	141	श्री जनार्दन जगन्नाथ शिकरे	गोवा में सरकारी क्षेत्र में भारी उद्योग स्थापित करने में असफलता ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये
59	142	श्री जनार्दन जगन्नाथ शिकरे	गोवा में छोटी कार तथा स्कूटरों का कारखाना खोलने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
59	143	श्री जे० एम० लोबो प्रभु	बहुत से राज्य उद्यमों में स्टोर में अत्यधिक खरीद को, जैसा कि वाणिज्यक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में बताया गया है, रोकने में असफलता ।	100 रुपये
61	144	श्री रामावतार शास्त्री	बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ में भ्रष्टाचार की जाँच करने में असफलता ।	100 रुपये
61	145	श्री जे० एम० लोबो प्रभु	सुपर बाजारों तथा सहकारी संस्थानों में मूल्यों के हित में प्रति वर्ष बढ़े हुए मूल्यों को उसी प्रतिशतता से कम करने में असफलता जिससे कि	100 रुपये

1	2	3	4	5
			लाभ तथा बोनस के लिये बढ़े हुए मूल्यों को कम किया जाता है ।	
61	146	श्री जे० एम० लोबो प्रभु	जिन उद्योगों में कुल बेकार क्षमता 30 प्रतिशत और इससे भी अधिक है उन सभी में कर-प्रमाणपत्रों की योजना तेजी से लागू करके बेकार क्षमता को कम करने में असफलता ।	100 रुपये
58	147	श्री शिव चन्द्र झा	बिहार के औद्योगीकरण के कार्य में तीव्रता लाने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय
58	148	श्री शिव चन्द्र झा	उत्तर बिहार का औद्योगीकरण करने के लिए मूलभूत उपाय करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय
58	149	श्री शिव चन्द्र झा	देश की अर्थव्यवस्था के औद्योगिक क्षेत्र में केन्द्रीभूत होने की प्रक्रिया को समाप्त करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय
58	150	श्री शिव चन्द्र झा	देश में एकाधिकारों पर नियंत्रण करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय
58	151	श्री शिव चन्द्र झा	सरकार की लाइसेंस सम्बन्धी नीति में मूलभूत परिवर्तन करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय
58	152	श्री शिव चन्द्र झा	कुछ व्यापारिक संस्थानों के हाथों में लाइसेन्सिग परमिटों के इकट्ठे हो जाने को रोकने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय

1	2	3	4	5
59	153	श्री शिव चन्द्र झा	अशोक पेपर मिल, दरभंगा को अपने हाथ में लेने और उसे चलाने में असफलता।	100 रुपये
59	154	श्री शिव चन्द्र झा	उत्तर बिहार में कोई भारी उद्योग स्थापित न करना।	100 रुपये
59	155	श्री शिव चन्द्र झा	उत्तर बिहार में सामान को डिब्बों में बन्द करने का कारखाना स्थापित न करना।	100 रुपये
58	156	श्री भोगेन्द्र झा	महालनाबिस आयोग द्वारा जिन 75 परिवारों का उल्लेख किया गया है उनका एकाधिकार समाप्त न करना।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
58	157	श्री भोगेन्द्र झा	छोटी कारों का निर्माण न करना।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय
58	158	श्री भोगेन्द्र झा	पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार में अत्यन्त औद्योगिक पिछड़ापन दूर न करना।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय
58	159	श्री ओम प्रकाश त्यागी	सभी राज्यों में समान अनुपात में केन्द्रीय उद्योग स्थापित न करना।	100 रुपये
58	160	श्री ओम प्रकाश त्यागी	औद्योगिक उपक्रमों का विकेन्द्रीकरण न करना।	100 रुपये
58	161	श्री ओम प्रकाश त्यागी	ग्रामीण क्षेत्रों का औद्योगिक विकास करने में असफलता।	100 रुपये
58	162	श्री ओम प्रकाश त्यागी	केन्द्रीय उद्योगों को लाभ कमाने वाले एकक बनाने में असफलता।	100 रुपये
58	163	श्री ओम प्रकाश त्यागी	उद्योगों की पूरी क्षमता का उपयोग करने में असफलता।	100 रुपये
58	164	श्री ओम प्रकाश त्यागी	उद्योगों में धन का अपव्यय रोकने में असफलता।	100 रुपये

1	2	3	4	5
58	165	श्री ओम प्रकाश त्यागी	कमजोर सूती कपड़ा मिलों को पुनर्जीवित करने में असफलता।	100 रुपये
58	166	श्री ओम प्रकाश त्यागी	उद्योगों के क्षेत्र में एकाधिकार को समाप्त करने में असफलता।	100 रुपये
58	167	श्री ओम प्रकाश त्यागी	औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के मामले में विद्यमान भ्रष्टाचार को रोकने में असफलता।	100 रुपये
58	168	श्री ओम प्रकाश त्यागी	वस्तुओं के मूल्य कम करने तथा उनकी किस्म में सुधार करने में असफलता।	100 रुपये
58	169	श्री ओम प्रकाश त्यागी	स्कूटरों की माँग के अनुसार स्कूटर उद्योग स्थापित करने में असफलता।	100 रुपये
58	170	श्री ओम प्रकाश त्यागी	उद्योग-सम्बन्धी वैज्ञानिक जानकारी के बारे में कोई प्रगति करने अथवा इसमें आत्मनिर्भर बनने में असफलता।	100 रुपये
58	171	श्री ओम प्रकाश त्यागी	इंग्लैंड में हो रहे विभागीय व्यय को रोकने में असफलता।	100 रुपये
59	172	श्री ओम प्रकाश त्यागी	छोटे उद्योगों की रक्षा करने में असफलता।	100 रुपये
59	173	श्री ओम प्रकाश त्यागी	छोटे उद्योगों के विकास के लिये उचित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने में असफलता।	100 रुपये
59	174	श्री ओम प्रकाश त्यागी	छोटे उद्योगों को भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार बनाने में असफलता।	100 रुपये

1	2	3	4	5
59	175	श्री ओम प्रकाश त्यागी	जापान की भाँति छोटे उद्योगों के माध्यम से लोगों को निर्माण-कार्य में लगाने में असफलता।	100 रुपये
59	176	श्री ओम प्रकाश त्यागी	छोटे उद्योगों को पर्याप्त वित्तीय सहायता न देना।	100 रुपये
59	177	श्री ओम प्रकाश त्यागी	छोटे उद्योगों को बड़े उद्योगों की प्रतियोगिता से बचाने में असफलता।	100 रुपये
59	178	श्री ओम प्रकाश त्यागी	खादी ग्रामोद्योग संघ में व्याप्त भ्रष्टाचार रोकने में असफलता।	100 रुपये
59	179	श्री ओम प्रकाश त्यागी	लघु उद्योग निगम में अनियमिततायें और गोलमाल रोकने में असफलता।	100 रुपये
61	180	श्री ओम प्रकाश त्यागी	महान व्यक्तियों और नेताओं की फोटो तथा अन्य धार्मिक प्रतीकों का व्यापार–चिन्हों के रूप में दुरुपयोग किया जाना।	100 रुपये
61	181	श्री ओम प्रकाश त्यागी	व्यापार–चिन्हों के रूप में स्त्रियों की नंगी तस्वीरों का उपयोग किया जाना।	100 रुपये
61	182	श्री ओम प्रकाश त्यागी	राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्रीय झण्डे तथा राष्ट्र के नाम का व्यापार–चिन्हों के रूप में उपयोग किया जाना।	100 रुपये
121	183	श्री ओम प्रकाश त्यागी	भारत के लिये उपयुक्त छोटे ट्रैक्टरों के निर्माण की उपेक्षा करना।	100 रुपये
121	184	श्री ओम प्रकाश त्यागी	कृषि के काम आने वाले औजारों के सम्बन्ध में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में असफलता।	100 रुपये

Shri Beni Shankar Sharma (Banka) : Mr. Chairman, I oppose the demands for grants of the Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs. I hope the Members from other side will also support me in this case. It is a Ministry where corruption, immorality and dishonesty is rampant. It is due to this Ministry that the rich is becoming more rich and the poor , poorer. In Ministry's Report of 1968-69 it is stated that "the Department of Industrial Development is responsible for active promotion of industrialisaticn of the country by encouraging the orderly development of large and small-scale industries both in the private and public sectors". I would like to know whether this Department has been able to act in accordance with its above declared policy. I think it created obstacle in the industrial development of the country.

The conditions for trade and commerce are deteriorating day by day and along with that dissatisfaction and resentment is also spreading among the people due to these controls which are being imposed by this Ministry. One has to stand in line for hours together for procuring one's day-to-day needs like the beggars.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

The responsibility of the industrialisation of the country lies on this Ministry. This Ministry has also the responsibility of giving advice to private sector industries. This ministry is also responsible for rural industrialisation. Nothing has been done in this direction. Agriculture has been neglected in all these years.

Although we are celebrating Gandhi Cenetnary in this year yet we have forgotten his message of establishing small-scale industries in the villages. Mahatma Gandhi prepared schemes for the upliftment of the villages. This Government has done nothing in this directicn. On the other hand Government is putting hurdles in the way of the people who at their own initiative are establishing small-scale industries in the villages. In this conneetion I would like to say that after the green revolution in Bihar some people have set up haulers in the villages for thrashing paddy and for grinding wheat. It can be named as small 'Chakki'. The poor people of Bihar are earning their livelihood from them. But the Government has now imposed a fixed levy of about 10 rupees per horse-power per month. It means a burden of about Rs.200 per month on the haulers . As the people are not in a position to bear this burden they are closing-down their haulers and this industry which has taken the shape of a small-scale industry has now started vanishing.

Powerlooms in our country are now producing good quality cloth. This cloth has a good market in America. In this connection I would like to say that the cost of production has increased considerably due to the present day policy of the Government. Formerly Rs.25 per powerloom were charged by the owner. It means a powerloom consisting of four units was paying only Rs. 100. But now one has to pay fifty or sixty thousands of rupees according to new levy of 15 percent *od valorem*. As this small industry is not in a position to bear such a heavy burden it is being closed down. I have come to know that the owners of the powerlooms have submitted memorandum in which they have requested, that this duty should not be imposed on them I would request the hon. Minister to consider their demands.

Almost all the factories of the public sector are running into loss. We have invsted about 3,500 crores of rupees in these factories and according to one estimate we have

suffered a loss of about 35 crores of rupees this year. This is a poor country and it cannot bear such a heavy loss. What I feel is that such persons are appointed at the helm of affairs who are quite innocent about their working. I want to quote one example. Sri K.D. Malviya was appointed chairman of the Heavy Engineering Corporation, Ranchi. He has never been in any trade and so he has no experience at all. I would request the hon. Minister to appoint experienced persons and not defeated politicians in these undertakings. I would also request the hon. Minister to bring such a legislation whereby we can appoint experts from the private sector in these public undertakings :

I want to draw your attention towards the report of the ministry pertaining to year 1968-69. It has been stated on page 7 that as a policy, the Government have taken steps, such as advance placement of order in private firms by the public sector, selective credit measures for reviving home demand, relaxation of controls on industry and renew emphasis on export promotion as a means of off-setting the slackness in domestic sales of industrial goods to countract the recessionary trends in the industrial sector. These steps could have been taken at an early stage.

The Deputy Prime Minister and Finance Minister has stated while inaugurating a seminar on the 27th March that Government could not claim that it was exercising controls over industry and trade prudently. We have to be constantly aware of the shortcomings in the working of there controls. He has further stated that some controls are necessary, for, through these the Government can check the concentration of economic power in few hands. But I want to know whether we have been able to check the concentration of economic power in few hands ? But on the other hands the economic power has been concentrated in few hands due to these controls. I would, therefore, plead for the removal of these controls.

So far as private sector is concerned it has four major industries *i.e.* cotton, jute, sugar and tea. All these industries are suffering from one disease or the other.

Several small-scale engineering works in West Bengal are suffering from lack of orders. These were mostly dependent on the Government orders. Now these engineering works are not getting these orders, and as a result thereof they are not able to provide work to the labourers. As a consequent thereof dissatisfaction is prevailing among the labourers. I would request the hon. Minister to look into this matter and make arrangements for placing orders on these works.

In the end I would request the hon. Minister to help the villagers in establishing small-scale and cottage industries in their villages as there is sufficient scope for them.

Shri Nath Ram Ahirwar (Tikamgarh) : I rise to support the demands for grants of the Industry ministry. It is not proper to say that we have not made any headway in the industry. We have made sufficient progress in the industrialisation of the country. But it is a fact that we have not been benefitted according to the investment made therein. There have been huge losses also. It is a said that we have purchased some absolete machines from Russia which are lying idle in the Heavy Engineering Corporation, Ranchi. Government should be careful in purchasing the machines.

We should use indigenous raw material in our factories so that we could compete with other countries.

So far as the control of public sector undertakings are concerned I would request that it should be in the hands of experts. Unexperienced I. A. S. officers should not be appointed at the helm of affairs of these undertakings.

Villages have been neglected in the matter of industrialisation. Big factories are being established in the cities. As a result thereof the villages are being deserted by the people. Cottage industries of the villages are being vanished. Government should take urgent steps for rural industrialisation so that these people may get employment opportunities for which they have to run towards the cities.

Backward areas are continued to be neglected by the Government. Metatila Dam has been constructed at the cost of 32 crores of rupees in Bundelkhand. But the power being generated there is not being supplied to the people of the area. Many small-scale industries can be established if the power is supplied to that area. I would request the hon. Minister to give priority to the village and small-scale industries in the matter of supplying power.

So far as group-licensing policy is concerned I would say that Government should give licenses to the groups only after careful scrutiny.

Although Madhya Pradesh is the biggest State in India yet it is backward so far as industry is concerned. Textile Mills located in Bhopal, Ujjain and Indore are closed for the last many years. The Madhya Pradesh Industrial Corporation has submitted a charter of demands in which it has demanded that licences for establishing 100 automatic looms should be granted. Government should consider their demand favourably, so that people of Madhya Pradesh could get employment. Madhya Pradesh Government is willing to give credit to such people who have experience in this line.

Clearance should also be given for the establishment of these cement factories in Madhya Pradesh for which a proposal has already been received by the Central Government.

A proposal for setting up a flour Mill in Tikamgarh has also been sent to the Central Government. Clearance should also be given in this case at an early date so that the poeple could get flour at cheap rates ;

With these words I support the demands.

श्री एस० कन्डप्पन (मैटूर) : इस मन्त्रालय को देश के औद्योगीकरण, धन तथा एकाधिकार के केन्द्रीयकरण तथा क्षेत्रीय असंतुलन को रोकने का काम दिया गया है। परन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि यह मन्त्रालय अपने इन कार्यों को करने में असफल रहा है।

गैर-सरकारी उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने के लिये मन्त्रालय में लाइसेंस प्राप्त करने के लिये बहुत समय प्रतीक्षा करनी पड़ती है। लाइसेंस देने में सरकार द्वारा बहुत विलम्ब किया जाता है। परन्तु इन सबके बावजूद भी जो इतने उद्योग स्थापित हुये हैं उसका श्रेय इन उद्यमकर्ताओं को दिया जाना चाहिए। अब सरकार यह दावा करने लग गई है कि उसने लाइसेंस देने की प्रक्रिया में सुधार किया है और दो अथवा तीन सप्ताह में आवेदन-पत्रों की छानबीन कर ली जाती है और आशय-पत्र जारी कर दिये जाते हैं। परन्तु हम उनके आश्वासन पर विश्वास नहीं कर सकते। इस बारे में एक उदाहरण देना चाहता हूँ। राज्य औद्योगिक विकास निगम ने तूतीकोरीन, तमिलनाडू में उर्वरक उत्पादन के लिये एक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसमें इटली से सहयोग प्राप्त किया जाना था। परन्तु चार अथवा पाँच महीने गुजर जाने पर भी अभी तक उसको मँजूरी नहीं दी गई है। इसी प्रकार रूमानिया के सहयोग से हैवी प्लेट एण्ड वैसल बनाने की परियोजना का प्रस्ताव भेजा गया था। उसका क्या हुआ अभी तक कुछ पता नहीं चला।

अर्थ-मूर्विंग उपकरण बनाने का एक कारखाना स्थापित करने के लिए सरकार ने एक गैर–सरकारी फर्म को लाइसेंस दिया था परन्तु अब पता लगा है कि सरकार उनके मार्ग में बाधायें डाल रही है । यदि सरकार का विचार कुछ और था तो उस फर्म को पहले ही लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिये था। सरकार को आवश्यकता की क्षमता तथा साधनों का अनुमान लगा कर स्पष्ट नीति अपनानी चाहिए। यदि सरकार को इन मूल बातों का ज्ञान नहीं है तो सरकार इस बात का निर्णय नहीं कर सकती कि किस चीज का कारखाना लगाया जाये और यह कारखाना सरकारी अथवा गैर-सरकारी—किस क्षेत्र में हो ?

लगभग एक वर्ष पूर्व हमें बताया गया था कि पोलिस्टर स्टेपल फाइबर के निर्माण के लिए लाइसेंस दिया जा रहा है और इसके लिये टी० एन० के, एण्ड कम्पनी को आशय–पत्र भी जारी किया गया था परन्तु बाद में झूठे आधारों पर उसको रद्द कर दिया गया । सरकार का जो कुछ भी रवैया हो परन्तु लाइसेंस देने में विलम्ब नहीं किया जाना चाहिये।

तारांकित प्रश्न संख्या 837 के उत्तर में बताया गया था कि जनवरी से नवम्बर 1968 तक विभिन्न राज्यों के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियन, 1951 के अन्तर्गत 191 लाइसेंस दिये गये हैं । मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे राज्य को कितने लाइसेंस दिये गये थे ? हम देख रहे हैं कि कुछ स्थानों पर उद्योगों का केन्द्रीयकरण हो रहा है और कुछ हाथों को एकाधिकार प्राप्त होता जा रहा है परन्तु उसको समाप्त करने के लिये कुछ नहीं किया गया है ।

इस समय कोई सन्देह नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति देश का विकास चाहता है, परन्तु प्रक्रिया में शीघ्रता लाई जानी चाहिये। प्रत्येक क्षेत्र को उसका उचित भाग मिलना चाहिये और पिछड़े क्षेत्रों को विकसित क्षेत्रों की तुलना में प्राथमिकता दी जानी चाहिये। मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री देश के विभिन्न भागों में विद्यमान असंतुलन को ठीक करने का प्रयास करेंगे ।

लघु क्षेत्र की सदा उपेक्षा की गई है । चौथी पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्र के लिये बहुत कम राशि रखी गयी है । योजना आयोग के एक सब ग्रुप ने, जिसके अध्यक्ष श्री बाल चन्द्रन थे, लघु क्षेत्र के लिए 145 करोड़ रुपये रखने की सिफारिश की थी। परन्तु योजना आयोग ने पुर्नविचार पर इसको आधा कर दिया है । इससे इस क्षेत्र की प्रगति भी धीमी पड़ जायेगी। लाइसेंस देने के सम्बन्ध में सभी मन्त्रालयों में समन्वय होना चाहिये और इस लम्बी प्रक्रिया को समाप्त किया जाना चाहिए ।

आरम्भ से ही उद्योगों के विकेन्द्रीकरण की बात कही जाती है । लघु क्षेत्र से विकेन्द्रीकरण में बहुत सहायता मिल सकती है। इस क्षेत्र से धन का कुछ हाथों में केन्द्रीयकरण भी नहीं हो सकता और इससे थोड़ी आय तथा मध्यम आय वर्ग के लोगों की आय में भी वृद्धि होगी । अतः सरकार को इस क्षेत्र की सहायता करनी चाहिए और प्रोत्साहन देना चाहिये। यदि कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता तो राज्य तथा केन्द्रीय सरकारें ग्रामीण क्षेत्र के औद्योगीकरण में सफल नहीं हो सकतीं। जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक बस्तियों का सम्बन्ध है अधिष्ठापित क्षमता बेकार पड़ी हुई है क्योंकि केन्द्र तथा राज्यों से पर्याप्त सहायता

उपलब्ध नहीं होती। मूल्यांकन अध्ययन-ग्रुप ने कुछ सिफारिशें की थीं। उसमें ग्रामीण औद्योगीकरण के लिये बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन देने के बारे में भी राय व्यक्त की गयी है।

सरकार ने कहा है कि लघु क्षेत्र कम मूल्य पर पुर्जों आदि का निर्माण तथा उनको सप्लाई कर सकता है क्योंकि उनके उपरि खर्चे कम होते हैं। परन्तु यह भी कहा गया है कि बड़े एकक उनसे माल लेने के अनिच्छुक हैं। परन्तु यह एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, क्यों कि जब उनके माल का मूल्य कम है तो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को उनसे माल लेने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। यदि गम्भीरता से प्रयत्न किये जायें तो इन बातों में सुधार किया जा सकता है।

आज प्रत्येक व्यक्ति छोटी-कार की बात कर रहा है। इसके लिये अनेक समितियाँ गठित की गईं और अनेक प्रतिवेदनों पर विचार किया गया परन्तु यहाँ भी हमें बताया गया है कि योजना आयोग इसमें बाधा डाल रहा है। मुझे आशा है कि इस बारे में कुछ निर्णय किया जायेगा।

कृषि मन्त्रालय के अनुसार तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में 90,000 ट्रैक्टरों की आवश्यकता होगी। परन्तु योजना आयोग का अनुमान है कि केवल 65,000 ट्रैक्टरों की ही माँग होगी। पता नहीं इस बारे में सरकार का विचार क्या है ? परन्तु यह एक महत्वपूर्ण बात है और मन्त्री महोदय को इस सम्बन्ध में योजना आयोग पर जोर डालना चाहिये ताकि किसानों को तथा उत्पादन में हानि न हो।

एकाधिकार आयोग का प्रतिवेदन बहुत समय पूर्व प्रस्तुत किया गया था। यह बताया गया है कि 1963–64 में बिड़ला ग्रुप के पास 292.7 करोड़ रुपये की सम्पत्ति थी और अब उनके पास 480 करोड़ रुपये की सम्पत्ति है। अतः उनकी सम्पत्ति में 64 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इसी प्रकार टाटा बन्धुओं के पास 1963–64 में 417.7 करोड़ रुपये की सम्पत्ति थी और अब उनके पास 547 करोड़ रुपये की सम्पत्ति है। अतः उनकी सम्पत्ति में 30.9 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार मफतलाल ग्रुप की सम्पत्ति में 131. 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। एकाधिकार जाँच आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् सरकार ने यदि कोई कार्यवाही की है तो क्या ? क्या यह समझ लेना ठीक नहीं है कि एकाधिकार को कम करने के बजाय सरकार ने उनके निमार्ण में सहायता की है ?

मैं नहीं जानता कि सरकार कम्पनियों से चन्दा प्राप्त करने पर रोक लगा रही है अथवा नहीं। यह मामला पिछले वर्ष उठाया गया था। मेरे विचार में इस पर रोक लगाने का उचित समय है क्योंकि राजनैतिक दलों तथा राजनीतिज्ञों में लोगों का विश्वास नहीं रहा है। अतः लोकतंत्र के हित में सरकार को कम्पनियों द्वारा राजनैतिक दलों को चन्दा दिये जाने पर रोक लगाने के लिये आगे आना चाहिये।

श्री रा० कृ० सिंह (फैजाबाद) : यह सच है कि हमारे देश को एशियाई तथा अन्तर्राष्ट्रीय चुनौती का सामना है। यदि चीन से प्रतियोगिता करनी है तो हमें तेजी से आगे बढ़ना है और इसलिए हमें सरकारी क्षेत्र को और मजबूत करना है। कांग्रेस पार्टी के 10-

सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जाना है। देश की समस्याओं को हल करने के लिए बैंकों में पड़े लोगों के रुपये का प्रयोग किया जाना चाहिए। परन्तु विरोधी दलों के लोग इन बातों को नहीं समझ सकते। देश में हुई प्रगति पर मुझे गर्व है । परन्तु सरकार को गरीब लोगों की दशा सुधारने पर ध्यान देना चाहिए।

राज्य सरकारों, केन्द्रीय सरकार तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सरकारी क्षेत्र के एककों से ही माल क्रय करना चाहिए। मैं गैर-सरकारी क्षेत्र के विरुद्ध नहीं हूँ परन्तु वहाँ पर बहुत कदाचार होते हैं तथा उनमें भ्रष्ट प्रथाएँ अपनाई जाती हैं। इसमें एकाधिकार का भी विकास होता है।

सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को अधिक उत्पादी बनाने के लिए इस क्षेत्र में कुछ छोटे उपभोक्ता एकक भी स्थापित किये जाने चाहिए। सरकारी क्षेत्र की सफलता ही देश की सफलता है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है और हमें सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में संतुलन रखना पड़ता है।

जनसंघ दल के एक माननीय सदस्य श्री के० डी० मालवीय की आलोचना कर रहे थे। परन्तु वह यह भूल गये कि श्री मालवीय भारतीय तेल उद्योग के निर्माता हैं।

सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं को अपना धन सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं और पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों में लगाना चाहिए। गत वर्ष गैर-सरकारी क्षेत्र की मारफत 360 करोड़ रुपयों का वितरण किया गया था। इससे पता चलता है कि लोगों की बचत के धन को सरकारी क्षेत्र में नहीं बल्कि गैर-सरकारी क्षेत्र में लगाया गया है। देश की अर्थ व्यवस्था में सरकारी क्षेत्र का समान सहयोग होना चाहिए।

उत्तर प्रदेश अभी तक बहुत पिछड़ा हुआ है। यदि इस देश को सभी स्तरों पर विकसित करना है तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार का, जो कि पिछड़े क्षेत्र हैं, विकास किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में फैजाबाद डिवीजन अन्य डिवीजनों की अपेक्षा अधिक पिछड़ा हुआ डिवीजन है। परन्तु इसके बावजूद भी केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा अपनी कोई योजना यहाँ पर आरम्भ नहीं की गई है। फैजाबाद डिवीजन केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों में सब से बड़ा है। एक योजना तैयार करके उत्तर प्रदेश योजना बोर्ड तथा प्रधान मन्त्री को भेजी गई थी। उस पर मेरे, श्रीमती सुचेता कृपालानी, श्री अटल बिहारी बाजपेयी, एस० एस० पी० के मन्त्री तथा एक अन्य संसद सदस्यों के हस्ताक्षर थे। इस तथ्य के बावजूद कि भारत के 289 जिलों में से फैजाबाद जिला सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है, उसके विकास के लिए अभी तक कुछ नहीं किया गया है। इस जिले में कोई भी परियोजना शुरू नहीं की जा रही है। मैं माननीय मन्त्री को चेतावनी देना चाहता हूँ कि वह हमें प्रदर्शन करने पर बाध्य न करें। मेरा निवेदन है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा फैजाबाद डिवीजन के लोगों की माँगों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। देश के विकास के लिए इस क्षेत्र के लोगों की माँगों को पूरा करना बहुत आवश्यक है। उत्तर प्रदेश ने योजना आयोग तथा भारत सरकार के समक्ष कुछ माँगें रखी हैं। राज्य ने माँग की है कि उनको केन्द्रीय सरकार द्वारा 30 करोड़ रुपये की

सहायता दी जानी चाहिए। परन्तु हम देखते हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश के लिए विशेष कारणों हेतु केवल 23 करोड़ रुपये ही रखे गये हैं, जबकि राजस्थान के लिए 40 करोड़ रुपये और उड़ीसा के लिए 30 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश राजस्थान से छः गुना तथा उड़ीसा से सात गुना बड़ा है। उत्तर प्रदेश की जन-संख्या तथा इसके पिछड़ेपन को देखते हुए इस राज्य को दी गई राशि से तीन गुना राशि दी जानी चाहिए थी।

उत्तर प्रदेश राज्य में बेरोजगारी, गरीबी, पीने के पानी की कमी, सूखा, बाढ़ तथा सीमा-सुरक्षा की समस्याओं को हल किया जाना चाहिये। 12,000 ग्रामों के लिए पेय जल की व्यवस्था करना आवश्यक है और इसके लिए 64 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। परन्तु योजना आयोग ने कुल 23 करोड़ रुपये की ही व्यवस्था की है।

पहली पंचवर्षीय योजना में केन्द्र द्वारा उत्तर प्रदेश को प्रति व्यक्ति 14 रुपये के हिसाब से सहायता दी गई जबकि अखिल भारतीय स्तर 25 रुपये प्रति व्यक्ति था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश को 18 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से सहायता दी गई जबकि अखिल भारतीय आंकड़े 46 रुपये प्रति व्यक्ति के थे।

पहली दो पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान उत्तर प्रदेश में केन्द्र द्वारा कोई भी औद्योगिक परियोजना शुरू नहीं की गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र द्वारा उत्तर प्रदेश में अपनी परियोजनाओं पर कुल 72 करोड़ रुपये ही व्यय किये गये। यदि इस देश को एक देश के रूप में आगे बढ़ना है तो पिछड़े क्षेत्रों और विकसित क्षेत्रों के असंतुलन को दूर किया जाना चाहिये। मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करूँगा कि वह उत्तर प्रदेश के औद्योगीकरण की ओर विशेष ध्यान दें।

श्री के रमानी (कोयम्बतूर) यह मन्त्रालय सबसे बड़े औद्योगिक संकट, बेरोजगारी तथा कारखानों के बन्द होने आदि के लिए जिम्मेदार है। इस मन्त्रालय का नाम बड़े व्यापार तथा एकाधिकार विकास मन्त्रालय होना चाहिए। औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्रालय के प्रतिवेदन तथा सरकार के अन्य प्रतिवेदन से इस बात का पता लगा जाता है कि देश का विकास किस प्रकार से हो रहा है? 31 मार्च, 1957 को देश में 8,771 पब्लिक कम्पनियाँ थीं और इनमें 695.7 करोड़ रुपये की पूँजी लगी हुई थी। परन्तु 1966-67 में इनकी संख्या कम हो कर 6,332 रह गई परन्तु इसकी पूँजी बढ़ कर 1,503.40 करोड़ रुपये हो गई। 1968 में इन कम्पनियों की संख्या में और कमी हो गई परन्तु पूँजी में फिर वृद्धि हो गई। इससे पिछले ग्यारह वर्षों में देश में विकास की प्रवृत्ति का पता लगता है। स्पष्ट है कि देश में एकाधिकार का विकास हुआ है।

सरकार इन बड़ी-बड़ी कम्पनियों की अपनी वित्तीय एजेन्सियों द्वारा सहायता करती है। 100 लाख से 250 लाख रुपये की पूँजी वाले समवायों में यूनिट ट्रास्ट आफ इन्डिया ने 21.3 प्रतिशत पूँजी लगा रखी है और जीवन बीमा निगम ने 28.89 प्रतिशत। इसी प्रकार 250 लाख रुपये से अधिक पूँजी वाले समवायों में यूनिट ट्रस्ट आफ इन्डिया ने 74.14

प्रतिशत तथा जीवन बीमा निगम ने 70.13 प्रतिशत पूँजी लगा रखी है। परन्तु 25 लाख रुपये की पूँजी वाले मध्यम वर्ग के कारखानों में यूनिट ट्रस्ट आफ इन्डिया ने 0.02 प्रतिशत और जीवन बीमा निगम ने 0.11 प्रतिशत पूँजी लगा रखी है। इससे पता चलता है कि सरकार मध्यम वर्ग तथा लघु उद्योग में अपनी पूँजी नहीं लगाती। अतः वह एकाधिकार समवायों के विकास में ही रुचि लेती है।

भारत में विदेशी सहयोग तथा विदेशी पूँजी में भी वृद्ध हो रही है। 1964-65 में भारत में कुछ विदेशी गैर-सरकारी कम्पनियों की कुल पूँजी 1550.88 करोड़ रुपये की थी जो 1965-66 में बढ़ कर 1663.47 करोड़ रुपये हो गई। इसका अर्थ यह है कि एक वर्ष में इसमें 113 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। इससे स्पष्ट है कि विदेशी निजी एकाधिकार कम्पनियों तथा भारतीय एकाधिकार कम्पनियों में सहयोग के समझौते हो रहे हैं। मन्त्रालय के कार्य-संचालन के फलस्वरूप एकाधिकार विकास तथा इसके केन्द्रीयकरण में सहायता मिली है। इसी प्रकार विदेशी ऋण में भी वृद्धि हुई है। सितम्बर 1968 तक भारत ने 7,260 करोड़ रुपये के विदेशी ऋण प्राप्त किये थे। इसमें से 4298.18 करोड़ रुपयों की विदेशी मुद्रा में भुगतान करना होगा। यदि भारत में एकाधिकार का इसी प्रकार का विकास होता रहा तो लघु तथा कुटीर उद्योगों का विघटन हो जायेगा। 1954-55 में भारत में दियासलाई के 159 कारखाने कुटीर स्तर पर थे। इनकी संख्या बढ़ कर 1200 हो गई है। केवल विम्को में 10,000 मजदूर काम करते हैं और इसके पाँच एकक हैं। बड़े उद्योगों की प्रतियोगिता के कारण कुटीर उद्योग लगभग समाप्त हो गये हैं। तामिल नाडु के रामनाद जिला और उत्तर अर्काट जिला में दियासलाई के कुटीर उद्योग में हजारों मजदूर काम करते हैं। परन्तु विम्को से प्रतियोगिता के कारण वे कठिनाई में पड़ गये हैं। विम्को देश की दियासलाई की आवश्यकता का 60 प्रतिशत उत्पादन करती है, उनको 25 प्रतिशत और उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा गया है। इससे स्पष्ट रूप से पता लगता है कि सरकार लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास के पक्ष में नहीं है।

इस सम्बन्ध में एक अन्य उदाहरण देना चाहता हूँ। 1968 के अन्त में 80 सूती कपड़ा मिलें बन्द हो गई थीं। 20,500 करघे बेकार हो गये थे और इसके फलस्वरूप 83,000 मजदूर बेरोजगार हो गये थे। केवल तमिल नाडु में 30 मिलें बन्द हो गई थीं। औद्योगिक विकास विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने इस मामले की जाँच करने तथा समितियाँ स्थापित करने का आश्वासन दिया था। परन्तु अभी तक कुछ नहीं किया गया है। तमिल नाडु सरकार द्वारा इन मिलों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उसकी सहायता करने का आश्वासन दिया गया था परन्तु उसको उचित सहायता नहीं दी गई है। सरकार ने घाटे पर चल रही मिलों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए एक कानून पास किया था तथा राष्ट्रीय कपड़ा उद्योग निगम स्थापित किया था। परन्तु इस निगम ने तमिल नाडु की एक भी मिल को अपने नियंत्रण में नहीं लिया है। सरकार को ऐसा कानून बनाना पड़ेगा जिससे राज्य सरकार इन मिलों को अपने नियंत्रण में ले सके।

प्रतिवेदन के पृष्ठ 102 पर लिखा गया है कि 1967–68 में औद्योगिक बस्तियां कार्यक्रम के विस्तार की अपेक्षा उनके समेकीकरण पर अधिक जोर दिया गया। इसका अर्थ यह है कि यह मन्त्रालय विकास के लिए नहीं बल्कि समेकीकरण के लिए है। आगे चल कर कहा गया है कि मार्च, 1968 के अन्त तक 493 औद्योगिक बस्तियों को आरम्भ किया गया जिनमें से 361 को पूरा किया गया है और 248 बस्तियों ने काम करना शुरू कर दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि केवल 50 प्रतिशत बस्तियों ने ही कार्य करना शुरू किया है।

औद्योगिक लाइसेंस देने सम्बन्धी पद्धति के कार्य-संचालन की जाँच करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी। समिति को इस बात का पता लगाना था कि बड़े-बड़े औद्योगिक-गृहों ने अन्य आवेदनकर्त्ताओं की अपेक्षा अनुचित लाभ तो नहीं उठाया और यदि उनको अधिक लाइसेंस दिये गए हैं तो उसका क्या औचित्य था ? बड़े-बड़े उद्योग–गृहों को दिये गये लाइसेंसों का किस हद तक उपयोग किया गया है और क्या जारी किये गये लाइसेंस औद्योगिक नीति संकल्प में निर्धारित नीति के अनुसार जारी किये गये हैं। इस समिति को मार्च, 1969 के अन्त तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था परन्तु अभी तक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में यह एक महत्वपूर्ण मामला है। यदि यह समिति ठीक ढंग से कार्य करती है तो वे हमारे समक्ष एक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकते थे। मैंने इसीलिये कहा था कि यह मन्त्रालय औद्योगिक विकास तथा समवाय–कार्य न हो कर एकाधिकार विकास मन्त्रालय है। इस मन्त्रालय को यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि वे सारे देश में समुचित औद्योगिक विकास करना चाहते हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए औद्योगिक नीति में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है अन्यथा भारतीय जनता इस सरकार को बदल देगी।

Shrimati Jayaben Shah (Amreli) : Many hon'ble Members have pointed out that in spite of many big industries in our country, there are people who do not find employment. In view of this they have suggested that small-scale industries should be set up thoughout the country. I appreciate this idea.

[श्री गाडिलिंगन गौड पीठासीन हुए
Shri Gadilingana Gowd in the Chair]

No doubt we need big industries in our country but there are 17 crores of people in our country who are not in a position to earn their livelihood. In the field of agriculture people get foodgrains for six months only. I will request the hon'ble Minister to examine as how to engage them for the rest of the year. In my opinion we should give due importance to small-scale village and cottage industries. I want to know the field which is reserved for small-scale industries. The opposition parties should also think over this problem. The hon'ble Minister should consider whether the problem of unemployment cannot be solved by setting up Khadi and village industries ? It will not be proper to reduce the amount allocated for this purpose. The Planning Commission should consider this matter seriously. Khadi industry is very important for rural sector. If there is any other alternative arrangement to provide them employment, we would

have no objections. They have to earn their livelihood and Government have to make arrangement for the same. I suggest that all the political parties should put their heads together to deal with this problem.

In order to deal with the monopolies, we have to encourage village and small-scale industries. These industries should be given subsidy and certain articles have to be reserved for them for production. Government has been giving subsidy to many other countries but in spite of this subsidy, those industries are facing closures. In view of this I suggest that arrangements should be made for providing employment to the villagers by setting up processing industries. The procedure of the villages should be processed in the villages themselves. Unless it is done the villages would be doomed. The persons from the villages are coming out to cities as there is much unemployment there. Keeping all these facts in view we have to encourage cottage and village industries even if they have to be given subsidy.

Government should purchase the articles produced by small-scale industries. The man-power available in the country should be utilised. We are in need of employment-oriented industries and not capital-oriented industries. While planning we should keep in our mind the state of affairs in our villages so that they many continue to have faith in democracy. The exodus from villages cannot be checked until we provide them employment-opportunities.

Shri Shiva Chanra Jha (Madhubani) : The area of private sector has been increasing owing to policies adopted by the Government which resulted in monopoly in the industries and centralisation of economy. We wish that our country should prosper but we have to go step by step.

It is observed that industries reserved for public sector are also being passed on to the private sector. There should have been progressive control of Central Government over these industries. All the financial institutions set up by the Government have been financing the public sector. In this connection it may be pointed out that these amounts were not utilised for the purpose for which they were given. Textile and Jute Industries were provided with funds for medernisation but they were used to remove their sickness and they set up more profitable industries. In fact they violated section 370 and 372 of the Company Act.

In so far as the question of licening-policy is concerned, it may be pointed out that licences are not given to right parties. The maximum numbr of licences have been issued to Birla concerns and still they are asking for more licences. In this manner centralisation is going on in the country. It is clear that monopolies thrived in the Five Year Plans. The field of public sector has also been increased and I wish that it should further be increased but the fact remains that there is large amount of inefficiency in the public sector. A qualitatve change is required to be brought in public sector. There should be participation of labour-working in the industries in the management. The public sector should not be left in the hands of bureaucrats or retired polititians. This action is necessary in order to give a new look to public sector.

The per capita income of Bihar is minimum. An atmoic power plant should be set up there. Raw material is available there. Bihar is backward keeping in view the development of Bengal and Maharashtra. No progress has been made in respect of Bihar. In fact capitalism and regional imbalances have been increased as a result of the policies followed by the Government after partition. Without qualitative change industries cannot be established on the basis of socialism.

Shri Mrityunjay Prasad (Maharajganj) : It is observed that big industries have been developed but the progress in the development of small-scale industries has not been satisfactory. Government should give necessary facilities to encourage small-scale indus-

tries and for this purpose assistance should be given according to requirement. Government may give some aid for the small-scale industries producing consumer-goods but other ancillary industries should manufacture components which can be utilised by the big industries. The big industries should be asked to purchase these components from small-scale industries instead of manufacturing them themselves. Moreover before starting any production in them we should collect information with regard to the availability of raw material, technical know-how and the market where we can put them for sale. It has been seen that production is increased in big industries without any arrangement for the sale of the produce. The result is that the concerned industries have to work on the reduced capacity. Similarly, after completion of the projects it is realised that amount provided for is inadequate, which indicates that planning of the project has been defective. Again, the production does not come up according to the targets envisaged in the Plan. We should go into the causes of less production and inadequate provisions.

It has often been complained that local people of Bihar are not given suitable opportunities of employment in the industries established in the public sector. I would request the Government to pay due attention towards this fact. I may also suggest that big industries should be established in North Bihar so that people of this area are benefitted. .

It may be stated generally that administrators appointed to run these industries do not prove to be successful. They have to take orders from the Central Secretariat in each case. In fact they have to regulate their production in accordance with the trends of the market but much time is wasted in correspondence with the Central Government in the fixation of prices of the products. On one hand they are autonomous but on the other hand they cannot take any action without the concurrence of the Central Government. I suggest that they should be equipped with necessary powers to deal with such matters.

We should also impresse upon the employees to work hard in discharging their duties.

श्री पी० विश्वम्भरन (त्रिवेन्द्रम) : औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्रालय एक ओर एकाधिकार को रोकने से सम्बन्धित विधेयक प्रस्तुत करने में गर्व अनुभव करता है परन्तु दूसरी ओर एकाधिकार पनप रहा है । तीन वर्षों की अवधि में बिड़ला-ग्रुप की कम्पनियों की कुल आस्तियों में 216 करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि हुई है ।

यह कहा गया है कि एकाधिकार के विस्तार को रोकने के लिये कई आयोग तथा समितियाँ नियुक्त की गई हैं । डा० हजारी के प्रतिवेदन पर चर्चा करते हुये हम में से कुछ सदस्यों ने कहा था कि और कोई समिति नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है । परन्तु ठक्कर समिति नियुक्त की गई थी और उसका प्रतिवेदन अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है । सरकार इस समिति की अवधि निरन्तर बढ़ा कर एकाधिकार-गृहों को लाइसेंस जारी करने के मामले को ही समाप्त कर देना चाहती है । यह समिति अभी इस मामले की जाँच कर रही है और डा० हजारी की सिफारिशें सरकार के पास थीं फिर भी इन ग्रुपों को अधिक से अधिक लाइसेंस जारी किये गये थे ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

सरकार द्वारा राजनीतिक दलों को चन्दा देने से मनाही करने के लिए एक विधेयक पुरःस्थापित किया गया है। परन्तु अभी तक उस पर विचार करने के लिये कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है। इस विधेयक के पुरःस्थापित किए जाने के बाद कम्पनियों द्वारा राजनीतिक दलों को दिये जाने वाले चन्दे में 21 लाख रुपये की वृद्धि की गई है। इसीलिये सरकार इस विधेयक पर आगे कार्यवाही नहीं कर रही है। सरकार इस प्रकार का आडम्बरपूर्ण रवैया अपना रही है। इसी प्रकार की स्थिति छोटी-कार परियोजना की है। परन्तु यह मन्त्रालय इस बात का दावा करता है कि राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लघु-उद्योगों के लिए बहुत काम कर रहा है। उनसे छोटे उद्यमकर्त्ताओं को किराया-खरीद योजना का लाभ पहुँचाने के लिए अल्प-विकसित क्षेत्रों में अभियान चलाया है। परन्तु वास्तव में इस निगम के कार्य भी आडम्बरपूर्ण हैं। इस अभियान की गति बहुत धीमी है।

यह कहा गया है कि सरकारी क्षेत्र में उद्योगों के चलाने के लिए प्रशिक्षित प्रबन्धक वर्ग की कमी है। इस मन्त्रालय ने 'कम्पनी सेक्रेटरीशिप' के लिए डिप्लोमा पाठ्क्रम आरम्भ किया था। यह पाठ्क्रम काफी कठिन था। 8,000 उम्मीदवारों में से केवल 127 व्यक्तियों को डिप्लोमा मिल सका था। परन्तु इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया कि इनमें से कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला है। मेरे विचार में इस प्रकार 90 प्रतिशत डिप्लोमाधारी व्यक्ति बेरोजगार पड़े हैं। सरकारी क्षेत्र में मन्त्रियों तथा उच्च दफ्तरशाहों के सम्बन्धियों को नियुक्त करने की प्रथा अब भी चल रही है।

सरकार का दावा है कि वह क्षेत्रीय असन्तुलन दूर कर रही है परन्तु गत 17-18 वर्षों में यह देखा गया है कि पिछड़े हुए क्षेत्र अब भी पिछड़े हुए हैं। सरकार ने केरल के प्रति अपेक्षापूर्ण रवैया अपनाया हुआ है। पहली योजना में केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय औद्योगिक नियोजन में केरल को एक भी रुपया नहीं दिया था। दूसरी योजना में केवल डी० डी० टी० कारखाने के लिए 79 लाख रुपये दिये थे। तीसरी योजना में इस सम्बन्ध में 71 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने का प्रस्ताव था परन्तु अन्ततोगत्वा जब योजना में संशोधन किया गया तो यह राशि घटा कर लगभग 25 करोड़ रुपए कर दी गई थी।

जब केरल में अधिक उद्योग स्थापित करने के लिए कहा जाता है तो हमें बताया जाता है कि उद्योगों की स्थापना तकनीकी एवं आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रख कर की जाती है। परन्तु 'हैवी प्लेट्स एण्ड वेसल प्रोजेक्ट' के लिए केरल उपयुक्त स्थान होने के बावजूद उसको किसी अन्य स्थान पर स्थापित किया गया है।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में केरल में फाइटो-रसायन कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव था। केरल सरकार ने राज्य की 300 एकड़ बहुमूल्य भूमि अर्जित की थी और केन्द्रीय सरकार को दी थी परन्तु उसके बाद कुछ नहीं हुआ। इसी प्रकार पालघाट में प्रिसीजन इन्स्ट्रूमेंट्स फैक्टरी के लिये भी भूमि अर्जित की गई थी और वह भी बेकार पड़ी है।

एक ओर देश में खाद्यान्न की कमी है और दूसरी ओर यह भूमि बेकार पड़ी है जिसके लिए केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी है।

सरकार ने कुछ उद्योगों को लाइसेंस से छूट दी थी। परन्तु औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों में इस नीति का विपरीत प्रभाव पड़ेगा क्योंकि गैर-सरकारी उद्यमकर्त्ता औद्योगिक दृष्टि से विकसित क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करेंगे। सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए कि पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए गैर-सरकारी उद्योगपतियों को राजी किया जा सके। फिर इस मन्त्रालय के अधीन ऋण-संस्थाएँ भी भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रही हैं। अन्त में मैं यह अपील करता हूँ कि केरल के प्रति यह उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण त्याग दिया जाये।

राज्य की चौथी योजना की रूप-रेखा में राज्य की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की व्यवस्था है। इस प्रयोजन के लिए केरल सरकार ने सुझाव दिया है कि राज्य में केन्द्रीय सरकार द्वारा कम से कम 320 करोड़ रुपए की पूँजी लगाई जानी चाहिए। इस प्रकार केरल की सहायता की जानी चाहिये।

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : I have seen the reports of Public Sector Companies for the year 1967, 1968 and 1969. The report has been drafted on the same old pattern. No one has bothered to say that how much money has been invested in these companies. In this connection no details have been given. In future the reports should be drafted in a manner that it should depict the position of the company. The Members of Parliament may be consulted in the matter, if necessary.

This Ministry had convened a seminar on credit facilities. It was an appreciable task. The hon'ble Minister has taken step in right direction.

Last year Hazare Report was discussed for eight hours but in vain. I request the hon'ble Minister to take necessary action at the earliest.

It may be pointed out that Director of Industries of States do not fallow the instructions of the Ministry; Director of Industries, Delhi has been indulging in corrupt practices. The assets of the officers of the said office should be got examined by Central Bureau of Investigations. These officers have been harassing small industrialists. They cannot get their essentiality certificates and licences without payment of money.

I wish public sector projects a success. We cannot expect socialism in India without their success. Government must take steps to remove the shortcomings in the public sector in order to remove disparity. It would be wrong to say that all the public undertakings are losing concerns. Of course there are some undertakings which have suffered loss *e.g.*Bharat Heavy Electricals, Heavy Electricals India Limited etc. The reasons of losses have not been given in the Report. I suggest that an expert committee should be appointed to go into the causes of losses suffered by the undertakings who have been running at a loss continuously for the last 5 years. I may also suggest that the practice of appointing retired personnel in the public undertakings should be stopped as they have no interest in service after retirement. Expert personnel should be preferred to I. A. S. personnel.

It has been observed that there is over-staffing in the undertakings. The surplus staff should be utilised elsewhere. The rules should be formulated to stop the recruitment of relatives. The

people working in public undertakings should be encouraged by giving them National Awards. The Ministry should take all steps to raise the image of pubic undertakings as 14 companies of the public undertaking are under this Ministry.

I may also point out that working of Khadi and village Industries Commission is not satisfactory. Useless persons have been appointed in the Commission. There is over-staffing in the Commission and bungling in the whole affiair. Therefore it should be closed down.

आन्ध्र प्रदेश के तेलंगाना तथा अन्य क्षेत्रों में हाल ही की घटनाओं पर चर्चा*

DISCUSSION RE: RECENT DEVELOPMENTS IN TELANGANA AND OTHER AREAS OF ANDHRA PRADESH*

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक इन घटनाओं के कारणों का सम्बन्ध है, मेरे विचार में अधिक मतभेद नहीं है क्योंकि यह बात स्पष्ट है कि वर्तमान गड़बड़ का कारण विद्यार्थियों के मन में असंतोष है। उसके मुख्य कारण सेवाओं का एकीकरण, मुलकी समस्या, आर्थिक विकास का मामला और समझौते के राजनीतिक पहलुओं को क्रियान्वित न किया जाना हैं। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि तेलंगाना की जनता की शिकायत सही है और हमें इसी दृष्टि से इस विषय पर विचार करना है।

अतः हमें इस सम्बन्ध में तेलंगाना तथा आन्ध्र प्रदेश के नेताओं के साथ विचार-विमर्श करना होगा क्योंकि हमारे विचार में आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न भागों को आपस में मिल कर रहना चाहिये। मेरे विचार में आध्र प्रदेश राज्य का और विभाजन नहीं किया जाना चाहिये। किसी मन्त्री अथवा मुख्य मन्त्री को त्याग-पत्र देने के लिये कहना अनुचित है। इस प्रकार हम इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते।

जहाँ तक समिति नियुक्त करने का सुझाव है, मेरे विचार में ऐसी समिति नियुक्त करने का कोई लाभ नहीं होगा।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : इस मामले में समस्याएँ कुछ भिन्न हैं। माननीय सदस्यों ने यह निश्चिय कर लिया है कि मुख्य मन्त्री का त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया जाना चाहिए और तेलंगाना राज्य बनाया जाना चाहिए। यदि लोग यह दृष्किोण ले कर वहाँ जायेंगे तो पता नहीं क्या होगा? इस सभा के सदस्यों को विचार-अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है और यह कोई अनुचित भी नहीं है। किन्तु मुझे संदेह है कि इस प्रकार की समिति हमारी इच्छा के अनुसार विश्वास पैदा कर सकेगी। हमने इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार कर लिया है और जो कुछ मैंने अनुभव किया है वह मैंने कह दिया है। सभी जानते हैं कि आन्ध्र प्रदेश में स्थिति पहले से अच्छी है। आप इसके सभी पहलुओं पर विचार करके यदि यह समझें कि इससे आन्ध्र प्रदेश

*आधे घन्टे की चर्चा

*Half-an-hour discussion

के लोगों में एकता लाई जा सकेगी तो निस्संदेह हम अपना सहयोग देंगे। किन्तु इस मामले में सभा के सामने अपनी आशा को स्पष्ट रूप से रखना मेरा कर्तव्य है।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, I may be allowed to speak for a few minutes.

(कुछ माननीय सदस्य खड़े हो गये)

अध्यक्ष महोदय : इस पर फिर चर्चा आरम्भ हो गई। यदि श्री लिमये को अनुमति दी जाये तो अन्य सदस्यों को भी देनी पड़ेगी।

Shri Madhu Limaye : I am requesting to you not to him. He has not to reply.

श्री उमानाथ (पुद्दूकोटै) : नक्सलबाड़ी के बारे में चर्चा के समय यह सुझाव दिया गया था कि वहां पर एक संसदीय समिति भेजी जाये और यह सुझाव स्वीकार कर लिया गया था। किन्तु अब वह कहते हैं कि वह इस सुझाव के विरुद्ध नहीं है किन्तु इसे आप पर छोड़ते हैं। वह तब की और आज की स्थिति में अन्तर कैसे करते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा है। मुझे इसके परिणामों आदि पर विचार करने के लिये समय चाहिए।

अब हम औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य को अनुदानों की मांगों पर विचार करेंगे।

अनुदानों की माँगें

DEMANDS FOR GRANTS

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्रालय--जारी

श्री वेदव्रत बरुआ (कलियाबोर) : अध्यक्ष महोदय, देश में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के अप्रयुक्त क्षमता की समस्या हमारे सामने है और इस समस्या के समाधान के लिये हमें औद्योगिक विकास के प्रश्न पर नये दृष्टिकोण से विचार करना है। जब तक हम योजनाबद्ध औद्योगिक विकास की ओर अच्छी तरह ध्यान न दें तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकती है और योजनाबद्ध औद्योगिक विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक अप्रयुक्त क्षमता का पूरी तरह उपयोग न किया जाये।

[श्री रा० डो० भण्डारे पीठासीन हुए
Shri R. D. Bhandare in the Chair]

सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न किस्म की अप्रयुक्त क्षमता है। गैर-सरकारी क्षेत्र में अप्रयुक्त क्षमता वह कही जाती है जिसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, वह क्षमता जो अलाभप्रद होने के कारण अप्रयुक्त है, जो अधिक लागत के कारण अप्रयुक्त रहती है तथा जो घाटा होने के कारण अप्रयुक्त रहती है। गैर-सरकारी क्षेत्र में पूँजी को विभिन्न उद्योगों में लगा कर एकाधिकारवाद का विस्तार किये जाने के कारण क्षमता अप्रयुक्त रहती है। अतः गैर-

सरकारी क्षेत्र को इस बात के लिये बाध्य किया जाना चाहिए कि वे अपने वर्तमान उद्योगों का आधुनिकीकरण करें। इसके लिये यह आवश्यक है कि जिन उद्योगों, कारखानों अथवा मिलों में श्रम की समस्याएँ हैं, जो लाभप्रद नहीं हैं, जिनमें पुरानी मशीनें हैं, उन्हें सरकारी क्षेत्र में ले कर घाटा उठाने के बजाय उनके सम्बन्ध में यह नीति अपनाई जानी चाहिए कि उन्हें आधुनिक मिल स्थापित करने के लिये नये लाइसेंस दिये जायें, इससे उनकी पूँजी अप्रयुक्त नहीं रहेगी और उन्हें सरकारी क्षेत्र में ले कर घाटा उठाने की नौबत नहीं आयेगी।

सरकारी क्षेत्र में क्षमता अप्रयुक्त रहने का प्रत्यक्ष कारण यह है कि सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में योजना में अपेक्षित पूँजी नहीं लगाई गई है। इससे होता यह है कि सरकारी क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार उत्पादन न होने के कारण पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता है क्योंकि उत्पादित माल की खपत नहीं हो पाती है। इसके लिये हमें समूची अर्थ-व्यवस्था का विस्तार और विकास करना होगा। पूरी क्षमता का उपयोग तभी हो सकता है जबकि उत्पादित माल की खपत हो जाये। इसके लिये हमें अपनी आयात नीति युक्तिसंगत बनानी होगी और उन वस्तुओं का आयात बन्द करना होगा जो देश में बनाई जाती हैं।

स्थानीय उद्योगों के साथ भी कभी-कभी उचित व्यवहार नहीं हो पाता है क्योंकि बड़े उद्योगपतियों को मशीनों आदि का, जिन्हें देश में बनाया जा सकता था, आयात करने की अनुमति दी गई है। पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में उत्पादित माल के लिये देश की माँग को ध्यान में नहीं रखा गया है। आशा है आगामी पंचवर्षीय योजना में देश में माँग बढ़ाई जायेगी ताकि देश में उत्पादित देश माल की पूरी तरह खपत हो सके।

आज हमारे सामने तकनीकी जानकारी की भी समस्या है। हमारे उद्योगों का विकास तभी हो सकता है जब कि हम देश में तकनीकी सेवाओं, परामर्शदाता सेवाओं, डिजायन और इंजीनियरी सेवाओं को प्रोत्साहन दें। इस समस्या को हल करने का यह तरीका है कि हमारे इंजीनियर तथा तकनीशन सर्वोच्च स्तर पर उत्पादन प्रक्रिया में सहभागी बनें। इसके लिये कोई उपाय निकालना होगा।

मुझे एक बार बर्वे प्रतिवेदन का उल्लेख करने का अवसर मिला था। श्री बर्वे योजना आयोग के सदस्य थे और दो वर्ष पहले उनका स्वर्गवास हो गया था। उन्होंने देश में परामर्शदाता तथा डिजायन इंजीनियरी सेवाओं के बारे में जाँच की थी। उनकी जाँच से पता चला था कि देश के उद्योगों में विदेशों के लोगों की तकनीकी जानकारी का उपयोग हो रहा है और देश में उपलब्ध डिजायन इंजीनियरी सेवाओं का उपयोग नहीं किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप देश से प्रतिभा का पलायन हो रहा है।

विदेशी सहयोग के समूचे प्रश्न पर इसी सन्दर्भ में विचार करना होगा। हमें यह देखना होगा कि क्या 'टर्न की' परियोजनाएँ हमारे लिये लाभप्रद साबित हो रही हैं? मैं समझता हूँ कि इन परियोजनाओं के कारण हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है और देश में उपलब्ध प्रतिभा का उपयोग नहीं हो पा रहा है। यह हमारे लिये हानिकारक बात है।

विकास की कुंजी यह है कि हमें विदेशी मुद्रा का इस प्रकार अपव्यय नहीं करना चाहिए। लोग वास्तविक मूल्य से अधिक और कम मूल्य के बीजक बना कर विदेशी मुद्रा कमाते हैं और उसे विदेशी बाजारों में बेचते हैं। अतः सरकार जो विदेशी मुद्रा देती है उसका उपयोग देश के विकास के लिये किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ हम कोका कोला का आयात करते हैं। बोतल, पानी और चीनी के अलावा मुख्य पदार्थ का आयात किया जाता है। क्या विकास की इस अवस्था में देश में इस प्रकार की परियोजनाएँ होना आवश्यक है? इस प्रकार देश की विदेशी मुद्रा का अपव्यय उचित नहीं है। देश के कुछ बड़े उद्योगपति देश के प्रत्येक क्षेत्र में अपना नियंत्रण चाहते हैं। वे लोग अपनी पूंजी एक ही क्षेत्र में नहीं लगाना चाहते हैं। उदाहरणार्थ जनरल मोटर्स ने अपनी पूंजी 200–300 कम्पनियों में लगाई है और अपने सामान को वह बहुत अधिक मूल्य पर बेचती है। ये कम्पनियाँ देश के हित का ध्यान न कर अपने स्वार्थों की पूर्ति करती हैं। अतः मेरा निवेदन है कि हमें विदेशी मुद्रा का उपयोग अनावश्यक अथवा कम आवश्यक प्रयोजनों के लिये न करके अत्यावश्यक प्रयोजनों के लिए करना चाहिए।

जवानों से विविध कार्य करवाना**

ASSIGNMENT OF MISCELLANEOUS JOBS TO JAWANS**

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Mr. Speaker, I raised this point in the last session at the time of discussion on Defence Debate that the high Army Officers use the services of the jawans for their personal jobs. The jawans have even to polish the shoes of the officers and look after their children. When this matter came into light through newspaper, some jawans sent me a letter in which they mentioned their difficulties. I was so much pained after reading the letters that I decided to raise this question. They have complained in the letter that orders to polish the shoes are treated as official and any refusal amounts to disobeyance and hence he is punished. I approached the Ministry of Defence for finding out the facts. The Ministry wrote to me that they have already issued instructions that they should not be forced to do such jobs. However, their genuine complains will be looked into. In this way the Ministry of Defence have evaded the matter. But I would like to inform that this matter is taking a serious form and if Government do not take proper steps to remove the genuine grievances of the jawans in this regard the situation will become explosive.

There were certain reasons for the gap between the Army Officers and the Jawans during the British days. But it is really a matter of regret that even after 22 years of independence that gap still continues.

Apart from polishing the shoes of the officers and looking after their children, the jawans have to bring vegetables from the market, look after orchards in offiers' bungalows and even have to work in the farms owned by certain officers. Thus the time of the jawans which cannot be utilized for receiving training and rendering useful services to the country is taken by the officers for their personal benefit. Besides it hurts their feeling of self-respect. The Defence Minister should look into the matter and take necessary steps to remedy the situation.

**आधे घन्टे की चर्चा

**Half-An-Hour Discussion.

In the said letter they have enumerated all these complaints. They have also stated that while the officers get the family separation allowance, the jawans are not given that allowance. Also while special allowance is given to officers who go to a peace station for training no such allowance is given to the jawans for the some purpose. They have also pointed out that children of jawans cannot get admission in the schools where the children of officers receive education. Also the jawans who do not know English, are handicapped in the matter of promotion although the Defence Minister had given an assurance in the Lok Sabha that no discrimination will be made in the matter of promotion on the basis of language . But in practice the position remains the same as it was before.

The jawans have also pointed that their pay is so meagre that it is very difficult to meet both ends. Even their dearness allowance is 20 percent less than the dearness allowance paid to the civilian employees.

The jawans, when they are sent to peace stations from the opertion areas, have to live with their families in tents even in cold weather, while the officers are provided with suitable accommodation. Such discrimination is not proper.

While we are spending a huge amount for the defence of our country, the increasing discontentment among the jawans is not a good sign particularly when we face threat from two enemies on our borders. I, therefore, submit that a commission should be appointed to suggest ways and means of establishing happy and cordial relations between the officers and jawans. They should not try to evade the issue by giving a vague reply as has been done in the reply to a question asked by me in this regard. They should realise the difficulties of jawans and take necessary steps to remove their grievances.

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण): यह प्रसन्नता की बात है कि इस सभा में प्रतिरक्षा मंत्रालय से सम्बन्धित मामलों पर, विशेषत: सेनाओं के कल्याण के बारे में, चर्चा करने का अवसर मिलता है। इससे मंत्रालय को कुछ कमियों को दूर करने में सहायता मिलती है। प्राय: यह सभी जानते हैं कि हमारी सुरक्षा सेनाएँ ब्रिटिश पद्धति के ढाँचे पर बनाई गई हैं। एक समय था जबकि 6,000 ब्रिटिश सेना के लिए 18,000 सेवक थे तथा बाद में 12,000 ब्रिटिश सेना के लिए 40,000 सेवक थे। एक मेजर जनरल को 50 सेवक, एक कर्नल को 40 सेवक और एक कैप्टन को 20 सेवक मिलते थे। स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पहले भारत में सेना का ढाँचा इस प्रकार था। बाद में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद भारतीय सैनिक अफसर बन जाने पर इनमें से अनेक बातें बदल गई हैं और कुछ अभी तक चल रही हैं। यह सभी समझते हैं कि सेना में इस प्रकार परिवर्तन तेजी से लाना सरल कार्य नहीं है। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा उत्तरोत्तर लाये गये परिवर्तनों से सभा संतुष्ट हो जायेगी। यह सराहनीय बात है कि सैनिक अधिकारी कुछ सुविधाओं के बिना, जो अन्य देशों में अब भी मिलती हैं, निष्ठापूर्वक अपना कार्य कर रहे हैं। आज अधिकारी बीहड़ और कठिन क्षेत्रों में कार्य करते हैं। अधिकारी लोग अपने आराम और अपनी सुविधाओं के बिना देश के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करते हैं। इसलिये मैं कह सकता हूँ कि यह कहना ठीक नहीं है कि अधिकारी जवानों के साथ

अच्छा वर्ताव नहीं करते हैं । अधिकारी यह समझते हैं कि उन्हें अपने जवानों के साथ काम करना है और वे यह जानते हैं कि जवान देश के लिये महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं ।

मैं इस सम्बन्ध में कुछ तथ्य सभा के सामने रखना चाहता हूँ । सैनिक विनियम संख्या 344 के अनुसार किसी सरकारी कर्मचारी से निजी काम करवाना निषिद्ध है । सरकारी पशुओं का उपयोग भी निजी कार्य के लिये नहीं किया जाना चाहिए । वर्ष 1948 से सेनाध्यक्ष सम्मेलनों में इस बारे में कहते रहे हैं । प्रायः सभी कमांडरों को भेजे गये विभिन्न पत्रों में कहा गया है कि अधिकारियों द्वारा उन्हें प्राप्त विशेषाधिकारों का दुरुपयोग किये जाने पर उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी । 1948 से अनुदेश दिये जाते रहे हैं जिनमें सेनाध्यक्ष द्वारा कहा गया है कि जवानों से उनके निर्धारित कार्य के अतिरिक्त कोई कार्य न लिया जाये । निर्धारित कार्य लेने से भी उनके प्रशिक्षण आदि में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़नी चाहिए । यदि उनसे इस प्रकार का कोई कार्य कराया जाता है तो काम लेने वाले अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाती है ।

माननीय सदस्य श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने यह मामला दिसम्बर, 1968 में उठाया था । सुविधाओं का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की गई है । जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है उनमें से कुछ अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के हैं । एक लेफ्टिनेंट कर्नल को सेवा से निकाल दिया गया है क्योंकि उसने एक सरकारी कर्मचारी से अपने फार्म में काम करवाया था । सेवा से निकाले गये अधिकारी के अतिरिक्त दो अन्य अधिकारियों को सेनाध्यक्ष द्वारा प्रताड़ना दी गई है । इससे यह स्पष्ट है कि वरिष्ठ अधिकारियों को कड़ा दंड दिया गया है ।

पदोन्नति के समय तथा अन्य अनेक बातों के समय इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाता है । यदि कोई अधिकारी पदोन्नति के लिये योग्य भी हो तो भी इन सब बातों के साथ उसका पहले का कार्य देखा जाता है ।

इस समय अधिकारियों को, विशेषतः अग्रिम क्षेत्रों में बहुत कम सुविधाएँ दी जाती हैं । अधिकारी लोगों को सामान आदि ले जाने के लिये जवानों की आवश्यकता रहती है और यह कार्य जवानों से करवाया जाता है क्योंकि यह जवानों का ही कार्य है । यदि इस सम्बन्ध में दुरुपयोग के मामले की शिकायत प्रति मन्त्रालय, सेनाध्यक्ष, अथवा नौसेनाध्यक्ष से की जाये तो वे उचित कार्यवाही करेंगे । आफिसर कमांडिंग यदि जारी किये गये अनुदेशों के पालन में किसी प्रकार की सुस्ती दिखाये तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाती है । मैंने तीन अधिकारियों के जो उदाहरण दिये हैं उनसे मैं समझता हूँ कि सभा पूरी तरह यह बात मानेगी । प्रतिरक्षा मन्त्रालय यह नहीं चाहता कि इस प्रकार की घटनाएँ हों । अधिकारियों को कुछ सुविधाएँ दी जाती हैं और उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे उनका सदुपयोग करें । मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि यदि कभी इस प्रकार की कोई बात हो तो वे उसके बारे में प्रतिरक्षा मन्त्रालय को बताएँ तथा उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जायेगा ।

Shri Ram Avatar Shastri (Patna) : It is matter of regret and shame that the persons who defend the country at the cost of their lives are treated like animals. I have seen such things with my own eyes that the work of coolies is taken from our jawans. I would like that the hon. Minister to see to it.

In Danapur Cantonment the jawans are forced to dig the land and to cook the meals. The feeling of inferiority complex is increasing in jawans day by day. May I know whether Government have prepared any concrete scheme in order to remove such feeling from the jawans and establishing cordial and friendly relations between the jawans and the officers and if so, the details thereof ? If Government have no such scheme, the Government propose to prepare such scheme and implement it and if so by when and if not what are its reasons ?

Shri Tulshidas Jadhav (Baramati) : How far it is proper to illtreat the jawans who proved their worth and bravery during Chinse aggression and Indo-Pakistan conflict ? I saw in foreign countries jawans and officers working together without any feeling of superiority or inferiority complex. They sat at one table together. What I want is that the jawans should not be asked to work at officers' residences.

How long will it take when the jawan will not be required to do the private work of officers and if there is any difficulty in doing so, what are the reasons therefor ?

Shri George Fernandes (Bombay-South): The staff attached to a Minister, officers and Army officer is required to do their personal jobs. It is national waste and results in the demoralisation of the staff. The jawans are engaged at the residences of the officers as orderly etc. and they are required to do their domestic work.

May I know whether the hon. Minister proposes to issue a chit to jawans along with kits, rifles and uniform containing the orders that domestic works cannot be taken from jawans. Violation of this order would be an offence under rules and severe action would be taken against the officer concerned ?

Do Government also propose to bridge the gap between the officers and the jawans in the matters of uniform standard of living etc. ?

श्री रणजीत सिंह (खलीलाबाद) : पिछले 23 वर्षों में प्रतिरक्षा ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अंग्रेजों की एक विशेष पद्धति थी और उन्होंने उसे स्वयं बदल दिया था। मन्त्री महोदय ने गलत तथ्य सभा के सामने रखे हैं। सेवक प्रणाली स्वतंत्रता-प्राप्ति से बहुत पहले अंग्रेजों द्वारा समाप्त कर दी गई थी। यह ठीक है कि निजी कार्य न कराने के लिये नियम हैं किन्तु निजी कार्य की परिभाषा क्या है ? नियमों के अनुसार अर्दली अधिकारी के साथ नियुक्त किया जा सकता है। युद्ध के समय इस व्यक्ति को संदेश-वाहक तथा कार्यालय का कार्य करना होता है। किन्तु होता यह कि अधिकारी अर्दलियों से अपना सारा निजी कार्य कराते हैं। उप-मन्त्री महोदय ने बताया है कि अधिकारी पकड़े गये और दंडित किये गये। किन्तु क्या इससे निजी काम करवाना बन्द कर दिया गया है ? इसे बन्द करने के बजाय अधिक कर दिया गया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि समूची सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन किया जाये। अधिकारियों में आरंभ से ही बड़प्पन की यह झूठी

भावना पैदा की जाती है कि वह पृथक ही श्रेणी के हैं। पहले प्रशिक्षण पाने वाले कैडिट प्रायः जवानों के समान ही रहते थे किन्तु अब उन्हें बहुत सुविधाएँ प्राप्त हो गई हैं। अनेक देशों में पुरानी परम्पराओं में परिवर्तन आ गये हैं और उनमें प्रायः प्रत्येक व्यक्ति अनिवार्य रूप से सैनिक प्रशिक्षण लेने लगा है। अतः क्या यह समय की माँग नहीं है कि इन सब मामलों पर व्यापक आधार वाला एक आयोग विचार करे ? समझ में नहीं आता कि मन्त्री महोदय को इसमें आपत्ति क्यों है ? इस आयोग में सेवानिवृत्त उच्च सैनिक अधिकारी, सेवा कर रहे सैनिक अधिकारी, कुछ राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता तथा शिक्षा–शास्त्री लिये जा सकते हैं।

श्री मं० रं० कृष्ण : यह कहना सही नहीं है कि सभी जवानों से निजी काम कराया जाता है। अधिकारियों को अर्दली, बैटमैन आदि दिये जाने के बारे में समय–समय पर पुनरीक्षण किया जाता है। बैटमैनों की संख्या लगभग 15,000 कम कर दी गई है। युद्ध-क्षेत्र में अधिकारियों को कुछ सुविधायें उपलब्ध हैं इसीलिए उन्हें बैटमैन दिये जाते हैं। जवानों को निजी कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। माननीय सदस्य यदि कोई ऐसा मामला सभा के सामने लायें जिनमें जवानों को निजी काम करने के लिये बाध्य किया गया हो, तो उसमें उचित कार्यवाही की जायेगी। वास्तव में अधिकारियों को वही जवान बेटमैन के रूप में दिये जाते जो इसके लिये स्वयं अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं और वह भी अत्यावश्यक और निर्धारित प्रयोजनों के लिए।

यह सराहनीय बात है कि प्रतिरक्षा मन्त्रालय ने सेवक (फालोअर) व्यवस्था समाप्त कर दी है। माननीय सदस्य रणजीत सिंह का यह कहना सही नहीं है कि अंग्रेजों ने सेवक-व्यवस्था समाप्त कर दी थी। जे० सी० ओ० संवर्ग इसलिए बनाया गया था कि अंग्रेज लोग भारतीय जवानों के साथ घुलना-मिलना नहीं चाहते थे इसलिए उन्होंने मध्यवर्ती रैंक बनाया था। मैं समझता हूँ कि जब तक श्री रणजीत सिंह सेना में रहे होंगे तब तक वह भी जवानों के साथ घुलना–मिलना नहीं चाहते होंगे, लेकिन अब वह स्थिति नहीं है।

श्री रणजीत सिंह : उप मन्त्री महोदय तथा प्रतिरक्षा मन्त्री महोदय यह आपेक्षा मुझ पर कई बार लगा चुके हैं। मैं मन्त्री महोदय को बताना चाहता हूँ कि मैं अब भी वार्षिक परेड में नियमित रूप से भाग लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस दल के सदस्य भी प्रादेशिक सेना में भर्ती हो जायें जिससे उन्हें सेनाओं में वास्तविक स्थिति का पता लग सके।

श्री मं० रं० कृष्ण : मैं समझता हूँ कि इस मामले की जाँच करने के लिए आयोग स्थापित किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री रणधीर सिंह : सम्पूर्ण प्रतिरक्षा ढाँचे के मामले की जांच करने के लिये आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये।

श्री मं० रं० कृष्ण : यह एक अलग बात है। मैं पहले बता चुका हूँ कि सैनिक अधिकारी इस बात के इच्छुक हैं कि अग्रिम क्षेत्रों में वे कठिन जीवन बितायें। उन्हें खराब मौसम

में वहां पर कार्य करना पड़ता है किन्तु फिर भी वे जवानों से किसी प्रकार की सहायता नहीं लेना चाहते हैं। अधिकारी और जवान, दोनों ही, परिश्रम का जीवन व्यतीत करना चाहते हैं इसलिए अब बेटमैनों की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। इस सम्बन्ध में नियम भी कठोर हैं। कमांडरों के सम्मेलन में सदैव इस बात पर जोर दिया जाता है और जो व्यक्ति दोषी पाये जाते हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाती है। इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, 3 अप्रैल, 1969/13 चैत्र, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then abjourned till Eleven of the Clock on Thursday April 3, 1969/Chaitra 13, 1891 (Saka)

Printed by Job Printers, 119, Swami Vivekanand Marg, Allahabad—3.

में वहां पर कार्य करना पड़ता है किन्तु फिर भी वे जवानों से किसी प्रकार की सहायता नहीं लेना चाहते हैं। अधिकारी और जवान, दोनों ही, प्ररिश्रम का जीवन व्यतीत करना चाहते हैं इसलिए अब बेटमैनों की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। इस सम्बन्ध में नियम भी कठोर हैं। कमांडरों के सम्मेलन में सदैव इस बात पर जोर दिया जाता है और जो व्यक्ति दोषी पाये जाते हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाती है। इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, 3 अप्रैल, 1969/13 चैत्र, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then abjourned till Eleven of the Clock on Thursday April 3, 1969/Chaitra 13, 1891 (Saka)

Printed by Job Printers, 119, Swami Vivekanand Marg, Allahabad—3.